खण्ड-150, अंक-3
बुधवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(2 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 150 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदायलु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास ,श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण श्री,
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह, यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह, गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरखयाल सिंह, श्री

हरिगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ मार्च, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रसद विभाग से छटनी किये गये कर्मचारियों का स्मृति-पत्र

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार के मुख्य मन्त्री को रसद विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों ने अपनी नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्राथमिकता दिये जाने के लिए कोई स्मृति-पत्र दिया है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस स्मृति-पत्र में क्या-क्या मुख्य बातें हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जो आवेदनपत्र सरकार के पास पहुंचा उसमें छटनी किये गये अधिकारियों ने यह मांग की है कि सरकार से उनको फिर से किसी विभाग में नौकरी मिल जानी चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय —क्या यह सही है कि सरकार ने रसद विभाग के कर्मचारियों को जो छटनीशुदा है, उनको नियुक्ति देने के लिए कोई आदेश किया था, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। रसद विभाग के छटनी शुदा व्यक्तियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जा रही है। ४ फरवरी, १९५३ और ११ जून, १९५३ को आवश्यक आदेश सरकार ने जारी किये थे। ४ फरवरी को जो आदेश जारी किया गया था उसमें सब विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि इस विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को सर्विस में लेते समय प्राथमिकता दी जाय और उसमें साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया था कि यदि नियुक्तियों के समय इन कर्मचारियों की उम्र अधिक हो तो उतने समय की उनको छूट दी जानी चाहिये जितने समय वे खाद्य व रसद विभाग में नौकरी करते रहे हैं और इन आदेशों का सारे विभागों ने पालन किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि रसद विभाग के कर्मचारी जब किसी कम्पिटीशन वगैरह में बुलाये जाते हैं तो उनके पुराने कारनामों के जो पत्र वगैरह हैं वह उनको नहीं दिये जाते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। ११ जून का जो दूसरा आदेश सरकार की ओर से निकाला गया था, उसमें यह बात साफ कर दी गयी थी कि जो खाद्य विभाग के कर्मचारी नियुक्ति के लिए बुलाये जायं, उन पर वह नियम लागू न हों, जो साधारणतया भर्ती के समय सब विभागों के क्लर्कों की भर्ती पर लागू होते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय अन्न मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने कर्मचारी इस विभाग से अब तक छटनी हो चुके हैं और उनमें से कितनों को अब तक स्थान मिला है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके आंकड़े तो सरकार के पास नहीं हैं, लेकिन यह अनुमान किया जाता है कि जितने लोग छटनी में आये, उनमें से लगभग ३० प्रतिशत लोग फिर से सर्विस में ले लिये गये हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि सितम्बर तक इस विभाग के सभी लोगों को हटा देने का प्रबन्ध किया गया था। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कितने लोग इस विभाग में इस समय काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--फरवरी, ५५ के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उनके मुताबिक २,०३२ कर्मचारी इस विभाग में अभी तक मौजूद हैं, उनमें से ७९ गजटेड हैं और १९५३ नान-गजटेड हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मन्त्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि रसद विभाग के छटनी हुए कर्मचारियों को जो क्लर्की का काम रसद विभाग में करते थे, जब किसी विभाग में क्लर्की की जगह खाली होती है, तो उनको उस विभाग के क्लर्की वाले इम्तिहान में फिर से बैठना पड़ता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जैसा मैंने बतलाया, एक आदेश ऐसा जारी किया गया था कि उनके साथ वे नियम लागू न किये जायं, जो नियम विभागों में क्लर्कों की नियुक्ति के समय लागू किये जाते हैं। जो लोग पहले से टाइप जानते हैं, उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अब उन क्लर्कों की ही नियुक्ति रिक्त स्थानों पर की जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, होना तो यही चाहिए।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जिस तरह से माल विभाग का एक सरकारी आदेश सेटिलमेंट कर्मचारियों को नौकरी में लगाने के बारे में है, उसी लाइन पर कोई जी० ओ० सरकार जारी करने का विचार रखती है, जिससे छटनी शुदा रसद विभाग के कर्मचारी सभी के सभी लगाये जा सकें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह तो मैं पहले ही बतला चुका हूं कि ऐसा आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। अब और आदेश देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--यह जो आदेश निकला था कि रसद विभाग के कर्मचारियों को सर्विसेज में प्रिफ्रेंस दिया जाय, क्या उस पर भी उन एम्प्लाईज ने माननीय मन्त्री जी को दरख्वास्त दी है कि इसको कार्य रूप में, अमल में नहीं लाया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---हां, कहीं-कहीं से ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो शिकायतें उनके पास आयी हैं कि प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उसकी जांच करायी गयी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जो आदेश सरकार की ओर से जारी किये गये थे, वे मैनडेटरी नहीं थे।

तारांकित प्रश्न

राजकीय अस्पताल, रुद्रप्रयाग और पोखरी गढ़वाल में पानी की दुर्व्यवस्था

*१--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि राजकीय अस्पताल, रुद्रप्रयाग और पोखरी गढ़वाल में पानी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--दोनों अस्पतालों में पानी की व्यवस्था करने के तखमीने स्वीकृत हो गये हैं, शीघ्र व्यवस्था हो जायेगी ।

*२--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि पोखरी अस्पताल के लिए पाइप खरीदे गये थे और वे वर्षों से चटुवापीपल में पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस अस्पताल के लिए ६६,५०० रु० का तखमीना १९४८ में स्वीकार हुआ । इसमें जल की भी व्यवस्था थी, जब अस्पताल बनने लगा तो महंगाई के कारण इतने के अन्दर भवन तो १९५३ में बन गया, परन्तु पानी का प्रबन्ध न हो सका, और भी कई मदें रह गयीं । यह तखमीना, अलग से अब २४,१०० रु० का स्वीकृत हो गया है और यह पाइप अब शीघ्र इस्तेमाल हो जायेंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि सन् १९४८ में रुद्रप्रयाग अस्पताल के लिए पानी के पाइप भी खरीदे गये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसकी तो सूचना नहीं है कि १९४८ में पाइप खरीदे गये थे ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि यह पानी के पाइप अभी तक सन् ४८ से पड़े हुए हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसकी भी सूचना नहीं है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि इस आर्थिक वर्ष के अन्दर वहां पानी की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां । इसके लिए आदेश जारी किये जा रहे हैं ?

जिला गढ़वाल में ऊखीमठ अस्पताल के संक्रामक रोग वार्ड की मरम्मत के लिए स्वीकृति

*३--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या स्वास्थ्य मन्त्री को विदित है कि ऊखीमठ अस्पताल, जिला गढ़वाल में संक्रामक रोग का वार्ड टूटी हुई अवस्था में है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उस की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां । इसकी मरम्मत के लिए १,००० रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस मकान के लिये यह एक हजार रुपया मंजूर हुआ है वह कब टूट गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह कब टूटा है इसकी कोई सूचना नहीं है । ऐसा ख्याल किया जाता है कि जब टूटा होगा तभी वहां से रिपोर्ट आई और उसी के मुताबिक यह रुपया मंजूर हुआ ।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या इस आर्थिक वर्ष में यह मकान बन कर तैयार हो जायगा और क्या इस एक हजार रुपये की लागत से यह मकान बन जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, यहां से आदेश भेजे जा चुके हैं और यह उम्मीद की जाती है कि इस आर्थिक वर्ष के अन्दर यह बन कर तैयार हो जायगा।

कर्घा उद्योग की परिस्थिति जानने के लिए पर्यावलोकन

*४---श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कर्घा उद्योग की ठीक-ठीक परिस्थिति की जानकारी के लिये उत्तर प्रदेश में वह सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---(अ) जी हां। (ब) अगले आर्थिक वर्ष में।

श्री बशीर अहमद हकीम---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगले साल से उनका क्या मतलब है, १९५५-५६ या १९५६-५७ ?

श्री बनारसी दास---१९५५-५६।

जिला सीतापुर में विभिन्न प्रकार के चिकित्सालय

*५---श्री बशीर अहमद हकीम---क्या सरकार कृपया एक ऐसी सूची मेज पर रखेगी जिससे यह मालूम हो कि जिला सीतापुर में कहां-कहां और कितने यूनानी, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक चिकित्सालय हैं ? क्या इनके अतिरिक्त चालू पंच-वर्षीय योजना में नये चिकित्सालय और खोलने का इरादा सरकार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस जिले में ३ यूनानी, ९ आयुर्वेदिक, तथा २१ एलोपैथिक चिकित्सालय हैं। जिनकी सूची मेज पर रख दी गयी है। १९५५-५६ में सरकार ३१ नये एलोपैथिक और २० आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय खोलेगी, इन चिकित्सालयों को खोलते समय जिला सीतापुर का भी ख्याल रखा जायगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१६ पर)

श्री बशीर अहमद हकीम---सीतापुर में जितने शफ़ाखाने हैं उनकी इमारतें किराये की हैं या सरकार की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी कोई सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री बशीर अहमद हकीम---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के यह बतलायेंगे कि सेवता में जो शफाखाना खोला गया है वह ऐसी इमारत में है कि जिसमें इंसान नहीं रह सकते ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अगर माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है तो मुमकिन है कि ऐसा ही हो।

कुटीर उद्योग द्वारा बनी वस्तुओं का सरकारी कामों में प्रयोग

*६---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छोटे उद्योग धंधों द्वारा बने माल को मिलों द्वारा बने माल की प्रतियोगिता से बचाने के लिये वह कौन सा उपाय कर रही है ?

श्री बनारसी दास---सरकार ने यह आज्ञा दी है कि सरकारी कामों के लिये कुटीर उद्योग द्वारा बनी चीजें मिल द्वारा बनी चीजों की कीमतों के मुकाबले १५ फीसदी अधिक मूल्य तक खरीदी जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार कुटीर उद्योग द्वारा बनाये गये सभी सामान खरीद लेती है ?

श्री बनारसी दास---ऐसा तो नहीं है लेकिन कुछ विभागों के लिये अवश्य ऐसे आदेश हैं जितनी उनकी आवश्यकतायें हों वह तमाम कुटीर उद्योग के सामान से ही पूरी की जायं और अन्य सामान के बारे में यदि वह १५ फीसदी ज्यादा कीमत देकर भी कुटीर उद्योग का सामान ले सकते हैं तो लें। लेकिन यदि १५ फीसदी से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है तो कुटीर उद्योग का सामान न लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या कुटीर उद्योग द्वारा बने हुए सामान जिनको कि जनता खरीदती है उन पर कुटीर उद्योग को उस खरीदे हुए सामान पर सरकार १५ प्रतिशत दे देती है ?

श्री बनारसी दास---प्रश्न का उत्तर तो यह है कि तुलनात्मक दृष्टि से यदि मिल के सामान और कुटीर उद्योग के सामान में १५ प्रतिशत का अन्तर हो तो उस अन्तर तक कुटीर उद्योग को ही प्राथमिकता दी जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किया कि जनता जो कुटीर उद्योग का सामान खरीदती है तो सरकार तो अपने खरीदे हुये सामान पर पन्द्रह प्रतिशत अधिक दे देती है, मगर जनता जो खरीदती है उस पर क्या वह १५ प्रतिशत कुटीर उद्योग को सहायता के रूप में देती है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यहां सदन में जो ११ सूत्री प्रोग्राम स्वीकार किया गया था उसके अनुसार कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिये कोई डिमार्केशन करने की योजना बनी है ?

श्री बनारसी दास---कुछ डिमार्केशन तो पहले से गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से किया जा चुका है और जो यहां से स्वीकार किया गया था उसके अनुसार फिर और इंडस्ट्रीज को भी उसमें शामिल किया गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कुछ कपड़ों का प्रोडक्शन तो खास तौर से कुटीर उद्योगों के लिये रिजर्व कर ही दिया है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो माल छोटे-छोटे उद्योगों द्वारा पैदा किया जाता है वह माल मिलों द्वारा न बनाया जावे, इस पर भी सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---मैंने अभी निवेदन किया कि कुछ कपड़े की किस्में ऐसी हैं कि जिनके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि वह मिलों में नहीं बन सकतीं, केवल हैंडलूम ही उन्हें तैयार कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या सरकार छोटे उद्योग धंधों से बने माल को यथा संभव प्रतिबन्धात्मक ढंग से सरकारी विभागों में इस्तेमाल की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---वह तो पहले से अमल में है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग-धन्धों का विकास करने में गुड़ के भी विकास करने की कोई योजना है ?

श्री बनारसी दास---गुड़ उद्योग को उन्नत करने के लिये जिससे कि उससे ज्यादा कीमत मिल सके, योजना है और वह अमल में है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार हाथ से बने हुये पीतल के वर्तनों के उद्योग को कुटीर उद्योग में सम्मिलित समझती है ?

श्री बनारसी दास--जी हां। पीतल का यह धंधा कुटीर उद्योग में है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुटीर उद्योग में बने हुये सामानों की बिक्री करने के साधनों में कमी होने की वजह से उन सामानों की बिक्री नहीं हो पा रही है ?

श्री बनारसी दास--यह सही है। इसमें कुछ कठिनाई अवश्य है कि मिलों के मुकाबले में उनका कम्पिटीशन है। इसी की वजह से सरकार ने अपने खरीदने के लिये यह रखा है कि १५ प्रतिशत ज्यादा दाम दे कर भी कुटीर उद्योग का ही सामान खरीदा जाय। इसके अलावा कुछ ड्यूटी भी लगायी है जहां पर कि ५० से ज्यादा वर्कर काम करते हों और इसी तरह कपड़े पर सेस लगाया है जिससे कि वह कुटीर उद्योग को चीजें कम्पीट कर सकें मिलों के मुकाबले में।

भटनी चीनी मिल के गन्ने का क्षेत्र

*७--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भटनी चीनी मिल के पास जो इलाका गन्ना का था वह इस समय किस मिल के पास है ?

श्री बनारसी दास--भटनी चीनी मिल के गन्ने का इलाका देवरिया, सरदारनगर तथा खलीलाबाद की चीनी मिलों को बांट दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों मिलों को कितना-कितना गन्ना इस समय जा रहा है ?

श्री बनारसी दास--यह तो मैं नहीं कह सकता कि कितना गन्ना दिया जा रहा है लेकिन भटनी मिलों के चार केन्द्र थे, उन चारों केन्द्रों को इन मिलों में बांट दिया गया है जिनका कि मैंने जिक्र किया है और वह गन्ना जितना कि पहले भटनी मिल को जाता था वह अब इन मिलों को जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन तीनों मिलों को कितने कितने गांव दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास--गांव तो केन्द्र से संबंधित हैं। उनकी सूची तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन वह जो केन्द्र थे उनके लिहाज से वह खलीलाबाद चीनी मिल, देवरिया मिल, पंजाबी मिल, सरदार नगर मिल, उसके अन्दर ये चारों के चारों बाँट दिये गये हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय अन्न मंत्री को जानकारी है कि जिन-जिन मिलों को भटनी का इलाका बांट दिया गया है उनकी तरफ से गन्ने को विकसित करने के लिये डेवलपमेंट के कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री बनारसी दास--जब पहले भटनी में मिल थी, वहां पर सोसाइटी थी जो कि विकास के कार्य कर रही थी। भटनी मिल के बन्द हो जाने के बाद वह बन्द नहीं की गयी, वह बदस्तूर जारी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे चार केन्द्र कौन-कौन हैं ?

श्री बनारसी दास--भटनी स्टेशन, नूनखार, सलेमपुर, किढ़ापुर।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इस बात के लिये व्यवस्था करेगी कि भटनी मिल अगले वर्ष अवश्य चले ताकि यहां के गन्ने के काश्तकारों की दिक्कत दूर हो जाय ?

श्री बनारसी दास--इस पर सरकार ने विचार किया था और चाहती थी कि इस फैक्टरी को नीलाम कर के वहां पर उसको दूसरे इन्तजाम के अन्दर चलाया जाय, लेकिन बाद में सब बातों पर गौर करने के बाद यह निश्चय किया गया कि वहां भटनी में इस मिल का चलाना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि गन्ना इतना नहीं है कि वहां पर वह मिल चल सके।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुज़फ्फर नगर)---क्या माननीय मंत्री जी लिखा पढ़ी करने की कृपा करेंगे कि यह मिल वहां से उखाड़ कर पश्चिमी जिलों में भेज दी जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि भटनी मिल के संबंध में सरकार यह आश्वासन दे चुकी है कि यह मिल वहीं पर चलायी जायगी ?

श्री बनारसी दास---मैंने निवेदन किया कि इस मिल के ऊपर जो ड्यूज थे उनकी वजह से यह आवश्यक था कि इसको नीलाम करा के वहां चलाया जाय और बहुत कुछ इसके सम्बन्ध में प्रगति हुई। लेकिन बाद को यह देखा गया कि वहां इतना गन्ना नहीं है कि उस मिल को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके, इसलिये यह तय हुआ कि उस मिल को केन्द्रों में बांट दिया जाय जैसा कि मैंने जिक्र किया।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र दूसरी मिलों में बांट दिया गया, उसका सर्वे करा कर कि पहले गन्ना कितना था और पूरा पड़ता था और अब गन्ना कितना हो गया वह यह बतला सकते हैं या नहीं ?

श्री बनारसी दास---इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन यह सही चीज है कि ये जो ४ केन्द्र थे उनका गन्ना उन मिलों को दिया गया और वहां क्रशिंग के लिये काफी गुंजायश गन्ने के लिये है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह क्षेत्र जो तीनों मिलों में बांट दिया गया यह किसानों की सुविधा को देखते हुए बांट दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उत्तर में बतला दिया गया है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह सही है कि भटनी मिल को नीलाम कर के उसको ठेके पर दे कर चलाने के लिये सरकार ने कुछ कार्य किया था ?

श्री बनारसी दास---जी हां, सही है कि नीलाम किया गया और निगोशिएशंस जारी थे। लेकिन बाद में मिल के ऊपर चूंकि ड्यूज थे, इसलिये कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें ऐसी हुईं कि उस नीलाम को सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सत्य है कि यह जो नीलाम रद्द हुआ वह टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से रद्द हुआ, न कि गन्ने की कमी की वजह से ?

श्री बनारसी दास---प्रश्न तो यह है कि इस साल जो भटनी मिल है उसका नीलाम तो करना ही है। सरकार के ड्यूज हैं और कुछ दूसरे केन के ड्यूज हैं, उनको वसूल करने के लिये भटनी में मिल चले या न चले, उसको नीलाम करना ही है। लेकिन यह नीलाम इस वजह से स्थगित किया गया कि उसमें कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं और उनको दूर करने के बाद जल्दी से उसका नीलाम कर दिया जायगा।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार इस भटनी मिल को उस जगह पर ले जाने के लिये विचार कर रही है जहां पर गन्ना अच्छी तरह से मिल सके ?

श्री बनारसी दास---इस समय यह निश्चित नहीं है कि कहां ले जाई जायगी लेकिन एक फर्म इसको खरीदना चाहती थी, उससे बातचीत हुई थी, वह स्वयं निश्चित करेगी कि वह कहां ले जाना चाहती है और जब वह सरकार से इजाजत मांगेगी तो उस समय निश्चित किया जायगा ।

श्री गेंदासिंह---अगर कोई फर्म भटनी मिल को वहीं चलाने के लिये नीलाम में लेना चाहे तो सरकार को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ?

श्री बनारसी दास---केवल यह देखना होगा कि उसको काफी गन्ना मिल पायगा या नहीं और उससे दूसरी मिलों पर तो असर नहीं होगा । यदि वहां चलने की संभावना होगी तो उस पर गौर किया जायगा ।

*८-९---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- [२३ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

पर्वतीय प्रदेश में कुटीर उद्योग-धंधों के लिए प्रोत्साहन

*१०---श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पर्वतीय प्रदेश में कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसी दास---पर्वतीय प्रदेश में कुटीर धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये इस सरकार की निम्नलिखित योजनायें विशेष रूप से चल रही हैं :

१---औद्योगिक शिक्षालय योजना ;

२---ऋन उद्योग योजना ।

इसके अलावा, ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है ।

अन्य सहायतायें भी, जहां आवश्यक समझी जाती हैं, और मांगी जाती हैं प्रदान की जाती हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि पर्वतीय प्रदेश के दूर-दूर के रहने वाले लोगों की लखनऊ में एप्रोच न होने से जो ग्रांट और लोन की आर्थिक सहायता मिलती है, उससे यह वंचित रह जाते हैं ?

श्री बनारसी दास---शायद पर्वतीय प्रदेश के लोगों की जितनी एप्रोच है उतनी गालिबन दूसरे लोगों की नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि यह ग्रांट और लोन लखनऊ से दिये जाने के बजाय जिला नियोजन कमेटी द्वारा वितरित हो ?

श्री बनारसी दास---नियोजन कमेटी के कार्यक्षेत्र से तो यह बाहर है लेकिन माननीय सदस्य काफी सतर्क हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि पर्वतीय देश के रहने वालों को कोई हानि पहुंचाने की आशंका नहीं हो सकती है ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---क्या सरकार को मालूम है कि जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह कुछ नागरिकों तक ही सीमित है और जो इंटीरियर के गरीब और डिजर्विंग लोग हैं उनको नहीं मिलती है ?

श्री बनारसी दास--मदद तो डिजर्विंग लोगों को ही मिलती है, लेकिन उनको मिल सकती है जो प्रार्थना-पत्र देते हैं और जो इंटीरियर के गरीब लोग प्रार्थना-पत्र नहीं देते हैं तो माननीय सदस्य यदि प्रयत्न करें तो यह कठिनाई भी दूर हो सकती है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पर्वतीय इलाकों का सर्वे कराया गया है कि कौन-कौन सी जगह कौन से कुटीर उद्योग चलाये जा सकते हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां, सर्वे कराया गया है और कुटीर उद्योगों को चलाने की कोशिश की जा रही है। हमने ट्यूशनल क्लासेज भी कायम किये हैं। यह सब कुछ किया गया है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी, जो सर्वे करायी गयी है, उसकी रिपोर्ट सूक्ष्म रूप से बतलायेंगे कि कौन-कौन से कुटीर उद्योग चलाये जा सकते हैं ?

श्री बनारसी दास--वहां पर ऊन का उद्योग है, स्पोर्टिंग गुड्स का उद्योग है और जड़ी-बूटियों के स्टोरेज और विकास करने का उद्योग है तो सर्वे कराने के बाद ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पाली टेक्निक इंस्टीट्यूट खोलने की जो सरकार की योजना थी वह कब बनने जा रही है ?

श्री बनारसी दास--वह तो अभी बतलाया गया कि २७ ट्यूशनल क्लासेज हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर आदि में तीन शिक्षण केन्द्र हैं और सरकार की तरफ से वहां सहायता भी दी जाती है। अस्कोट के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ है।

अल्मोड़ा जिले में लोहाघाट अस्पताल के प्रान्तीयकरण के लिये मांग

*११--श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट--क्या सरकार लोहाघाट (अल्मोड़ा) के अस्पताल का शीघ्रातिशीघ्र प्रांतीयकरण करने का विचार रखती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि दो साल पहले जब फिनेन्स कमेटी से यह पास हो चुका कि यह अस्पताल प्रांविंशियलाइज किया जाय तो अब इसका उत्तर "जी नहीं" क्यों है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् ५३-५४ और ५४-५५ के शेड्यूल में इस अस्पताल के प्राविन्शलाइजेशन के सम्बन्ध में विचार किया गया था किन्तु धनाभाव के कारण इसका प्रांतीयकरण नहीं हो सका।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार का विचार है कि इसका प्रान्तीयकरण अगले साल हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिला बोर्ड, अल्मोड़ा इसका प्रांतीयकरण नहीं चाहता।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या कारण हैं जिनसे जिला बोर्ड नहीं चाहता ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कारण तो जिला बोर्ड ही बतला सकता है लेकिन वह चाहता नहीं है।

मुरादाबाद ब्रासवेयर मैन्युफैक्चरर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का आवेदन-पत्र

*१२--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मुरादाबाद में मुरादाबादी Brassware बनाने वालों की कितनी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं।

श्री बनारसी दास--ऐसी एक समिति है ।

*१३--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद को Brass Sheet Handicrafts Cooperative Society Ltd. ने Registration अथवा दूसरी सहूलियतों के हासिल करने के लिये सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या हुआ ?

श्री बनारसी दास--

(अ) जी हां ।

(ब) आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद में जो बर्तनों और ब्रासवेयर की सोसायटी रजिस्टर्ड है वह कौन सी है, उसके कितने सदस्य हैं, उसका क्या सरमाया है और कब से कायम हुयी है ?

श्री बनारसी दास--उस सोसायटी का नाम तो "दि मुरादाबाद ब्रासवेयर मैन्युफैक्चरर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुरादाबाद" है । अब उसके कितने सदस्य हैं, कितनी पूंजी है, इस सब का विवरण तो मेरे पास इस समय नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो यह सूचना जिले से मंगा कर उनको दी जा सकती है ।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि वह रजिस्टर्ड सोसायटी है तो क्या सरकार उसको कुछ मदद देती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बनारसी दास--इसके लिये कोई निश्चित रकम नहीं है । वह सोसायटी की आवश्यकता के मुताबिक होती है । सरकार अनुदान भी देती है और ऋण भी देती है ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मुरादाबाद में बर्तनों की ज्यादा तादाद और उसमें लगे हुये आदमियों को देखते हुये और भी सोसाइटियां बनाने की कोशिश करेगी ?

श्री बनारसी दास--यदि इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आयेंगे और वहां बनना संभव होगा तो अवश्य प्रयत्न करेंगी ।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह प्रार्थना-पत्र कब सरकार के पास आया, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और उसमें कितनी देर लगेगी ?

श्री बनारसी दास--यह प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन के लिये और ऋण और अनुदान के लिये आया है । वह सरकार के विचाराधीन है और वहां जांच के लिये उसको भेजा गया है, जैसे ही वहां से जांच की रिपोर्ट आ जायगी इस सोसायटी को सरकार की ओर से सहायता दी जायगी ।

*१४-१५--श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--[१६ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये]

*१६--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--[१७ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले का मलवां एन० ई० एस० ब्लाक

*१७–श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)––क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के मलवां N.E.S.Block का उद्घाटन किन कारणों से स्थगित कर दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––इस ब्लाक में २६ जनवरी, १९५५ से कार्य शुरू हो गया । उद्घाटन के स्थगित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

वनस्पति तेल को रंगने की मांग

*१८––श्री जोरावर वर्मा––क्या यह सत्य है कि सरकार बनस्पति तेल को रंगने के लिये क्लोरोफिल रंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में खोज करा रही है जिसे देहरादून बन अनुसंधानशाला ने उपयुक्त बतलाया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––क्लोरोफिल रंग की जांच की गयी किन्तु यह रंग बनस्पति तेल में मिलाने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया ।

*१९––श्री जोरावर वर्मा––क्या सरकार इस रंग के अलावा और अन्य रंगों की भी जांच करा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––जिन रंगों के विषय पर सुझाव मिलता है, उनकी पूरी जांच कराई जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा––क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वह विजीटेबिल आयल के उत्पादकों को यह आदेश जारी करें कि वह एक निश्चित समय के अन्दर स्वयं रंग निकालें, यदि नहीं निकालेंगे तो उनका यह कार्य बन्द कर दिया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा––अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और उन्होंने उत्तर दिया है विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––वह उत्तर दे चुके । अब आप उस पर बहस नहीं कर सकते ।

जीयनपुर, जिला आजमगढ़ में जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*२०––श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)––क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जीयनपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में इस वर्ष जनाना अस्पताल खोलने की योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस अस्पताल का बनना कब से प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और अगले वर्ष जब नये अस्पतालों के खोलने पर निश्चय किया जायगा उस समय इस अस्पताल के खुलने के प्रश्न पर विचार होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या यह सही है कि जीयनपुर के निवासियों ने सरकार के पास इस तरह का प्रस्ताव रखा है कि अगर इस जनाने अस्पताल का निर्माण जीयनपुर में होगा तो स्थानिक जनता आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––प्रस्ताव तो जरूर आया है । लेकिन उसमें आर्थिक सहायता का जिक्र नहीं है ।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर का उत्पादन

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर में प्रतिदिन सीमेंट की पैदावार क्या है ?

श्री बनारसी दास—इस समय औसत उत्पादन प्रतिदिन लगभग ६०० टन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर की कितनी क्षमता सीमेंट पैदा करने की है ?

श्री बनारसी दास—अधिक से अधिक सात सौ टन प्रति दिन ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०० टन जो कम उत्पादन होता है इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—वह तो शुरू में फैक्टरी काम करती है तो कुछ मशीनों के न चलने में, कुछ सामान मंगवाने में ऐसा हुआ, लेकिन जब से फैक्टरी चली है बराबर उत्पादन बढ़ता चला गया है और आशा यह है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरा सात सौ टन उत्पादन होने लगेगा ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि चुर्क फैक्टरी का सीमेंट कुछ और फैक्टरियों के सीमेंट से इनफीरियर है ?

श्री बनारसी दास—एक्सपर्ट्स की राय यह है कि चुर्क फैक्टरी का सीमेंट बाकी सब फैक्टरियों से अच्छा है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फैक्टरी के उत्पादन को देखते हुये वह प्रदेश में सीमेंट के कंट्रोल को कब तक हटा पायेगी ?

श्री बनारसी दास—यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंधित है और केन्द्रीय सरकार ही सीमेंट अलाट करती है, लेकिन ज्यादा होने पर केन्द्रीय सरकार यह जरूर विचार करेगी कि इसका कंट्रोल हटा दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में खराब किस्म का कोयला खरीदा गया है जिससे स्टीम नहीं बनती है और उसी वजह से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा नहीं है ।

*२२-२३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२३ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४—श्री गेंदासिंह—[३० मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

इत्र व सुगंधित तेल उद्योग के विकास के लिए योजना

*२५—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इत्र तथा सुगंधित तेल के उद्योग के विकास के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—जी हां । इस सरकार ने इत्र तथा सुगंधित तेल उद्योग के विकास के लिये १९४८-४९ में एक योजना स्वीकार की जिसके अन्तर्गत हारकोर्ट बटलर टेकनोलाजिकल इन्सटीट्यूट कानपुर में कार्य हो रहा है । योजना का उद्देश्य इस उद्योग की कृषि व औद्योगिक दृष्टि से उन्नति करना है ।

इस योजना के अन्तर्गत नये पौधों की कृषि की जाती है और उनसे तेल निकाला जाता है। तेलों की जांच की जाती है, नये-नये तेलों को बनाने की शिक्षा दी जाती है। प्रचार तथा प्रकाशन कार्य भी किया जाता है। कृत्रिम गंधयुक्त पदार्थ तैयार करने के परीक्षण किये जाते हैं और शिक्षा दी जाती है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हारकोर्ट बटलर इंस्टीट्यूट कानपुर के संचालन में सरकार का वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री बनारसी दास--जहां तक इस इंस्टीट्यूट के वार्षिक व्यय का सवाल है, इसकी सूचना तो इस वक्त नहीं है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन चीजों के जो कारखाने हैं उनको सरकार किसी प्रकार से सहायता देती है और अगर देती है तो वह किस तरह से ?

श्री बनारसी दास--सरकार की ओर से टेक्निकल एडवाइस दी जाती है और उम्दा किस्म के यंत्र भी उनको सप्लाई किये जाते हैं और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के कारखाने हैं उनको आर्थिक मदद, उनके प्रार्थना करने पर की जा सकती है।

श्री झारखण्डे राय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि कृत्रिम इत्र और कृत्रिम तेल बनने की वजह से हमारे प्रदेश के उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बनारसी दास--सरकार स्वयं इस बात का प्रयत्न कर रही है कि कृत्रिम इत्र बनाये जायं जिससे ये सस्ते हो सकें। इसलिये इन असेन्स की रोकथाम के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

आजमगढ़ जिले में घेंघा व फीलपांव की बीमारी

*२६--**श्री झारखण्डे राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन क्षेत्रों में घेंघे और फीलपांव की बीमारियां ज्यादा होती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--(१) फीलपांव की बीमारी थोड़ी बहुत आजमगढ़ जिले के हर भाग में दिखाई पड़ती है फूलपूर तहसील में कुछ अधिक है। जिले के समस्त एलोपैथिक औषधालयों में इस रोग के मरीज सभी रोगों के मरीजों की संख्या के ·५६ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

(२) घेंघे की बीमारी इस जिले में थोड़ी बहुत घाघरा नदी के किनारे पुलिस स्टेशन रौनापार, तहसील सगरी में दिखायी देती है।

*२७--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन बीमारियों की 'जनरल' रोकथाम के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिले के सभी अस्पतालों में इसके इलाज को उचित प्रबन्ध कर दिया गया है। विशेष इलाज की व्यवस्था विचाराधीन है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिस विशेष इलाज की व्यवस्था के बारे में सरकार के उत्तर में बताया गया है, वह विशेष व्यवस्था क्या है और वह कब तक लागू हो जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--फील पांव की बीमारी वाले क्षेत्र में ३ यूनिट खोलने का विचार है। जब तक यह काम प्रारम्भ नहीं होता है, पूर्वी जिलों में स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के अधिकारी सर्वे के लिए लगा दिये गये हैं ?

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि आजमगढ़ जिले में घेंघे की बीमारी खास तौर पर होती है, वह पीने के पानी की खराबी की वजह से होती है ? यदि हां, तो क्या वहां के रहने वालों को स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—घेंघे की बीमारी इस जगह जैसा कि बताया गया है, ज्यादा नहीं होती और जहां कहीं थोड़ी बहुत होती है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। सिर्फ जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पानी के साथ आयोडीन मिलाकर पिलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इस रोग की रोक-थाम हो सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि रोनापार स्थान पर एलोपैथिक अस्पताल न होने के कारण यह बीमारी बढ़ रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतायेगी कि घेंघे और फील पांव की बीमारी जो पूर्वी जिलों में बढ़ती जा रही है, उनके लिए सरकार कोई टी० बी० की तरह के कोई खास अस्पताल खोलने जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि फूलपूर तहसील में जहां कि फीलपांव की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, वहां के अस्पताल में एक विशेष डाक्टर इसके लिए नियुक्त करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फूलपुर अस्पताल में जो डाक्टर है वह इसका इलाज करता है। जैसा कि अभी बतलाया गया कि सरकार विशेष इलाज के बारे में सोच रही है। जब इस बारे में निश्चय हो जायगा, तो उस प्रकार से इलाज आरम्भ कर दिया जायगा।

*२८-२९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[१६ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

नाजायज मादक वस्तुओं का पकड़ना

*३०—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के अनेकों स्थानों में नाजायज शराब, अफीम, गांजा, भांग आदि नशीली चीजें सरकारी कर्मचारियों द्वारा पकड़ी जाकर सरकारी गोदामों में अमानत के तौर पर जमा होती हैं ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी नहीं, ऐसी चीजें प्रोजिक्युटिंग इन्स्पेक्टर (Prosecuting Inspector) के मालखाने में जमा होती हैं।

*३१—श्री रामदुलारे मिश्र—उपरोक्त गोदामों में जमा होने वाली गैर कानूनी नशीली चीजें सम्बन्धित मामलों के फैसलों के बाद क्या सरकारी सम्पत्ति हो जाती हैं ? अगर हां, तो १ अक्तूबर, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक कानपुर शहर और जिले में इस प्रकार कितनी रकम सरकारी कोष में आयी ?

श्री गिरधारीलाल—(क) जी हां।

(ख) कुछ नहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गैरकानूनी चीजें, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा मालखाने में जमा होती हैं उनका मामले के फैसले के बाद क्या होता है ?

श्री गिरधारीलाल---आप एक्साइज मैनुअल १९१० की दफा ७२ देखें, उससे आपको सब मालूम हो जायगा ।

राजकीय मर्दाना चिकित्सालय, प्रतापगढ़ की इमारत

*३२---श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ शहर में राजकीय मर्दाना चिकित्सालय की इमारत बहुत ही जीर्ण अवस्था में है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं । अब इमारत काफी ठीक हो गयी है ।

*३३---श्री रामअधार तिवारी---यदि हां, तो क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण पर विचार कर रही है ?

श्री बल्देवसिंह आर्य---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामअधार तिवारी---क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह इमारत गदर के जमाने की बनी हुई है और जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां । यह इमारत काफी पुरानी है ।

*३४-३५---श्री उमाशंकर---[१६ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

बड़े उद्योग-धंधों का भविष्य

*३६---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में बड़े उद्योग-धन्धों (Big Industries) को कायम करने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बनारसी दास---द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अभी बन रही है और उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । बड़े उद्योग-धन्धों के विषय में उचित विचार किया जायगा ।

*३७---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---यदि हां, तो इस विषय में प्लानिंग कमीशन को किन योजनाओं को भेजा गया है ?

श्री बनारसी दास---राज्य सरकार ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी प्लानिंग कमीशन को नहीं भेजी है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस विचार का अन्तिम स्वरूप किस अवधि तक प्रकट हो सकेगा ?

श्री बनारसी दास---योजना पर विचार तो हो ही रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को अभी नहीं भेजा है, क्योंकि अन्तिम रूप क्या हो, वह सामने नहीं है । लेकिन सरकार जरूर अपने प्रस्ताव को भेजेगी ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को अपनी आखिरी योजना भेजने के पहले माननीय विधान सभा की भी राय उस पर जानने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास---भेजने के पहले तो सदन के सामने वह योजना पहले भी नहीं रखी गयी थी, लेकिन यदि माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव हों, तो वे अवश्य सरकार के पास भेज सकते

हैं और उन पर विचार किया जायगा और यदि सम्भव हुआ तो योजना में उनको शामिल भी किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस-किस बिग इन्डस्ट्रीज को कायम करने का वह विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास--एक तो न्यूज प्रिंट इन्डस्ट्री हो, साथ ही साथ हमारे यहां मिर्जापुर जिले में जो कोल फील्ड्स हैं, उनसे कोयला निकालने के लिए फैक्टरी कायम की जाय, ग्लास फैक्टरी हो, टार्च लेंसेज वगैरह के लिए फैक्टरी हो, इसके अलावा जो मौजूदा उद्योग हैं, जैसे सीमेंट फैक्टरी और प्रेसीजन फैक्टरी का भी विस्तार किया जाय।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल--क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को केन्द्रीय सरकार के पास भेजने के पूर्व प्रकाशित करने की कृपा करेगी ताकि सबको ज्ञात हो सके और कोई अपनी राय किसी बात के ऊपर उसमें जोड़ने के लिए देना चाहता हो, तो दे सके ?

श्री बनारसी दास--यह तो ज्यादा फाइनेंस से सम्बन्ध रखता है। योजना प्रकाशित होने के पहले यह देखना पड़ेगा कि कितना पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिल पायेगा और कितना पैसा अन्य साधनों से मिल पायेगा और काफी हद तक हमारी योजना निर्भर करती है केन्द्र की सहायता पर, इसलिए अपनी योजना को प्रकाशित करना, जब तक केन्द्र से पता न चल जाय, बेकार होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या मन्त्री जी इस योजना में उन मिलों और कारखानों पर भी विचार करेंगे, जो कि बेकार पड़े हैं, या अनुत्पादक स्थिति में पड़े हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां। सब पर विचार किया जायगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रदेश का बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--यह जो बिग इन्डस्ट्रीज कायम की जाती हैं क्या वह केन्द्रीय सरकार की राय से कायम की जाती हैं ?

श्री बनारसी दास--बिग इन्डस्ट्रीज को कायम करने के लिए उसका लाइसेंस केन्द्रीय सरकार से लेना पड़ता है, लेकिन प्रदेश की ओर से जो पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्री कायम होंगी उनमें देखना होगा कि केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिल सकती है, क्योंकि हमारे इतने साधन नहीं हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की इन्डस्ट्रीज के लिए भी कोई प्लान सरकार बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन बना हुआ है, उससे मदद लें।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि पच्छिमी जिलों में गन्ने की स्थिति को देखते हुए वहां पर चीनी मिल बनाने का विचार इस पंचवर्षीय योजना में कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--वहां के रिजर्व एरिया को देखने से अब कोई गुंजाइश नहीं मालूम होती, क्योंकि बहुत सा गन्ना गुड़ और खांडसारी में चला जाता है जो एक कुटीर उद्योग है और उसका असर भी फैक्टरी पर पड़ता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार बतायेगी कि कितनी पूंजी की इन्डस्ट्री को बिग इन्डस्ट्री कहा जायगा ?

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य स्वयं अपनी राय रख सकते हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)--क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा में कागज की मिल खोलने का विचार किया जायगा ?

श्री बनारसी दास--पेपर मिल हम जरूर खोलना चाहते हैं, अगर गोंडा में उसके लिए मैटीरियल और स्थान मिलेगा तो वह जरूर खोली जा सकती है ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री जोरावर वर्मा--[६ अप्रैल, १६५५ के लिए स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में संसदीय उपनिर्वाचन फल घोषणा के उपरान्त की गयी गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आज अभी श्री रामसुन्दर पांडेय का एक कामरोको प्रस्ताव आया है । माननीय सदस्य जानते होंगे कि आज अखबार में यहां लखनऊ के एक उप-चुनाव के सम्बन्ध में गिरफ्तारी का जिक्र आया है । उसी सम्बन्ध में यह कामरोको प्रस्ताव पेश किया गया है । क्योंकि यह साधारण इन्तजामी मामलात का प्रश्न है, इसलिए इस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता और मैं यहां इसकी इजाजत नहीं देता ।

बद्रीनाथ मन्दिर समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष--बद्रीनाथ मन्दिर समिति के चुनाव का फल मैं सुनाना चाहता हूं । श्री चन्द्रसिंह रावत इस चुनाव में सफल हुए । उनको सब से अधिक वोट यानी ४२ मिले और बाकी लोगों को उस से कम मिले । इसलिए मैं यह सूचना देता हूं कि श्री चन्द्रसिंह रावत इस समिति के सदस्य घोषित हुए ।

सार्वजनिक लेखा तथा वित्त समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का स्थगन

श्री अध्यक्ष--इस सदन की दो समितियों, सार्वजनिक लेखा समिति और वित्त समिति के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने तथा वापस लेने के सम्बन्ध में मैंने तिथियां नियत की थीं । लेकिन मेरे पास एक प्रार्थना मुख्य सचेतक ने भेजी है कि जिस वक्त सदन को और स्टैंन्डिग कमेटीज के लिए नामांकन तथा चुनाव हों उन्हीं के साथ उक्त समितियों का भी चुनाव रखा जाय, क्योंकि ऐसा करने से बहुत दफा तो निर्वाचन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और आपस में तस्फिया हो जाया करता है । अलग-अलग समितियों का यदि चुनाव होगा, तो तसफिये में कठिनाई होगी और हर साल इसी तरह से एक साथ चुनाव होता भी था । मैंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और इन दो समितियों के नामांकन आदि कार्य को स्थगित करता हूं और इस सम्बन्ध में कोई अन्य तारीख एक साथ नियत करूंगा और उसकी सूचना सदन को बाद में दे दूंगा ।

१६५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १६५५-५६ के लिए अनुदानों के लिए प्रस्तावों पर विचार होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या ३८ के लिए डेढ़ घंटा, अनुदान संख्या ४४ के लिए १ घंटा, राज्य आबकारी के लिए १ घंटा और स्टाम्प और रजिस्टरी एक साथ लेलें और उसके लिए आध घंटा इस प्रकार रहे।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को आपत्ति नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय के अन्तर्गत ६,५०,१७,८०० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

जहां तक इस अनुदान का संबंध है जो बजट साहित्य दिया गया है उसके वाल्यूम ४ में पूरे विस्तार के साथ तमाम चीजें बता दी गई हैं जिनके लिये इस अनुदान के अन्दर प्रबन्ध किया गया है। यह ऐसा अनुदान है जिसमें वह चीजें लिखी गई हैं जिनके लिये जो स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं उनमें उनका कोई प्राविजन नहीं है। इसलिये बहुत सी मदें ऐसी हैं जो इस अनुदान में शामिल की गई हैं। इनके देखने से पता चलेगा कि इसमें रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में भी ४४, ४५ लाख का प्राविजन रखा गया है और डेवलपमेंट फंड में २ करोड़ ८२ लाख का हिसाब-किताब रखा गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लोकल रेट्स के संबंध में जैसा कि हर साल किया जाता है १ करोड़ ३६ लाख का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मुख्तलिफ मदों में काफी रकमें देने के लिये इसमें प्रबन्ध है। इस प्रकार से कुल ६ करोड़ की रकम इसमें आती है। इसमें चेरिटेबिल पर्पजेज के लिये जो ग्रांट्स वक्तन-फवक्तन दी जाती हैं उनका भी प्रबन्ध है। महाराजा बनारस से जो मुआहिदा हुआ है रामलीला ग्राउन्ड के बारे में उसके अनुसार १ लाख रुपया दिया जाता है उसका भी प्राविजन इसमें रक्खा गया है। बहुत सी मदें हैं जिनका प्राविजन और स्पेसिफिक ग्रांट में नहीं हो सका वह इसमें किया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह सदन उसे स्वीकार करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के अनुदान हैं। कुछ तो पुरानी मदें चली जा रही हैं और कुछ नई मांगें दी गई हैं। नई माँगों में ६० तरह की मदें हैं विशेष तौर से २६ मदें तो ऐसी हैं जो श्रम विभाग से संबंधित हैं, जहां पर मजदूर रहते हैं उसमें अस्पताल, औषधालय और श्रम कमिश्नर के लिये योजनायें निर्धारित की गई हैं। कुछ मदें रोडवेज विभाग से संबंधित हैं और दो विभाग ऐसे हैं जो नये हैं और जो इस प्रदेश में अब तक नहीं रहे हैं। उसके लिये एक लाख रुपये का अनुदान है, एक भूगर्भ शास्त्र विशेषज्ञ सरकार की ओर से रक्खा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो नई मदें हैं उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन मदों को देखने से पता चलता है कि जो आयुर्वेद और यूनानी अस्पताल हैं उनके लिये कंपाउन्डरों की नियुक्ति होने वाली है। २६—श्रम हितकारी केंन्द्रों में मिडवाइब्ज की नियुक्ति की जाने वाली है और "सी" श्रेणी के चिकित्सालय और खोले जा रहे हैं। झांसी में "बी" श्रेणी के हितकारी केंन्द्र की स्थापना हो रही है जिसमें २९,६०० रु० का खर्चा रक्खा गया है। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, देखने से यह प्रतीत होता है कि इन मदों में कोई ऐसी मद शामिल नहीं है जिससे यह टपकता हो कि श्रम हितकारी केंद्रों में काम करने वाले या संबंधित मजदूरों को जो गरीब तबके के हैं उनके लिये कोई ऐसे स्थान बनाये जायेंगे जिससे उनका लाभ हो। आप देखेंगे कि इस अनुदान में ऐसी कोई मद नहीं है। कानपुर और लखनऊ में केंन्द्रीय सरकार ने जो कुछ मकान बनाने के लिये पारसाल सहायता दी थी उसके अनुसार लखनऊ में कुछ मकान बने और कानपुर में वे पूरे

नहीं हुये ऐसा स्मृतिपत्र के पढ़ने से मालूम होता है। लेकिन उन मजदूरों के रहने के लिये जो मकान बनाये गये हैं उनकी देख रेख के लिये एक और खर्चा बढ़ाया जा रहा है और जिसके लिये अनुदान मांगा गया है। मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि जो मकान बनाये गये हैं उनके रख-रखाव के लिये सरकारी प्रबन्ध होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ इतना अवश्य ख्याल रखना चाहिये कि इसके लिये जो खर्चा बढ़ाया जा रहा है उसके लिये नई मद न रख कर जो पहले से विभाग मौजूद है उसी विभाग से इसे संबंधित कर देना चाहिये और संबंधित करके मजदूरों की रक्षा के लिए उसी रुपये से नये मकान बनाये जायं तो यह सरकार के लिये और उन मजदूरों के लिये विशेष लाभप्रद होगा।

अध्यक्ष महोदय, ४ लाख १० हजार रुपया इसमें मांगा गया है कि नयी बसें चलाई जायंगी पुरानी निजी बसों के स्थान पर जो नयी योजना से बसें चलाई गई हैं उससे बसों में चलने वालों को कुछ सुविधा जरूर मिल गई है लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ असुविधा भी है और मैं समझता हूं कि उन असुविधाओं को सरकार को दूर करना चाहिये। सेंट्रल वर्कशाप कानपुर के लिये उपकरण और स्थिर यंत्र की खरीद के लिये १ लाख ९१ हजार रुपये का उसमें अनुदान है। सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर किस तरह का काम करता है, अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि कानपुर के रहने वाले और मजदूरों में काम करने वाले लोग इसकी विशेष जानकारी रखते हैं। इस वर्कशाप से जितना काम बसों का होना चाहिये वह मेरा ख्याल है कि नहीं के बराबर हो रहा है। इसी स्मृति-पत्र में लिखा गया है कि बहुत सी बसें ऐसी हैं कि जो बेकार पड़ी हैं और मैं तो उस जिले का रहने वाला हूं जहां पर सरकार की बहुत ज्यादा बसें चलती है और आये दिन देखता हूं कि जिस आदमी को कचेहरी में १० बजे पहुंचना होता है वह १२ बजे तक शायद कभी कभी पहुंच पाता है। इसका एक ही कारण है कि इस वर्कशाप में या और जिलों में जो वर्कशाप हैं सरकार के उनमें काम करने वाले अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं और सरकार के हुक्म से जो शिकायती-पत्र वहां रहता है उसके बारे में मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे क्या निवेदन करूं ? हजारहा कोई लिखा करे लेकिन यदि वहां का रीजनल मैनेजर उससे खुश है तो उस पर सरकार कोई हाथ नहीं उठा सकती है। इस तरह की मेरे पास बीसियों शिकायतें हैं कि सरकार नाकामयाब होती है ऐसे फोरमैनों को ठीक करने में, जो कि बसों को ठीक तरह से चलाने में ड्राइवरों की मदद नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसमें ३० हजार रुपया तिजोरी के लिये मांगा गया है। मैं इस संबंध में सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से डाकखानों का रुपया पास के थाने में रखा जाता है उसी तरह से इसमें भी होना चाहिये। बस स्टेशनों में रुपया रखा जाय और वहां पर पुलिस का कोई इन्तजाम न हो, मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। मैं आपसे नयी मदों के बारे में कहूंगा कि इसमें एक मद ऐसी है कि जिसमें १,६४९ नान-गजेटेड कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये रुपया मांगा गया है। यह बहुत ठीक है लेकिन पुरानी मदों में आप देखेंगे कि एक मद ऐसी है स्वतंत्रता दिवस की जिसके लिये १० हजार रुपये की मांग की गई है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह १० हजार रुपया जो हर साल सरकार खर्च करती है हाथी का जलूस निकालने में, उत्सव करने में, इसको बन्द करना चाहिये ; उत्सव तो जनता को करना चाहिये। यदि वह चिराग जलाना चाहती है या जुलूस निकालना चाहती है तो ठीक है, निकाले; लेकिन प्रदेश की सरकार का १० हजार रुपया इसके लिये खर्च करना ठीक नहीं है। इसके अलावा सरकार शरणार्थियों के लिये घूम मचाती है कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन इसमें शरणार्थियों के भोजन के लिये २८ हजार रुपये जो पिछले साल रखे गये थे उनको घटा कर २१ हजार रुपये कर दिये गये हैं। इसमें ७ हजार रुपया कम कर दिया गया है।

चिकित्सा में ४० हजार के बदले २० हजार कर दिया गया है। रोशनी और जल की सप्लाई के लिये ३० हजार के बजाय १५ हजार कर दिया गया है। पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई माताओं और बहनों का खर्चा जो ६५,५०० था इस साल ६०,००० कर दिया गया है और

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

विद्यार्थियों के लिये ११,१४,५०० के बजाय ९,५०,००० कर दिया है। इस प्रकार से मैं देखता हूं कि इसमें जो ठोस बुनियादी काम करने वाले खर्चे थे वे कम कर दिये गये हैं। इसके अलावा कंडक्टर और ड्राइवर के निवास स्थान के लिये चर्चा तक नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से कुछ लोगों की जगहें स्थायी की गई है, तिजोरी के लिये खर्च किया जा रहा है, उसी तरह कंडक्टर और ड्राइवर के रहने के लिये भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की भी एक मद है। मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारे प्रदेश में ३,४ फीसदी बेरोजगारी और है जब कि केन्द्र के वित्त मंत्री ने तो बेरोजगारी पर चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि विकास के इतने काम हुये लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ी है जिससे हमें चिन्ता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा और पीछे वक्त मिलेगा जवाब देते समय तो बताऊंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव हमने रखा है इस पर सरकार भी संजीदगी के साथ विचार करे।

*श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में जैसा मंत्री जी ने फर्माया है कि शरणार्थियों के लिये ४८ लाख रु० के करीब रखा गया है। शरणार्थी इस प्रांत में ६ लाख के करीब हैं और जब वे यहां आये तो जनता ने भी और सरकार ने भी उनकी सहायता के लिये काफी इंतजाम किया, मकान भी बनवाये, उनको करजे भी मिले हैं और भी हर तरह से उनकी सहायता की गई है और जिसके लिये शरणार्थी सरकार के और आम जनता के जरूर धन्यवादी होने चाहिये और वे उस बात के लिये आभारी हैं। लेकिन इस साल के आंकड़ों को अगर देखा जाय, पहले के तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस साल इस बजट में जो कुछ रखा गया है जो ४८ लाख रुपये रखे गये हैं उसमें जो कुछ मैंने आंकड़ों को देखा है उससे प्रतीत होता है कि तकरीबन २५ लाख के करीब तो आफिसर्स और एस्टेब्लिशमेंट की तनख्वाह में खर्च हो जाता है। इसमें ६६ हजार के करीब मोटरों का रखरखाव और पेट्रोल का खर्चा है और ५,६०,३०० के करीब कंटिजेंसी के लिये और अदर ऐक्सपेंसेज के लिये २,११,९०० रु० रख गये हैं। १७,०५,१०० के करीब आफिसर्स की तनख्वाह पर खर्च है। तो इन ६ लाख शरणार्थियों की देखभाल करने के लिये इन बजट में ८७ आफिसर्स दिये हुये हैं और १,२१९ अदर एस्टेब्लिशमेंट में, तो इस तरह से सब मिला कर १३०६ के करीब होते हैं और जो २५ लाख इनकी तनख्वाह पर खर्च होता है इस हिसाब से एक आदमी पर १,९४७ रु० खर्च आता है और जो कुछ शरणार्थियों पर खर्च हो रहा है और जैसा माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने कहा है कि जो जरूरी खर्च थे वे कम कर दिये गये हैं और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। और एक मद ११,००० रु० की कम की गई है और बजट मेमोरेंडम में दिया हुआ है कि हमने इसलिये कम कर दी है कि नरसेज जितनी पहले ट्रेंड होने के लिये आती थीं अब उतनी नहीं आयेंगी। ऐसा ही स्टूडेंट्स के लिये भी है। हालांकि बेकारी पढ़े लिखो में हो गई है काफी, लेकिन उनका अनुमान है कि नर्सेज बनने के लिये लड़कियां कम आयेंगी तो ११,००० हम कम कर रहे हैं और जो ४८ लाख रुपया है उसके पूरा करने के लिये ५६ लाख रुपया सरकार को मिल रहा है। इसमें से ४० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से और १६ लाख रुपया शरणार्थियों से किराये से वसूल हो रहा है।

११ लाख रुपये दूकानों के किराये से और ५ लाख रुपया जो स्कूलों की फीस है उससे है। तो ५६ लाख रुपये की तो आमदनी है और ४८ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और उस पर भी उसमें से कम करते जा रहे हैं तो इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और खासकर जो कंस्ट्रक्टिव विभाग हैं जिसमें खर्च करने से शरणार्थियों की कुछ मदद हो सकती है, वहां ज्यादा खर्च करना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थोड़ा सा एक तरफ और मैं माननीय सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गो मैं इस विचार का हूं कि हमारे समाज में ही करप्शन काफी है और सभी विभागों में करप्शन है मगर यदि मैं दो एक उदाहरण दे दूं तो आपको पता चलगा कि इस विभाग में कितना करप्शन है। मेरा अनुभव मेरठ जिले का ही है और वहीं की दो एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कितनी परेशानी इन शरणार्थियों को हो रही है जिनकी सुविधा के लिये इतना रुपया खर्च किया जा रहा है। हो सकता है कि लापरवाही इसमें हो या यह भी हो सकता है कि काम ज्यादा हो लेकिन एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। गाजियाबाद का एक आदमी एक मकान के एलाटमेंट के लिये दरख्वास्त देता है, उस मकान के लिये सिर्फ दो ही दरख्वास्तें हैं और उसको तय करने में वहां के जो अधिकारी हैं, वह छः महीने लेते हैं हालांकि जिस दिन पेशी आखिरी होती है तो उसका वह फैसला १५ मिनट में ही कर देते हैं। मगर इसके लिये उसे १२ दफा गाजियाबाद से मेरठ आना पड़ता है। एक दफा आवे तो कम से कम तीन रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। वह एक मामूली दूकानदार था, तो उसके सैकड़ों रुपये तो आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं। हर हफ्ते के बाद तारीख और हर तारीख को और कुछ नहीं सिर्फ यह लिख देते हैं कि आज जो आफिसर हैं उनको फलां काम है, आज उनको यह काम है, इसलिये दूसरी तारीख को आओ। अब हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि काम ज्यादा हो या यह हो सकता है कि लापरवाही हो। पहली पेशी में ही फैसला कर सकते थे लेकिन ख्वामख्वाह उसे परेशान किया गया। बाद में मालूम पड़ा कि दफ्तर के एक आदमी ने एक से पैसा ले लिया था और दूसरे ने दूसरे से पैसा ले लिया था, इस वजह से दोनों को इतने दिनों तक दौड़ना पड़ा।

और एक उदाहरण बताऊं जिसके लिये कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। मकान कुछ ऐसे हैं कि जिनके लिये यह है कि वह आक्शन कर दिये जायंगे जो कि अनइकोनामिक हैं। अब एक व्यक्ति का मकान अनइकोनामिक था, उसके पास नोटिस आयी कि तुम्हारा मकान आक्शन कर दिया जायगा। वह दफ्तर पहुंचे, एक आदमी को ५० रुपया दिया। उसने उस मकान को उस लिस्ट से ही निकाल दिया। यह एक ऐसा फैक्ट है कि अगर अधिकारी उसको चेक करें तो मकान पहली लिस्ट में मिलेगा और बाद में वह मकान लिस्ट में से गायब मिलेगा क्योंकि उन्होंने क्लर्क को रुपया दे दिया था। एक थोड़ी सी बात और बतलाना चाहता हूं कि जो मकान आक्शन होते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टाउट्स का काम करते हैं। वह दफ्तर से मिले रहते हैं और पार्टीज से जाकर कहते हैं कि तुम हमें इतना रुपया दे दो, हम मकान तुम्हें दिलवा देंगे। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--श्रीमन्, मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जहां पर कि हिन्दू मुसलमान दोनों तरह के शरणार्थी रहते हैं। सन् १९४७ में पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग एक लाख आदमी हरिद्वार ज्वालापुर में आये। उन्हीं दिनों वहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि वहां पर ज्वालापुर के आसपास के देहात के पंद्रह या बीस हजार मुसलमानों को वहां से बाहर जाना पड़ा। यह खुशकिस्मती है और सरकार के लिये गौरव की बात है कि उन्होंने उन लोगों को एक या डेढ़ वर्ष में उन्हीं गांवों में बसा दिया जहां पर कि वह पहले बसे हुये थे। लेकिन ज्वालापुर के पास एक आने की गांव है जहां पर कि एक बड़े जमींदार रहते थे। उनकी प्रापर्टी को इवैकुई प्रापर्टी करार दे दिया गया। वह आज भी रुड़की में रहते हैं लेकिन उनकी जमीन जायदाद इवैकुई प्रापर्टी है। और मुझे इससे मतलब नहीं है कि वह इवैकुई प्रापर्टी मानी जाय या नहीं। वहां जो जमींदार काश्तकार थे उनसे जमींदारों ने और सरकारी अमीनों ने ५ वर्ष तक लगान वसल किया, १३५५ फसली से १३५९ तक वसूल किया। यह लगान ५ वर्षों तक सरकार ने वसूल किया है और जमींदारों ने वसूल किया है। अब उन गांवों के किसानों को नोटिस दिया गया है कि क्योंकि वह इवैकुई प्रापर्टी है--यद्यपि वह नहीं है--

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

इसलिए ५ वर्षों का लगान उन काश्तकारों को कस्टोडियन के यहां जमा करना चाहिये। तो मैं यह समझता हूं कि उस इलाके में जहां पर कि पहले जमीन की समस्या विकट है वहां ऐसे तरीके बरते जाने उचित नहीं हैं। हरिद्वार में मेरे जिले के, झेलम जिले के काफी लोग बसते हैं। उन्होंने आज से ४ वर्ष पहले एक हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी थी और १९५०-५१ में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन आज तक अधिकारियों ने उनको उचित जमीन दिलाने का प्रबन्ध नहीं किया, हालांकि ३ वर्ष हो गये हैं। एक ओर सरकार कहती है कि हम शरणार्थियों को बसाने के लिए कुछ सुविधाएं देते हैं, लेकिन वह जमीन अभी तक नहीं मिली है और अफसरान ने अब तक यह भी नहीं कहा है कि इस बारे में क्या कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार मेरे से पहले वक्ता ने यह कहा कि ४८ लाख रुपये का तो खर्चा है इस मुहकमे में और ५६ लाख या साढ़े ५६ लाख आमदनी है। मेरा विचार है कि यह जो ८ लाख रुपया इस प्रकार सरकार को बचता है उसको बचत न करके शरणार्थियों के ही विविध कामों में उसे लगा देना चाहिये। आज से कई वर्ष पहले जितने शरणार्थी थे, उन सबके बच्चों को शिक्षा पाने की सहूलियत थी और उनकी फीस माफ थी, लेकिन अब धीमे-धीमे वह फीस ली जा रही है और यह नहीं देखा जाता कि वह इस लायक हैं या नहीं। मेरी राय में यदि ८ लाख रुपया या जो कुछ हो, वह बचाया जाय तो उसको वह इस काम में लगा सकते हैं कि जो बेचारे विद्यार्थी हैं वह उनको दिया जाय। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर एक लाख के करीब शरणार्थी आये थे, लेकिन आज भी वहां पर १५-२० हजार रहते हैं और उनमें से ज्यादातर बेरोजगार हैं। सरकार को चाहिये कि उनके लिए छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का इन्तजाम करे ताकि वे शरणार्थी जो कि पहले पाकिस्तान में बसते थे और अपनी आजीविका अच्छी कमाते थे वे फिर अपनी रोजी कमा सकें।

कल मंत्री जी ने राय-सिक्खों के सम्बन्ध में एक राय जाहिर की थी। मैं समझता हूं कि जो सूचना मंत्री जी को मिली है वह सही नहीं है। राय सिक्ख पूर्वी पंजाब के रहने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज से ५० वर्ष पहले जिस समय कि पंजाब की उन दिनों की सरकार ने लायलपुर, मांटगोमरी, सरगोधा और झंग के इलाके में नये रूप से बसाने की योजना रखी तो पूर्वी पंजाब के सिक्ख उन इलाकों में जो कि नये बसाये गये थे जाकर बस गये थे और उन्होंने जमीन खरीद ली और बस गये। पार्टीशन के बाद पंजाब सरकार की यह नीति बनी कि जो पूर्वी पंजाब से लोग गये थे उनमें जो नये बसें उनको उन्हीं में, अमृतसर और जालंधर में बसा दिया जाय। लेकिन उनमें से कुछ सिक्ख जो राय-सिक्ख कहे जाते हैं नैनीताल चले आये और उन्होंने वहां जमीनें ले लीं और बसने की इच्छा की। नैनीताल में उस वक्त ज्यादातर जंगल खड़े हुए थे। वहां उन्होंने मेहनत की, लेकिन बाद में, सरकार की नीति बदल गयी और उन्होंने उन जमीनों को, जिनको कि उन्होंने तैयार किया था और बसाया था, उनसे हटाकर दूसरे लोगों को बसाया और वह राय सिक्ख अब खाली हो गये। कहा यह जाता है, जैसा कि कल कहा गया कि राय सिक्ख जो हैं वह समाज के लिए हानिकर आदमी हैं, इसलिए उनको बसाने की हम सुविधा नहीं दे सकते। मेरा ख्याल यह है कि सच्चाई दूसरी ओर है और उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि शरणार्थी लोगों को हमको बसाना है और उनको शिक्षा के अच्छे साधन देना है तो जब तक कि वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते और इस लायक नहीं हो जाते कि वह समर्थ हो सकें तब तक उनको वे सुविधायें मिलनी चाहिये। अब बहुत से शरणार्थियों को भारतीय सरकार से मुआविजा मिलने वाला है। मैं प्रान्तीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस मुआविजे में उन मकानों को भी शामिल किया जा रहा है जो आज से ६-७ वर्ष पहले देहरादून, हरिद्वार

और सहारनपुर में बनाये गये थे। वह बिल्कुल कच्चे और एक ही धक्का मारने से टूट सकते हैं तो मुआविजे में ऐसे मकानों को शामिल करना उचित नहीं है। महंगाई के जमाने में यह मकान बनाये गये थे तो उनकी उतनी रकम काटना शरणार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। अगर मकानों की कीमत काटना ही है तो आज कल के मार्केट रेट से काटी जानी चाहिये न कि उस दर से जब कि वह १९४९-५० में बनाये गये थे। यह भी आप जानते हैं कि यह मकान ठेकेदारों के द्वारा बनाये गये हैं और ठेकेदारों ने सीमेंट के स्थान पर रेत लगाया था और उनकी छतें भी बरसात में बेकार हो चुकी हैं। ऐसे मकानों को मुआवजे में बदलना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार शरणार्थियों के साथ उसी तरह से ध्यान दे जैसे कि दिया जाना चाहिये। बाकी मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में रामपुर तथा टेहरी के प्लानिंग कमेटीज के लिये सवा दो लाख रुपये दिखाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बजट आंकड़ों से जाहिर है और उसके साहित्य से भी कि जब रामपुर और टेहरी दोनों रियासतें विलीन होने के पश्चात् इस प्रदेश में मिलीं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम नहीं किये गये थे और न वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं ही। इसीलिये मिसलेनियस हेड में सवा लाख रुपया रामपुर के लिये और एक लाख रुपया टेहरी के लिये दिया जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की ऐक्टीविटीज को वहां पर प्लानिंग कमेटीज करती हैं और एक लाख रुपया हमारे जिले को दिया जाता है। इस एक लाख रुपये में से अस्सी हजार रुपया रोड्स और मिलों के लिये है, १० हजार रुपया ड्रिंकिंग वाटर के लिये और दस हजार रुपया स्कूलों के लिये है। इस तरह से कुल मिला कर हमारे जिले को एक लाख रुपया दिया जाता है। सवा लाख रुपया रामपुर को दिया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वैसे तो पर्वतीय इलाके सभी पिछड़े हुये हैं और हमारे जिले में १९४९ में रियासत मर्ज हो गई थी और मुझे अफसोस है कि पंच वर्षीय योजना में कोई स्थान किसी डेवलपमेंट के लिये टेहरी को नहीं दिया गया है और ८० हजार रुपये का जो रोड्स और पुलों के लिये प्रावीजन रखा गया है तो मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में एक मील लम्बी सड़क में ५० हजार रुपया खर्च हो जाता है और स्कूलों के लिये केवल दस हजार और पानी के लिये दस हजार रुपया बहुत ही कम है। मेरा ख्याल है कि इसमें एक लाख रुपया रखने की वजह से अन्य विभागों का जो बजट पेश होता है उसमें यह कह दिया जाता है कि वहां पर तो प्लानिंग कमेटी के द्वारा काम होता है इसलिये इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तथा पी० डब्ल्यू० डी० वगैरा में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है और पंचवर्षीय योजना में भी कुछ नहीं दिया जाता है। इस साल लोगों ने बहुत सी सड़कें बनाई हैं। सेल्फ हेल्प में लोगों ने जितना काम किया है उतना उनको रुपया नहीं दिया गया है। जाहिर है कि प्लानिंग कमेटी द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरा की ऐक्टिीविटीज होती हैं इस छोटी सी रकम से नहीं हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, जितने पर्वतीय जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। जिले से मांग आई थी कि फ़ारेस्ट प्रौडक्ट्स पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को टैक्स (सेस) लगाने का अधिकार दे दिया जाय जिससे उनकी हालत सुधर सके। सरकार ने इस पर अभी कोई फाइनल विचार नहीं किया है या सरकार इसको उचित नहीं समझती है। लेकिन फिर भी पर्वतीय जिलों की हालत सुधारने के लिये तथा अन्य ऐक्टीविटीज को डेवलप करने के लिये साढ़े सात लाख रुपये की स्पेशल नान रेकरिंग ग्रांट रखी गई है। यह मानते हुये कि पर्वतीय जिलों के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत अच्छी नहीं है उनको कुछ स्पेशल ग्रांट दे दी जाय। हमारा जिला इस ग्रांट से भी

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

वंचित रहता है चूंकि वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ऐक्टिविटीज प्लानिंग कमेटी द्वारा की जाती है। तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि रामपुर को भी और हमारे जिले को भी कुछ ग्रांट अवश्य बढ़ा दी जाय। पर्वतीय इलाकों को जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, रेगुलर ग्रांट के अलावा वक्तन-फवक्तन स्पेशल ग्रांट भी मिल जाती है जिससे हमारा जिला महरूम रह जाता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बढ़ती हुई कार्यवाहियां जो हो रही हैं उनको देखते हुये सेल्फ हेल्प के मातहत अधिक रुपया रखें। लोगों ने स्कूल बना दिये हैं, सड़कें भी बन रही हैं लेकिन प्लानिंग कमेटी उनको १/३ भी नहीं दे पा रही है। जाहिर है कि गवर्नमेंट की ओर से जब स्कूल्स की बिल्डिंग्स वगैर के लिये ग्रांट नहीं मिलती है तो उनका उत्साह कम हो जाता है। प्लानिंग कमेटी की ओर से उनको कम से कम ५० परसेंट ग्रांट अगर दी जाय तो ज्यादा सुविधा लोगों को हो सकती है।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पोस्ट-वार रिकंस्ट्रक्शन फंड की ओर दिलाना चाहता हूं। इस फंड में जो रुपया जमा हुआ है वह पर्वतीय इलाकों, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के बहादुर सिपाहियों का जो लड़ाइयों में लड़े उनकी तनख्वाहों से कट कर जमा हुआ है। जो सेलर्स ऐंड सोल्जर्स बोर्ड है उसका २५ परसेंट खर्चा तो हमारी सरकार देती है, ७५ परसेंट केन्द्रीय सरकार तथा पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन फंड में जिसमें सिपाहियों के वेतनों से कट कर रुपया जमा हुआ है उससे मीट आउट होता है। श्रीमन्, इस फंड में काफी रुपया है लेकिन अभी तक किसी भी सोल्जर्स बोर्ड को हमारे यहां इस फंड से पैसा नहीं दिया गया है और ऐसा सुना जाता है कि इस पैसे से यहां लखनऊ में स्कूल बनवाया गया है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन फंड का पैसा जिलेवार तकसीम कर दिया जाय ताकि वहां के सोल्जर्स के बच्चों को पढ़ाई आदि का प्रबन्ध हो सके।

†श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो कि हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें एक बहुत काफी बड़ी रकम ६,५०,१७,६०० रुपये की रखी गयी है जिसमें विविध विभागों के विविध विषय सम्मिलित किये गये हैं। मैं उन सभी मदों की चर्चा नहीं करना चाहता, केवल ३, ४ मदों की चर्चा करूंगा। एक तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्तर्गत १ लाख ७६ हजार की मांग है, दूसरे पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी महिलायें आयी हैं उनके लिये जो गृह स्थापित है उसके लिये ६० हजार रुपये की मांग है और एक तीसरी मांग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कों आदि की सहायता के लिये ३० लाख रुपये की है तथा एक मद और है वह पाथ्स के रखरखाव के लिये ७६,२०० रुपये की है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इस मद में काफी रुपया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये है। इंम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अगर इतिहास देखें तो हमें मालूम होगा कि करीब एक करोड़ रुपये के हमने विभिन्न समय में इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को दिया हुआ है। इसका कभी-कभी तो सरकार को ब्याज भी नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वर्किंग पर एक दफा विचार करें। उनकी प्रणाली का निरीक्षण करें और उसमें इस बात को देखें कि हम उन्हें अपने प्रान्त के लिए किस प्रकार अधिक उपयोगी बना सकते हैं। मैं जानता हूं कि कई जगह के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के खर्च में कमी की जा सकती है बिना इफीशेंसी को गिराये हुए, उन पर विचार होना आवश्यक है। मैं कम से कम आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्बन्ध में जानता हूं। मेरा ख्याल यह है कि वहां कोई आवश्यकता

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात की नहीं है कि इंजीनियर और सेक्रेटरी के दो पद रखे जायं। वहां जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिये इस बात की आवश्यकता नहीं है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और जिस तरीके से बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इंजीनियर और सेक्रेटरी की एक ही जगह रखी है, वह टेक्निकल पोस्ट उसकी कायम रखें। उससे मेरा ख्याल यह है कि दस बारह हजार रुपये की बचत आगरे में हो जायगी। मैं नहीं समझता कि क्या आवश्यकता थी कि आगरे के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी को पिकअप बारह या पन्द्रह हजार की लेकर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--क्या इस अनुदान में इसका जिक्र है ?

श्री देवकीनन्दन विभव--इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए १ लाख ७९ हजार की मांग है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इसी बात को संकेत करना चाहता हूं और मुझे भी इस तरफ दिलचस्पी रही है, मैं चाहता हूं कि प्रदेश में हाउसिंग व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की वर्किंग का एक बार निरीक्षण करें और देखें कि हम क्या सुधार कर सकते हैं।

दूसरा आइटम जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह ६० हजार रुपये की मद है जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आयी हुई महिलाओं के लिए, करीब सवा सौ महिलाओं के आने के बाद उनके लिए गृह बनाये गये हैं, उनके लिए मांग की गयी है। मैं समझता हूं कि इतने लम्बे काल से वह महिलाएं वहां पर हैं और मेरा ख्याल यह है कि अब तक उनकी शादी करके या किसी तरह से भी काम में लगा कर साठ हजार रुपये को बचाया जा सकता था और इसकी आवश्यकता नहीं होती।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह २० लाख रुपये की रकम है जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों के सुधार के लिए रखी गयी ह। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें अमूमन इतनी खराब हैं कि मैं तो समझता हूं कि सरकार को यह ध्यान करना पड़ेगा कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अधिक आमदनी शिक्षा में खर्च हो जाती है तो क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि जिस स्थिति में वह सड़कें हैं उनको सरकार ले ले और उनका रखरखाव वह स्वयं करे। आगरा में जो अछनेरा सड़क है, वह इतनी प्रमुख सड़क होते हुए भी इतनी खराब दशा में है लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा नहीं है इसलिए वह सुधारी नहीं जा सकती।

चौथी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा वह पार्कस के लिये है। आप जानते हैं कि प्रत्येक शहर में पार्क वही काम करते हैं जो शरीर में फेफड़ा काम करता है ।मैं समझता हूं कि सरकार पार्कों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि दिया जाना चाहिये। आज कल जो पार्क विक्टोरिया पार्क और गांधी पार्क हैं उनकी दशा मेरे ख्याल से दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। उनके लिये आवश्यकता इस बात की है कि अधिक पैसा उनको दिया जाय और उनके लिये उचित व्यवस्था की जाय। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जो गांधी पार्क का नाम था जिसको कि जीवित पार्क कहा जाता था और उसका नाम वहां की जनता ने ही गांधी पार्क रखा था लेकिन अब उसका नाम बदल कर कुछ और नाम रख दिया गया है जो कि वहां की जनता की भावना के विरुद्ध है। इसकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह चौथी बात थी जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये

[श्री शिवमंगलसिंह कपूर]

खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बनारस एक ऐसा स्थान है कि उस पवित्र स्थान पर हमारे पश्चिमी पंजाब के और पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भाई अधिक संख्या में उस नगर के गंगातट के निकट बसे हुय हैं। सरकार ने जो सहानुभूति और हमदर्दी उन शरणार्थी भाइयों के साथ दिखाई है वास्तव में वह सराहनीय है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने उन शरणार्थी भाइयों के साथ सहानुभूति और हमदर्दी दिखाई है वास्तव में वह सोने के हरूफों में जब तवारीख लिखी जायगी तो यह चीज भी लिखी जायगी। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार के कर्मचारी यह ख्याल नहीं करते हैं। मैं उनके दृष्टिकोण को देखता हूं तो उससे उनको बहुत परेशानी हो जाती है। एक तरफ सरकार उनको आश्वासन देती है और उनको बसाने के लिये वह हर किस्म की सहायता उनको देती है। इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और मैं उनसे मिल भी चुका हूं और उनके पास दरख्वास्त भी भेजी है और दूसरे विभाग के मंत्री ने उस अप्लीकेशन पर सिफारिश करके मंत्री महोदय के पास भज दिया था।

मैं यह तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बनारस में सिन्धी रिफ्यूजी कोआपरेटिव सोसाइटी और पंजाब रिफ्यूजी कोआपरेटिव सोसाइटी बनीं। बनारस में इतनी जगह पड़ी हुई है कि अगर वहां पर मकान बनाये जायं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हजारों मकान वहां पर बन सकते हैं और एक, एक करोड़पति और लखपती की जमीन इस तरह से पड़ी हुई है कि जिसकी आमदनी लाखों रुपया है। लेकिन कलेक्टर ने, वहां के प्रशासक महोदय ने सिफारिश करके उन कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये लैंड एक्वायर करने के लिये आर्डर दिया और रुपया जमा कर दिया गया। उनको परमिशन भी मिली और उस जमीन पर कब्जा भी मिल गया। अब यह जो सेक्रेटेरियट है और यहां पर जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनके पास वह करोड़पति पहुंच गये और उसका नतीजा यह हुआ कि उन गरीब रिफ्यूजीज का रुपया वापस कर दिया गया। वह जमीन उनसे वापस ले ली गयी। यह तो इस सरकार के अधिकारी करते हैं। मैं इस बात को बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार के अधिकारियों ने पूंजीपतियों की बातों को हमेशा सपोर्ट किया है लेकिन आज उनकी हरकत को देखकर बड़ा दुःख होता है। आज शरणार्थी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने आपको वोट दिलाया, आपने हमारा काम नहीं कराया। आज हम शरणार्थी हैं इसलिये हमारा रुपया वापिस किया जा रहा है और उस पर न ब्याज है न सूद। हमने न जाने किस प्रकार से यह रुपया जमा किया था और अब इतने दिन बाद वह वापिस मिल गया है। यहां पर एक लखपती आदमी की सिफारिश हो गयी और उनसे जमीन वापिस ले ली गयी। शरणार्थी विभाग कोशिश करता है लेकिन लैंड एक्वीजीशन का उसमें अड़ंगा लग जाता है और इस प्रकार से काम नहीं हो पाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी वास्तविक सहानुभूति शरणार्थियों के साथ है लेकिन कृपा करके कैबिनेट में यह तय कर लीजिये कि हम शरणार्थी को बसायेंगे और हर विभाग उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको बसाने का प्रयत्न करेगा।

तीसरी बात यह है कि कल माननीय माल मंत्री जी ने नैनीताल के क्षेत्र के राय शरणार्थियों का जिक्र किया तो मुझे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। वही नहीं और भी बहुत से ऐसे रिफ्यूजीज है पूर्वी बंगाल के भी और पश्चिमी पंजाब के भी, जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर नहीं कराया लेकिन वह ऐसी ही मुसीबत का समय था जिसके कारण वे अपने आपको रजिस्टर नहीं करा पाये। अगर वे ऐसा नहीं कर पाये और उन्होंने मेहनत करके जमीन को जोत लिया है तो सरकार को उनकी ओर भी

सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। आप क्राइम पेशा वालों को भी तो बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिये आप मकान बना रहे हैं, तो फिर उन राय सिख परिवार के लोगों से ऐसा क्या गुनाह हो गया कि उनके प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है? इस लिये मेरी गुजारिश है कि जिस प्रकार से क्राइम पेशावालों को सहूलियतें दी जाती हैं उसी प्रकार से उनको भी बसाने का प्रयत्न किया जाय।

इसके साथ ही साथ श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि शरणार्थियों के विद्यार्थियों को भी बहुत सी दिक्कतें हैं। सरकार ने जी० ओ० ईश्यू कर दिया है कि शरणार्थियों की फीस माफ कर दी जाय लेकिन जब हम अमीनाबाद जाते हैं तो रजिस्टर्ड शरणार्थी हमसे कहते हैं कि उनके लड़कों की फीस माफ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में एजूकेशन डिपार्टमेंट का क्या रवैया है। यहां से आर्डर होता है कि फीस माफ कर दी जाय लेकिन जब दरख्वास्त दी जाती है तो मैनेजिंग कमेटी फ्री नहीं करती है। यही कारण है कि शरणार्थी हमारे बजाय जनसंघ की ओर गये और इलक्शन में हमें वोट न देकर जनसंघ को वोट दिया।

श्री अध्यक्ष—इलेक्शन का जिक्र यहां नहीं आना चाहिये।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह शरणार्थियों की मदद करे। अगर सरकार इस ओर ध्यान रक्खेगी और अपने कर्मचारियों को हिदायत करेंगी तो मैं समझता हूं कि शरणार्थियों को जिस प्रकार से आप में संतोष रहा है उसी प्रकार से संतोष रहेगा और सरकार उन्हें सुखी पायेगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस ६ करोड़ की ग्रान्ट का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग पुराने रिफ्यूजीज हैं और इस देश में हमारी जो दशा है वह सरकार से छिपी नहीं है और सरकार जो रुपया खर्च के लिये देती है उसकी एक-एक पाई ठीक ढंग से खर्च नहीं होती। आज कल अब जमाना यह है कि गांवों से शहरों की ओर चला जाय, सब लोगों को शहरों से गांवों की ओर चलना चाहिये, गरीबों की झोपड़ियों की ओर चलना चाहिये। वहां की सड़कों की हालत बहुत अबतर हो रही है। मैं श्रीमन् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास काफी खजाना है वहां बड़ा भारी मिस मेनेजमेंट है। इसलिये मेरी तो यह प्रार्थना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जब्त कर लिया जाय। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ९ मील सड़क बन रही है उसको वे लोग बना रहे हैं जिन्होंने सन् ५७ में अंग्रेजों की मुखालिफत की थी वे लोग सड़क चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। इसके लिये हम सरकार से एक लाख रुपया मांगते हैं कि अगर वह इतना रुपया दे दे तो यह सड़क बन जाय। आज सारा जिला शहर से कटा हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिसलेनियस पैसा जो है यह सद्धर्म से खर्च किया जाय तो हमारे यहां एक लाख रुपये की जमीन परती पड़ी हुई है, अगर उसको हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद ले तो उस जमीन में बहुत से रिफ्यूजी और हरिजन भी बसाये जा सकते हैं। जो पिछले चीफ मिनिस्टर पन्त जी थे उनसे मैंने इसका जिक्र किया था लेकिन अब तो वे यहां हैं नहीं। इसलिये मैं मौजूदा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपने हाथ में कंट्रोल लेकर इस काम को कर दे तो सरकार के बहुत से प्राबलम्स हल हो सकते हैं। वहां रिफ्यूजीज बसाये जा सकते हैं; गवर्नमेंट के आफिसेस खुल सकते हैं, शहर में जो मेहतर रहते हैं जिनको बड़ी तकलीफ है, उनको भी बसाया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती में हम एक डिग्री कालेज भी चलाना चाहते हैं। उसके लिये भी अगर कुछ पैसा यहां से मिल जाय तो सरकार की बड़ी कृपा होगी। अध्यक्ष

[श्री शिवनारायण]
महोदय, जमीन वहां पर परती पड़ी हुई है, हमारे स्कूल वहां चल रहे हैं लेकिन स्कूल के पास ज़मीन नहीं है। वहां जो जमीनें हैं वे राजा साहब वग़ैरह बड़े-बड़े जमींदारों की हैं। अगर सरकार उसमें सहायता करे तो वे जमीनें भी हमको मिल सकती हैं और उससे हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष——आप समझते हैं कि शायद विविध व्यय का अनुदान है इसलिये आप विविध बातें भी कर सकते हैं।

श्री शिवनारायण——कालोनाइजेशन एरिया के भी १८ आदमी नैनीताल जेलखाने में बन्द हैं। वे बसने के लिये जमीन मांगने गये थे लेकिन उनको जमीन न देकर जेलखाने में बन्द कर दिया गया। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जमीन उनको भी मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं उन पर वह विचार करे।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं इस अवसर पर जो मैंने कई अनुदान देख, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये ३० लाख रुपये का रखा जाना और पर्वतीय प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिर चुकी है उनकी सहायता के लिये भी साढ़े ७ लाख रुपया रखा गया है, इसलिये मैं सरकार का बहुत आभारी हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने वहां के गरीब जिलों को भी आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है। मगर इस अवसर पर मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और कई सुझाव मेरे और कई दोस्तों ने भी सरकार के सामने रखे कि जब पंचायत राज के जरिये काम हो ही रहा है तो फिर अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। इससे सिर्फ डुवेल कंट्रोल होता है और जनता पर एक तरफ तो पंचायत का टैक्स लगता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स लगता है। तो दो पैरलेल संस्थाओं की कोई भी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब पंचायत राज को सरकार आज भी अनुदान देती है तो उनके ही जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों वाला ग्रान्ट भी जनता के हित में खर्च किया जाय। आज जो बड़े विभाग हैं जिनको अभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लिये हुए हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले ले। जैसे बड़े-बड़े स्कूल्स की व्यवस्था भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है, जो सड़कों की व्यवस्था है वह पी० डब्यू० डी० के जरिये हो सकती है, इसी तरह से अस्पतालों की व्यवस्था मेडिकल डिपार्टमेंट के जरिये हो सकती है। जब मैंने प्रश्न पूछा था तो प्रश्न के अवसर पर आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि लोहाघाट अस्पताल का सरकार प्रान्तीयकरण करना चाहती है लेकिन वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एतराज कर रहा है कि उसका प्रान्तीयकरण न किया जाय।

मेरी समझ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह व्यवस्था समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो वहां अस्पताल के लिये कोई इमारत नहीं है और दवाइयों के लिये भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता है और दूसरी तरफ सरकार से यह भी कहा जाता है कि इसका प्रान्तीयकरण न किया जाय। यह डाग इन दी मेंजर Dog in the manger, अर्थात् न खुद करे न दूसरे को करने दे की पालिसी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है वह जनता के हित में नहीं है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को रखने से जनता का हित नहीं हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तो सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके हाथों में अधिकार सुरक्षित रहे। एक तरफ तो जो प्रान्तीयकरण का कदम उठाया जाता है उसके लिये वे एतराज करते हैं और दूसरी तरफ अगर वहां की वस्तु परिस्थिति देखी जाय तो वहां की जनता को बहुत तकलीफ है।

मेडिकल एड दवाइयों के लिये सिर्फ ४ सौ रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देता है और ५-६ हजार मरीज वहां पर आते हैं तो इस हिसाब से दो पैसे की दवा भी एक मरीज को उस अस्पताल से नहीं मिल सकती । इस प्रकार सरकार समझ सकती है कि कितनी मेडिकल सहायता वहां के लोगों को उपलब्ध हो सकती होगी। जिला अल्मोड़ा जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं एक बहुत ही विशाल क्षेत्र वाला जिला है और जो इंडियन टिबेटियन बार्डर तक फैला हुआ है, एक तरफ उसके नेपाल का और दूसरी तरफ तिब्बत का इलाका है। वह इतना बड़ा भूभाग है कि जहां पर जिला बोर्ड कुछ भी नहीं कर पा रहा है और किसी तरह का यूनिफार्म डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा है और तमाम डेवलपमेंट शहरी इलाके तक ही सीमित रह जाता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा वहां कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है। यदि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की व्यवस्था को वहां से हटा कर पंचायत राज को यह काम दे दे तो इससे बहुत अधिक जनता का हित हो सकता है। इसके अलावा मुझे मालूम है और मैंने देखा है कि वहां बहुत सी फजूलखर्ची भी हो रही है।

पिथौरागढ़ एक जगह है वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक डाक बंगला है, वहां पर चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना डाक बंगला पी० डब्ल्यू० डी० वालों को नहीं दिया, इस लिए वहां एक और डाक बंगला ५०,००० रुपया लगाकर बनाया जा रहा है। अच्छा होता कि यह ५०,००० रुपया इस समय वहां अस्पताल या स्कूल में लगाया जाता। इसी तरह से बागेश्वर के लिए भी डाक बंगला ग्रान्ट हुआ है, यह भी फजूलखर्ची है, अगर स्कूल या जनाना अस्पताल वगैरह वहां इस रुपये से बनाया जाता तो उससे बहुत अधिक जनता का हित हो सकता था। तो मैं यह निवेदन करूं कि इस तरह की संस्थाओं से बजाय जनता के हित के और अनहित हो रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान खास तौर पर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ भी खर्च सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा कर रही है वह सब स्थानीय संस्थाओं द्वारा खर्च कराया जाय और वह पंचायत राज अधिकार में पहुंच जाय तो वहां की गरीब जनता का बहुत कुछ हित हो सकता है।

दूसरे वन विभाग से जो आमदनी होती है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित करा चुका हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वन विभाग में पर्वतीय क्षेत्र से सरकार को बहुत आमदनी है और उस आमदनी का कुछ न कुछ हिस्सा वहां के विकास के लिए जरूर मिलना चाहिये और चूंकि वहां के लोग न तो अमीर हैं और न उनके पास कोई उद्योग-धंधे हैं जिनसे वहां का विकास सम्भव हो। अगर वहां विकास सम्भव हो सकता है तो वह इसी तरह से हो सकता है कि वहां से वन विभाग को जो आय होती है उसका कोई यथेष्ट भाग वहां लगाया जाय और अगर वह धन पंचायत राज के द्वारा खर्च कराया जाय तो वहां की बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

*श्रीमती सज्जनदेवी महलोत (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विविध-व्यय के बजट के सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं और खास कर उन पूर्वी पाकिस्तान से आने वाली बहिनों के लिए जो रुपया रखा है उसके लिए। मैं चाहती हूं कि उनके लिए जो निवास बनाये जायं वह ऐसी जगह बनाये जायं जहां पहुंचकर वह बहिनें अपना जीवन निर्वाह भली-भांति कर सकें। अभी एक होम बनारस में चल रहा है, जहां पर १५० विधवा और बूढ़ी बहिनें निवास कर रही हैं वहां मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका मिला है लेकिन उनकी व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। १२ रुपया माहवार जो सरकार देती है उससे न तो उनके इलाज की व्यवस्था ही हो पाती है और न कपड़े आदि की ही पूरे तौर से व्यवस्था हो सकती है। जहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सज्जन देवी महनोत]

जायं वहां शिकायत हुआ करती है कि हमारे पास आज लोटा नहीं है आज थाली नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उन बहिनों के लिए कम से कम माहवारी खर्च बढ़ाने की कृपा करें। दूसरे जो हमारे शरणार्थी विद्यार्थी हैं उनकी बात मेरे भाई शिवमंगल सिंह जी ने कही है वह बात वास्तव में ठीक है। कोई सौ रुपया कमाता है और उसके चार-चार, पांच-पांच बच्चे पढ़ाने वाले होते हैं उनके लिये बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिन बेचारों की जायदाद छूटी है मकानात छूटे हैं और वह यहां आकर शरणार्थी के रूप में हैं उनके लिये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनकी बड़ी मुश्किल है। मैंने कई केसेज भेजे हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हुई है।

अब मैं आपका ध्यान विधवाओं की सम्पत्ति की ओर ले जाना चाहती हूं। उनके लिये सेन्टर से मंजूरी आ चुकी है लेकिन पता नहीं है कि वह यहां कहां पड़ा है कि उनको अब तक नहीं मिला है। मैं चाहती हूं कि उनकी भी व्यवस्था आपके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र हो जाय ताकि उन बहिनों को जो अलग रहती हैं और उनके परिवार में भी कोई नहीं है और उनको अपना खर्चा चलाना मुश्किल होता है उनकी तरफ आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये।

तीसरी बात रिफ्यूजी भाइयों के लिये जो बस्तियां बसाई गई हैं उनकी है। अभी मुझे मौका पड़ा है उन बस्तियों को देखने का और मैं यह कह सकती हूं कि वहां इतने छोटे मकान बने हैं कि वहां रहना मुश्किल है लेकिन उनका दाम ४५ हजार रु० लगा है तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहती हूं कि ४५ हजार रुपया उन गरीबों के लिये बहुत ज्यादा होते हैं और उसको कम करने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे। बहुत सी बहनें विधवायें हैं और उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। हम चाहती हैं कि वह उनको सस्ते में मिल जाय और किराया अदा करके ही उस रकम को पूरा कर सकें। किराया भी १५ रुपये है जहां केवल २ कमरे हैं एक आगे और एक पीछे और बीच में एक छोटा सा बरान्डा है। अब जिस परिवार में चार आदमी हैं उनकी उसमें कैसे गुजर हो सकती है? उनकी आमदनी किसी की ३५ है और किसी की ५० है। किसी बहन को आपने मशीन दे दी है और वह उसके द्वारा १५, २० रुपये महीने कमा लेती है, उससे किस प्रकार उनका भरणपोषण हो सकता है? मैं उनके बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं और बगैर आपके ध्यान दिये हुये मशीन से इतने बड़े परिवार का पालनपोषण वह नहीं कर सकती है। तो मैं अधिक न कह कर माननीय मंत्री जी का ध्यान इन विधवा दुखिया बहनों की तरफ खींचना चाहती हूं कि वह अवश्य इस ओर ध्यान दें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)— माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रामसुन्दर जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। यह वास्तव में विविध और बहुत लम्बा-चौड़ा विषय है और करीब ६ करोड़ रुपये का अनुदान है। मैं माननीय मंत्री महोदय से थोड़ी सी बातें कहूंगा और मुझे आशा है कि वह उसको अधिक समझेंगे। इसमें शीरे की बात है जिसको मोलेसेज कहते हैं और इस प्रदेश में इसका करीब ७० से ८० लाख मन का उत्पादन होता है, उस शीरे का जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने कर रखा है उसको ४ आने मन के भाव से बेचा जाता है जब वह मार्केट में डेढ़ रुपये मन है तो करीब ६ गुने का लास होता है। यह रुपया गरीब मजदूरों के मकान के लिये इस्तेमाल होगा। और इस पर से कंट्रोल हटा दिया जाय तो उससे काफी रुपया मिलेगा। जो मजदूर वहां रहने वाले हैं उनको मकान अच्छे ढंग के मिलेंगे और इसमें से काफी मकान भी बनाये जा सकते हैं। दूसरी बात गन्ने और एक्साइज के परमिट देने वालों की है। पूर्वी जिलों में ऐसे केसेज देखने में आये हैं जहां

एक्साइज कमिश्नर ने वहां के कलेक्टर से मिल कर वहां परमिट बनवाया और परमिट बनाकर जाली रूप से ब्लैकमार्केट में बेंच दिया। मैं नाम तो बताना नहीं चाहता लेकिन माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

इसके बाद जो मिल के मजदूरों के मकान बने हैं उसको अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इन मकानों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो रुपया इसमें मिल रहा है अगर उससे सातगुना और आठ गुना रुपया मिले तब जाकर कहीं चीनी के मिलों के मजदूरों की मकान की समस्या हल हो सकती है।

दूसरा प्रश्न जिसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जिसको बहुत सा रुपया मकान बनवाने के लिये दिया गया है, लेकिन जिस स्थान पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मकान बनाता है वहां से गरीब लोग, हरिजन लोग निकाले जाते हैं लेकिन उनके पुनर्वास के लिये कोई ख्याल नहीं रक्खा जाता है। इस ओर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि जिसे उत्तराखंड या कुमायूं डिवीजन के पूंजीपति श्री विष्ट जी ने कही.....

श्री अध्यक्ष--यहां सदस्य हैं, पूंजीपति नहीं।

श्री गंगाधर मैठाणी--सदस्य भी हैं और वहां के बड़े पूंजीपति हैं। उन्होंने नैनीताल डिग्री कालेज के लिये रुपया भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिला बोर्ड हटा दिया जाय। गवर्नमेंट को आज यह तय करना है कि वह डिसेंट्रेलाइजेशन चाहती है या सेंट्रलाइजेशन। यह ठीक है कि जिला बोर्ड्स की व्यवस्था सुन्दर होनी चाहिये। पहाड़ों के जिला बोर्डों की हालत खराब है, इसको आपने भी माना है और माननीय विष्ट जी ने भी माना है लेकिन उसको ठीक करना चाहिये और यह समस्या लाख दो लाख रुपये से ठीक नहीं होगी फाइनेंस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि फारेस्ट की इनकम का १/३ रुपया यानी ३० प्रतिशत वहां के जिला बोर्डों को मिलना चाहिये। मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि इतना लम्बा-चौड़ा जिला है कि जिला बोर्डों के छोटे-छोटे इलाके से भी प्रतिनिधि आकर अपने क्षेत्र की बातें रख सकते हैं और डिसेंट्रेलाइजेशन से यह लाभ होगा कि दूरसेदूर का जो छोटे से छोटा गांव होगा उसकी भी हालत सुधारने की कोशिश की जायगी। वहां मास्टरों का जो हाल है वह किसी से छिपा नहीं है। गत वर्ष मैंने उसके बारे में जिक्र किया था।

चौथी बात मैं सोल्जर्स ऐंड सेलर्स बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उस बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार से ३० प्रतिशत रुपया स्थापना के लिये दिया जाता है तो सैद्धान्तिक बात है कि उनका क्या कार्यक्रम है, वहां के रहने वाले सिपाहियों की क्या हालत है इसके बारे में जानकारी हमको मिलनी चाहिये। गढ़वाल जिले के मार्शल रेस के लोग थे, उस किस्से का तो मैं इस वक्त जिक्र नहीं करता लेकिन जैसा कि जयेन्द्र सिंह विष्ट जी ने भी कहा है कि पोस्टवार रिकांस्ट्रक्शन ट्रस्ट बना है। उसके मुताल्लिक जिक्र इसमें भी आया है। उसमें सिपाहियों का लड़ाई के जमाने में कटा हुआ रुपया जमा था। मेरे जिले का एक करोड़ १८ लाख से अधिक रुपया था लेकिन उसका उपयोग करने को नहीं मिल रहा है। प्रारम्भ में ऐसा हुआ कि उस रुपये से जिलों में स्कूल खोले जावेंगे। मेरे जिले में १४ हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गये लेकिन वह नीति बदल दी गई जिससे बड़ा नुकसान हुआ। वह रुपया सोल्जर्स के वेतन से कटा था, इसलिये उसका सदुपयोग होना चाहिये लेकिन हमारी दृष्टि से उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने बहुत सी हमारी बातों का समर्थन किया और मैं यह भी समझता

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

हूं कि जो शिकायतें इस अनुदान के सम्बन्ध में की गई हैं उन पर सरकार बहुत छानबीन करके उन शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेगी। जो शिकायत शीरे के सम्बन्ध में माननीय मैठाणी जी ने की है....।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि शीरे के जो परमिट सरकार बंटवाती है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। यदि माननीय मंत्री जी जानना चाहेंगे तो मैं उनको एक दो जगह इस प्रकार की बता दूंगा कि जहां पर ऐसा हुआ है। एक्साइज कमिश्नर से एक व्यक्ति ने ५ हजार मन शीरे का परमिट लिया और वह बाद में ब्लैक में बेच दिया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी विशेष ध्यान देंगे ताकि शीरे के परमिट जो इस प्रकार ब्लैक बाजार में जाते हैं उनकी रोकथाम हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक जगह मांग की गई है अंग्रेजी हिन्दी टाइपराइटरों के लिये। तो इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जब सरकार की राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो अंग्रेजी के टाइपराइटरों की कोई आवश्यकता नहीं है और हिन्दी के टाइपराइटर विभाग में होने चाहिये।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई जो महिलायें हैं उनके अनुदान में भी सरकार ने कमी की है। यह अनुदान पूरा होना चाहिये। इसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। वैसे ही विद्यार्थियों के संबंध में भी, शिक्षा और सड़कों में भी जो २० लाख रुपये का अनुदान दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। इसके अलावा मैंने बजट में देखा है कि सरकार ने ८ या १० जिलों को आवर्तक सहायता दी है। यह सहायता भी बहुत कम है। जिन नगरपालिकाओं को सहायता दी गई है वह भी गिनी गिनाई हैं। स्मृति-पत्र पढ़ने से मालूम होता है कि जिन जिला बोर्डों को कुछ घाटा हुआ है उन्हीं को यह सहायता दी गई है। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के दोहरीघाट और धर्मपुर घाट की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि दोहरी घाट के घाट की आमदनी बहुत दिनों से जिला बोर्ड आजमगढ़ को नहीं मिलती है और इसी तरह से धर्मपुर घाट के सम्बन्ध में भी यही अर्ज करूंगा। इधर बाढ़ और सूखे के कारण जो नुकसान उधर के लोगों को हुआ है उसका असर वहां की नगरपालिका और जिला बोर्ड पर भी पड़ा है ....

श्री हुकुमसिंह---मैं दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या दोहरीघाट का जो घाट है वह जिला बोर्ड का है?

श्री रामसुन्दर पांडेय---हां, तो मैं इन शब्दों के साथ अपने कटमोशन को पुनः स्थापित करता हूं।

*श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुदान के विषय में अपने मित्र श्री रामसुन्दर पांडेय और मैठाणी जी की बातों को सुना। और मित्रों ने भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत सी बातें कही हैं उनको भी मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। रामसुन्दर जी ने एक बात यह कही कि रिलीफ में कमी की गई है और स्टाफ वगैरह पर, इस्टैब्लिशमेंट पर खर्चा ज्यादा हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार इस सरकार का भी अब तो यह विचार है कि रिलीफ से इम्फैसिस बदल कर रिहेबिलिटेशन पर लाया जाय और इसी नीति के अनुसार एक दिन वह आयेगा जब रिलीफ का जुज जो है वह निल तक पहुंच जायगा। क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिये कायम की गई हो। एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी और उस परिस्थिति को मीट करने के लिये यह योजनायें बनाई गई थीं और अब वह अवस्था आ गई है कि रिलीफ को छोड़ कर के हम रिहैबिलिटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें और उसके बाद कम्पेन्सेशन वगैरह दे करके इस मसले को खत्म किया जाय। जहां तक स्टाफ और इस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है हमने बहुत अंश में रिट्रेचमेंट भी किया। लेकिन जहां तक कम्पेन्सेशन का जो नया सवाल दरपेश है उसमें नई जगहें बना करके नये अफसरों की तैनाती भी करनी पड़ेगी ताकि वे कम्पेन्सेशन के मसले को हैन्डिल करें और उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। अलावा इसके हर साल जो अफसरान होते हैं उनके इन्क्रीमेंट की वजह से भी कुछ इजाफा हुआ करता है, यह नहीं कि हमने खाली अफसर बढ़ा दिये और अखराजात कम कर दें, यह बात नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की नीति के अनुसार हमको रिलीफ और रिहैबिलिटेशन को कम करने का हुक्म है, वह करना पड़ेगा और रुपया वह देते हैं इन्तजाम हम करते हैं, लिहाजा इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बस भी नहीं, इस मामले में।

हमारे मित्र ने यह कहा कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का जो कानपुर में सेंट्रल वर्कशाप है और उसमें फोरमैन जो है वह बहुत ही इनऐफिशियेंट हैं लिहाजा मेरे लिये यह कहना कि फलां टेक्नीकल आदमी इनऐफिशियेंट है, मैं नहीं कह सकता इतनी आजादी के साथ जितनी आजादी से मेरे मित्र ने कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ अनुभव उस डिपार्टमेंट का है। मैंने भी ८, १० महीने उस डिपार्टमेंट को चलाया और सेंट्रल वर्कशाप के भी कांटैक्ट में आया था। मैं तो यह कहता हूं कि जिस खूबी के साथ सेंट्रल वर्कशाप काम करता है, मैं उसकी प्रशंसा क्या करूं, देखने से ताल्लुक रखता है। मशीनरी में कोई शख्स यह कह दे कि नहीं यह चीज जो है इसमें कतई राय हमारी यह है। कोई कह सकता है, लेकिन मैं इतनी जुर्रत नहीं कर सकता हूं। हां, अच्छी से अच्छी नई से नई मोटर आ करके बाज वक्त खड़ी हो जाती है, आगे कदम नहीं रखना चाहती, तो यह कह देना कि होल सेल यह कन्डम है, सारे फोरमैन नाकाबिल हैं और उन्हीं की वजह से यह बात हुई, तो ऐसा कहना ज्यादा उचित हमें नहीं प्रतीत होता। बाज वक्त अच्छी से अच्छी मशीन गड़बड़ हो जाती है। होशियार से होशियार आदमी की अक्ल नहीं काम करती है। तो ऐसी खास खास बातों के बिना पर एक जनरल रिमार्क कर देना मेरी समझ में ठीक बात नहीं है।

आयरन सेफ के बारे में भी शिकायत है। अब उसके बारे में मैं क्या कहूं। माननीय सदस्य खुद इसके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं। तहसील ले जायंगे खजाना, थाने ले जायंगे खजाना, कितनी दिक्कत है और हमारे जब स्टेशन्स बने हैं, हमारा वहां इन्तजाम है तो अगर आयरन सेफ ले करके अपनी आमदनी न रखें तो कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती। जरूरत है इस वजह से ऐसा किया गया। हमारे मित्र तेजा सिंह ने भी मेरठ के बारे में कुछ एलाटमेंट में देरी हुई और अनइकोनोमिक चीजों को फेहरिस्त में कुछ गड़बड़ी भी की गई, इसके बारे में

[श्री हुकुमसिंह]

कहा। मैं यहां से उठ करके गया और मैंने आदेश दिया है कि इन सब बातों के बारे में इन्क्वायरी की जाय और अगर किसी की गलती है और साबित हुआ तो हम जरूर उसे तदारुख देंगे क्योंकि सरकार यह नहीं चाहती कि बिला वजह देरी करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाय। जल्द से जल्द काम होना चाहिये और मुनासिब ढंग से होना चाहिये।

यह शिकायत भाई तेजासिंह ने भी की थी कि इस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा खर्चा है। तो यह बात मैंने भाई रामसुन्दर की बात का जवाब देते हुए बता दी, उसके दोहराने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता।

नर्सेज के बारे में श्री तेजासिंह ने कहा कि उनको जितनी तादाद में भेजा जाना चाहिये, लड़कियों को, उतनी तादाद नहीं रखी गयी है। तो उसमें कुछ कंडीशंस रखे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट ने एजूकेशनल, और इसके अलावा और जो कंडीशंस हैं उनको वह लड़कियां पूरा नहीं करती हैं जिससे उनके लिए ऐडमीशंस सिक्योर नहीं किये जा सके हैं जब कंडीशंस पूरा नहीं करतीं तो ऐडमीशन किसके लिये सिक्योर किया जाय? इसलिये इस दिक्कत की वजह से यह कमी करनी पड़ी। जितना हम चाहते थे उतना हम भेज नहीं सकते नहीं, तो कमी करने की कोई इच्छा नहीं थी। मजबूरन कम करना पड़ा। दीनदयालु जी ने एक बात बतायी कि ज्वालापुर के कोई जमींदार हैं जो कभी पाकिस्तान गये नहीं और उनकी प्रापर्टी इवैकुई प्रापर्टी डिक्लेयर हो गयी। अब मैं समझता हूं कि यह जुडिशल मामला है। इसमें वह मुकदमा भी लड़े होंगे और जूडिशल मामले में एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का क्या दखल हो सकता है? इसलिये इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं उन्होंने अपील की होगी, की या नहीं की यह मुझे मालूम नहीं लेकिन अपील करने का उन्हें अख्तियार था।

श्री दीनदयालु शास्त्री—मुकदमा वगैरह कुछ नहीं हुआ। मेरा कहना तो यह था कि वहां किसानों से डबल लगान लिया जा रहा है, कस्टोडियन भी लेता है और सरकार भी लेती है।

श्री हुकुमसिंह—तो इसके बारे में भी मैंने ताकीद कर दी है कि इसके बारे में भी देख लिया जाय। हालांकि जुडिशल मामले में कोई दखल देने का अख्तियार मुझे नहीं है मगर अपनी जानकारी के लिये मैंने ताकीद कर दी है कि देख लिया जाय क्योंकि अन्याय अगर हुआ है तो वह अन्याय नहीं होना चाहिये चाहे वह जमींदार के साथ हो चाहे किसान के साथ हो। तो इन्क्वायरी कराने के बाद जो मुनासिब हुक्म होगा वह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिकायत की कि वहां हरिद्वार और ज्वालापुर में हाउसिंग सोसाइटीज थीं। उनके लिये जमीन नहीं ऐक्वायर की गयी और इसलिये वह काम चला नहीं। हरिद्वार की सोसाइटी का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक हम समझते हैं, वह तो कोई सोसाइटी थी नहीं। ज्वालापुर की डिजाल्व हो गयी। तो जो चीज डिजाल्व हो गयी उसके बारे में क्या शिकायत?

श्री दीनदयालु शास्त्री—डिजाल्व नहीं हुई।

श्री हुकुमसिंह—हमको तो यही इत्तिला है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—वह इत्तिला गलत है।

श्री हुकुमसिंह—बहरहाल फिलहाल तो जो इत्तिला हमें है उसी पर हम अमल करने जा रहे हैं। इसके बाद यह कहा गया कि ५६ लाख की आमदनी और ४८ लाख का खर्च, ८ लाख की बचत है लिहाजा वह आठ लाख रुपया बताया गया कि इन कामों में सर्फ किया जाय। मैं भला यह कैसे जुर्रत करूं कहने की कि जानकारी ठीक न होने की वजह से ऐसी चीज तजवीज की गयी। यह जो रुपया आता है, जो जरूरी खर्च है इस इवैकुई प्रापर्टी के डिपार्टमेंट को चलाने

के लिये, उसमें सर्फ होता है और बकीया कम्पेंशेसन के कामन पूल में जाता है और उस कामन पूल से कम्पेंशेसन की रकम जो दी जाती है, वह रकम उसमें जाती है। इसको हम दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो आदेश है कि यह रकम जो ज्यादा हो वह कामन पूल में जाय और उसको हम कम्पेंशेसन देने में सर्फ करें। लिहाजा ऐसी सूरत में इच्छा रखते हुये भी हम इस बात से मजबूर हैं कि इस पर अमल कर सकें। जयेन्द्र सिंह विष्ट और नरेन्द्र सिंह विष्ट, दो विष्टों के दरमियान में एक बात दरपेश है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रखे जायं या खारिज किये जायं। जयेन्द्र सिंह कहते हैं कि टेहरी और रामपुर में नहीं हैं, वहां कायम किये जायं।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि ग्रांट बढ़ा दी जाय।

श्री हुकुमसिंह—बिना कायम किये बढ़ा किसे दी जाय? अगर ग्रांट मांगते हैं तो किसको ग्रांट बढ़ा दी जाय? लिहाजा पहले कायम किये जायं। हमारे जो साथी विष्ट जी इधर बैठे हैं उन्होंने एक बारगी कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एकदम से खारिज कर दिये जायं। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इस बात से अब भी सहमत नहीं हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कतई खारिज कर दिये जायं।

बिभव जी को कुछ शिकायत है वहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कि सेक्रेटरी और इंजीनियर अलग अलग क्यों हैं, एक ही क्यों न कर दिये जायं। एक पिक-अप सेक्रेटरी को कहीं दे दी गयी है। मैं इस बारे में दरियाफ्त करूंगा कि ट्रस्ट की स्थिति क्या है। मैं उनसे इस बात में इत्तफाक करता हूं कि जो ट्रस्ट वगैरा को रुपया दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिये। किसी तरह से वेस्ट न हो।

शिवमंगल सिंह जी ने कुछ बातें कानपुर के बारे में भी कहीं कि वहां एक हाउसिंग सोसाइटी बनी और उसके लिये जमीन एक्वायर नहीं की गयी। अव्वल तो एक्वायर की गयी, एक शख्स है उसकी जमीन ७—८ एकड़ एक्वायर की गयी। अब उनका एक कम्पाउन्ड और एक मकान रह गया है। उसको भी एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने उस मकान को खुद जाकर देखा। शिवमंगल सिंह जी ने कहा कि वह लखपती करोड़पती आदमी हैं। मैं उनको खूब जानता हूं। वह बड़े आदमी थे लेकिन तब थे जबकि जमींदारी थी।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—अब भी हैं।

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, अब नहीं हैं। जमींदारी खत्म हो जाने के बाद उनकी सारी आमदनी खत्म हो गयी। अब अगर उस बकिया हिस्से को भी ले लिया जाय तो यह ज्यादती होगी। जिस आदमी की ८ एकड़ जमीन पहले ही ले ली गयी है, तो एक सेटिल्ड आदमी को अनसेटिल्ड करके रिफ्यूजी डिपार्टमेंट उनके लिये कहां खोलें? मैंने खुद जाकर देखा और समझा। इसमें अफसरान का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर हो सकता है तो हुकुम सिंह का हो सकता है। क्योंकि मैंने मौके पर जाकर देखा और यह पाया कि उनके साथ ज्यादती होगी अगर हम यह जमीन ले लेंगे, क्योंकि ८ एकड़ जमीन पहले से ली जा चुकी है। उनकी जीविका और रोजी के लिये और रहने के लिये जगह होनी चाहिये। इसलिये मैंने हुक्म दिया और मैं अब भी इस राय का हूं कि वह जमीन नहीं ली जानी चाहिये, ज्यादती होगी।

एक बात और कही गयी कि बनारस में जो औरतें हैं, किसने कहा मुझे याद नहीं, उनकी शादी करके उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि वह बुड्ढी औरतें आयी हैं काशी में। वह शादी करने के लिये नहीं आयी हैं। मैंने जा करके वहां देखा है तो भला एक ऐसा सजेशन दे देना कि उनकी शादी कर दीजिये, यह कहां तक उचित है? वह बनारस में मरने के लिये और अंतिम समय गंगा के किनारे व्यतीत करने के लिये आयी हैं, लिहाजा बिना जाने बूझे सजेशन कर देना कहां तक मुनासिब है? उनके मंथली अलावेंस के बारे में यह है कि १२ रुपया खाली उनके फीडिंग चार्जेज के लिये दिये जाते हैं। गवर्नमेंट आफ

[श्री हुकुम सिंह]

इंडिया ने यह फिक्स किया है और बकीया मकान वगैरा सब माफ है। मैंने भी कोशिश की कि मैं कुछ बढ़ाऊं, मगर मैं इसमें सफल नहीं रहा। तो जहां हमारी दिक्कत है, हमदर्दी होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो गया था मैंने देखा उनको, लेकिन फिर भी सफल नहीं रहा, यह अफसोस है।

जहां तक लड़कों की फ्रीशिप का ताल्लुक है, उसमें कुछ केन्द्रीय सरकार की शरायतें हैं कि इतनी आमदनी वाले आदमी के लड़कों को इतनी स्कालरशिप दी जाय। वह सब शर्तें पूरी होनी चाहिये। जिनकी पूरी होती है उनको दे सकते हैं, जिनकी नहीं होती हैं उनको नहीं दे सकते। यह हमारी मजबूरी है। मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही है वह मैंने बहुत ही स्पष्टता से काम लिया है। जो हम कर सकते हैं वह करने के लिये तैयार हैं और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिये मजबूरी जाहिर करेंगे। मोलेसेज के डिकंट्रोल की बात कही गयी। अगर हम इसका डिकंट्रोल कर देते हैं तो जो हमारी पावर अल्कोहल की इंडस्ट्री है वह खत्म हो जायगी। इसलिये जनहित में नहीं है कि इसका डिकंट्रोल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८——विविध व्यय (लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय) के अन्तर्गत ६,५०,१७,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—— लेखा शीर्षक ७१——कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

*श्री हुकुमसिंह——उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४–कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१——कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत २,९५,९५,००० रुपये की धनराशि स्वीकार की जाय।

इस धनराशि के अन्तर्गत हम बीज तथा खेती के औजारों का प्रबंध करते हैं। हमने बीजों के लिये १२.३२ लाख रुपया रबी के लिये और ५.४२ लाख रुपया खरीफ के लिये प्रबंध किया है। खाद के लिये और कैमीकल्स के लिये हमने अलग-अलग रखा है। कैमीकल्स के लिये ६४ हजार टन सिंद्री फैक्टरी से मंगाकर फैडरेशन, सोसायटी तथा विभाग के द्वारा बंटवाना चाहते हैं और मैन्योर के लिये भी ६ लाख का इंतजाम किया है और पोटेटो सीड के लिये भी इंतजाम किया है और काटन सीड के लिये ५.१० लाख रुपया रखा है। इसके अलावा ट्यूब-वेल और मैसेनरी वेल्स के लिये अभी तक यह दस्तूर था कि सरकार खरीद कर स्टाक कर लिया करती थी, लेकिन अब क्योंकि डिक्रंड्रोल हो गया है और अब किसान आसानी के साथ बाजार से सामान ले सकता है लिहाजा स्टाक की गुन्जाइश नहीं है। पहले इसके लिये ६९.६ लाख रुपया रखते थे लेकिन हमने इस साल इसको कम करके १५.५ लाख रुपया ही रखा है। अगर उन्हें इन चीजों की जरूरत होगी तो रख लेंगे बकिया वह बाजार से खरीद कर लेंगे। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो मंत्री महोदय ने अनुदान संख्या ४४ के लिये प्रस्ताव रखा है उसमें एक रुपय की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव को पेश करने का मंशा यह है कि मैं विभाग में फैली हुयी गलतियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी पेश करना चाहता हूं। जहां तक मंत्री महोदय ने बीज और औजारों का खरीदारी के लिये ८० लाख रुपये की ग्रांट हम लोगों के सामने रखी है उसकी बाबत मुझे यह कहना है कि जहां तक बीजों का ताल्लुक है देखने में यह आया है कि बीज एक तो किसानों को कम दिया जाता है और इसके साथ साथ समय पर बीज नहीं मिलता है और ऐसा बीज दिया जाता है जो जमता नहीं है। ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जब बोने का वक्त होता है तो उस वक्त उनको बीज नहीं मिलता है। इससे खेती का बड़ा नुकसान होता है। और अगर बीज जमता भी तो जमता नहीं है। पार्लियामेंट को याद है, मुझे खुद अपने जिले में शिकायत मिली कि आलू का बीज दिया गया, वह गल गया, सड़ गया और ठीक वक्त पर नहीं मिल पाया और जो दिया गया वह जमा नहीं। इस तरह से हमारे पार्टी आफिस में भी शिकायतें आयी थीं। गोरखपुर में सहजनवां में अगहनी की जगह भदई बीज दिया गया और भदई की जगह अगहनी दिया गया। इस तरह से किसानों का समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है और परिश्रम भी बर्बाद होता है। कम बीज देने की भी शिकायतें आती हैं कि तौल में कम बीज दिया जाता है और सुपरवाइजर लोग परेशान करते हैं। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक और सुझाव माननीय मंत्री जी को दूंगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बीज ट्रांसपोर्ट किया जाय तो ज्यादा अच्छा रहे क्योंकि एक किस्म का बीज एक ही जगह पर कम जमता है और उसमें कम शक्ति रह जाती है और अगर दो-दो, तीन-तीन साल का बीज ट्रांसपोर्ट किया जाय तो उससे पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीज का जो बकाया रह जाता है उस बकाया के रहन में सवाया तो किसानों को लग ही जाता है उसके साथ साथ जुर्माना लिया जाता है। जुर्माने से किसानों को बहुत परेशानी होती है। इसलिये सवाया लेने के साथ साथ अगर कोई किसान बीज नहीं दे सकता है तो वह उससे बाद को भी वसूल हो सकता है लेकिन अगर जुर्माना लिया जाता है तो उससे बीज गोदामों के प्रति जो भावना लोगों की है उसमें डर पैदा होता है और फिर लोग वहां से बीज लेना बन्द कर देते हैं। अधिकतर इस साल ऐसा हुआ है कि बीज गोदामों का पूरा बीज नहीं बिक पाया है। इसके और भी वजूहात हैं लेकिन एक वजह यह भी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जुर्माने के सिस्टम को समाप्त किया जाय। जहां कोई कसदन न देना चाहता हो वहां भले ही लगा सकते हैं।

इसके अलावा बीज के साथ साथ औजार भी बीज गोदामों में बेचे जाते हैं। औजारों का जहां तक ताल्लुक है मैंने देखा है, किसानों ने मुझसे शिकायतें भी की हैं कि मान लो किसानों को हल लेना है तो वह उनको बीज गोदामों से दिया जाता है जो बाजार के भाव से मंहगा पड़ता है और साथ साथ बाजार का जो होता है वह अच्छा होता है। देखने में यह आया है कि जो खरीद गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है उसमें खराब किस्म की चीजें ले ली जाती हैं और वे किसानों के ऊपर थोपी जाती हैं। अगर कोई किसान बीज लेने के लिये आता है और साथ में वह हल नहीं लेना चाहता है तो उसको बीज नहीं दिया जाता है। इसलिये उसको मजबूरन हल भी लेना पड़ता है। इसी तरह से खाद का मामला है। किसानों ने खाद नहीं ली, वह कुछ दिनों तक पड़ी रही जिसकी वजह से खराब हो जाती है। जब किसान बीज लेने आता है तो

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गजेन्द्रसिंह]

उस पर वह मढ़ा जाती है और अगर वह इन्कार करता है तो उसको बीज नहीं देते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि जो किसान औजार और खाद बीज गोदामों से लना चाहे वह तो लें लाकन जो नहीं लना चाहत हैं उनको मजबूर न किया जाय। मैं उम्मीद करता हू कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देन की कृपा करेंग।

इसके अलावा गन्ने के बीज मे सबसिडी दी जाती है। लेकिन अधिकतर यह सबसिडी कर्मचारी लोग हाथया लत हैं। कुछ गाव के लोगो से साथ साठ गांठ मिलाई .....

श्री हुकुमसिंह--मैं चाहता हूं कि नाम मुझ बता दें जिन्होंने ऐसी सांठ गांठ से काम किया हो।

श्री गजेन्द्रसिंह --मैं नाम दूंगा आपको। एक नहीं पच्चीसों नाम आप को दूंगा। घबराइये नहीं आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि जो इस तरह से रुपया ल लत हैं सबसिडी का जो रुपया गाव वालों को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। इस तरफ सरकार को विशष ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जूट के लिये पचास हजार रुपया माननीय मंत्री जी मंजूर करवाना चाहते हैं। जहा तक जूट का सम्बन्ध है जूट का विकास हमारे प्रदेश मे होना चाहिय। लाकन जूट के विकास क साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जूट का बिक्री का भी अच्छा प्रबध किया जाय। मुझ पूर्वा जिलों के मित्रों न बताया कि तमकुही या दूसरी जगहो मे जूट का भाव दस रुपया मन था जबकि दूसरी जगहो मे ३० रुपये मन था। इस तरह से किसान उत्पादन तो करें लाकन अगर उसकी बिक्री की व्यवस्था नही होती है तो उत्पादन से जितना श्रेय उसको मिलना चाहिये वह सबका सब श्रेय उसे नहीं मिल पाता है। इसलिये जूट के उत्पादन को तो बढ़ाना ही है उसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि सरकार कोई ऐसी एजेसी नियुक्त करे जिसके द्वारा जूट की खरीद की जाय और किसान वाजिब दाम अपनी जूट की फसल का पा सकें। जूट की बिक्री की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण किसान को उसके उत्पादन मे कोई प्रोत्साहन नही मिलता जबकि उसको बाजार के दाम नहीं मिल पाते। इसलिये जूट की बिक्री की तरफ विशष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आलू के उत्पादन की तरफ सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, आलू का उत्पादन हमें बढ़ाना है क्योंकि आलू में विटैमिन्स और दूसरे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी फूड वैल्यू काफी है और वह फूड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आलू के साथ-साथ शकरकंद की तरफ भी तवज्जह दें तो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। शकरकंद में भी पौष्टिक पदार्थ रहते हैं जिसके द्वारा खाद्य की समस्या को हल किया जा सकता है। शकरकंद की पैदावार बहुत अच्छी होती है। आलू के लिये तो बहुत खाद और अच्छे खेत की आवश्यकता है लेकिन शकरकंद के लिय इतनी महनत और बहुत खाद की आवश्यकता नहीं है। वह बरसात में आसानी से हो जाती है। इसलिये सरकार अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो खाद्य की समस्या को हल करने मे काफी सहायता मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपास की तरफ हमको विशेष ध्यान देना चाहिये। अगर हम कच्चे माल की तरफ तवज्जह देंगे तो इससे उद्योग धंधे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कपास के सिलसिले में मुझे खास तौर से अपने जिले इटावा के सम्बन्ध में यह कहना है कि वहां कपास की पैदावार बढ़ाने का काफी प्रयास किया गया। लेकिन जहां तक भरथना और बिधूना तहसीलों में जो बीज दिया गया वह बीज उगा ही नहीं है और अगर कुछ उगा भी तो बहुत कम। जब किसानों को उससे पैसा नही मिला तो कपास को किसानों ने बोना बन्द कर दिया है। गांव के लोगों की धारणा यह है, हो सकता है कि गलत हो, कि जब से गन्ना जावा बोया गया है उसमें से कुछ जर्म्स ऐसे आये हैं कि जो कपास के खेत को नुकसान पहुंचाते हैं।

इसलिये कपास की पैदावार नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी सरकार के विशेषज्ञ हासिल करें। कपास की पैदावार की तरफ माननीय मंत्री जी को काफी ध्यान देना चाहिये।

जहां तक कुओं का प्रश्न है कुओं के बनाने की तरफ हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले साल जितना प्रावेजन इसके लिये किया गया था उससे इस साल कम है। इसके मानी यह है कि गवर्नमेंट का ध्यान इस साल पक्के कुओं के बनवाने की तरफ कम गया है। यह बात नहीं होना चाहिये बल्कि कुओं को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिये। नलकूप और बंधन क्रियाओं की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर छोटे-छोटे कुओं की तरफ ध्यान रहे तो इससे ज्यादा पैदावार हो सकती है। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुओं का रुपया मिलने में किसानों को बड़ी परेशानी होती है।

पहले हमारी सरकार ५०० रुपया छूट देती थी लेकिन अब वह १०० रुपया किसानों को छूट देती है। मैं समझता हूं कि किसानों के लिए विशेषकर यह छूट ५०० रुपये की ही की जाय, जिससे किसानों के अन्दर उत्साह पैदा हो और वह कुआं बनाने के लिए दरख्वास्त भेजें। उनको रुपया मिलने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उनको रुपया मिलने में बहुत परेशानी होती है। इसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।

श्री मेहरबान सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री ने जो यह कृषि विकास योजना का अनुदान २,९५,९५,००० रुपये का सदन में पेश किया है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे देश के लिए कृषि में विकास करना बहुत ज्यादा आवश्यकीय चीज है। श्रीमन्, हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। यहां की जनसंख्या ८० प्रतिशत कृषकों की जनसंख्या है। उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाना हमारी सरकार का ध्येय है। इससे पहले हमारे इस देश में खाद्य की समस्या बड़ा भीषण रूप धारण किये हुए थी। हमारी सरकार ने कृषि विकास की तरफ ध्यान दिया तो इससे वह समस्या अब कुछ सुलझ गयी है, लेकिन अब भी उस समस्या को बिलकुल ठीक तरीके से सुलझाने की जरूरत है। मैं तो माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि इस समस्या पर जो उन्होंने व्यय करने के लिए रुपया रखा है, उससे ज्यादा रुपया व्यय करने की इसके लिए आवश्यकता थी। श्रीमन्, मेरे जिला इटावे के अन्दर महेवा में अग्रगामी विकास योजना बहुत अरसे से चल रही है, जिसका जिक्र हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी होता है। और देशों के लोग भी हमारे यहां उस योजना को देखने के लिए पधारते हैं। इसमें सरकार का काफी पैसा व्यय हो रहा है। हमारे यहां के किसानों को उससे बहुत सुविधा मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे हमारे यहां का कृषि में उत्पादन बढ़ा है, लेकिन श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितना रुपया उस योजना पर व्यय हो रहा है, उस रुपये को देखते हुए, उतना उत्पादन वहां पर नहीं बढ़ रहा है। इसके माने यह हैं कि वहां पर जो अधिकारी हैं, या तो उनकी भावना इतनी प्रबल नहीं है कि वे उन किसानों की मदद कर सकें, या वह करना नहीं चाहते हैं जो उनको करना चाहिए। इसलिए विकास की योजनाओं पर जो खर्च होता है, उसमें अधिकारियों पर ही ज्यादा खर्च होता है। श्रीमन्, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि अभी बीज की बात चल रही थी। जो बीज सरकार ने मंगाया उसमें बहुत सा बीज जैसे गेहूं, मटर आदि ऐसे हैं जिस से काफी तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे जिले के अन्दर मटर का बीज जिन लोगों ने बोया, और ६३ नम्बर का जो मटर का बीज बोया गया, उस से मेरे जिले के अन्दर दुगुना और तिगुना उत्पादन बढ़ा है, और गेहूं की पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी किसानों को बीज दिया जाय, उसका प्रयोग कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसा कि

[श्री मेहरबान सिंह]

गजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कुछ बीज ऐसे हैं, कि जो कामयाब नहीं होते। मैंने भी उसको देखा कि जो तरकारी के बीज बीज गोदाम से दिये गये, उसका उत्पादन उस देसी तरकारी के बीज से कम हुआ है। इसका कारण यही हो सकता है कि या तो जमीन ऐसी थी, जिसकी वजह से वह कामयाब नहीं हो सके, या वह बीज खराब थे। तो मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस वक्त बीज किसानों को दिया जाय, वह बीज प्रयोग करके किसानों को दिया जाय। दूसरी बात यह है कि बहुत सा बीज ऐसा दिया जाता है, जैसा कि कपास का जिक्र आया, मुझे भी यह याद है कि हमारे जिले में कपास का बीज बांटा गया था, सेक्रेटरी और लेखपालों के जरिये से कपास का बीज वितरित हुआ था, लेकिन पंचायत मंत्रियों ने मुझे बताया कि वह बोया नहीं गया या किसानों ने उसको लिया ही नहीं, कुछ ने अपने बीज को न बोकर बैलों को खिला दिया। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि जहां पर जो बीज उपयोगी हों, वहां पर वही बीज दिये जायं। इस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो बीज जिस जगह के लिए ठीक हों, वही दिये जायं, तभी कृषि का विकास हो सकता है। हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारे देश की जन संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से हमें कृषि में विकास भी करना चाहिए, नहीं तो खतरा पैदा होने की सम्भावना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से कृषि के विकास की आवश्यकता है, उसके ऊपर काफी पैसा व्यय किये जाने की भी आवश्यकता है, उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जो अधिकारीगण कृषि से सम्बन्ध रखने वाले हैं, उनकी भावनायें भी कृषि में उन्नति करने की होनी चाहिए। उनको यह कोशिश करनी चाहिए कि कृषि में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा गल्ले का उत्पादन हो, और इस प्रकार से देश की खाद्य समस्या भी हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी की मांग का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के एक रुपये के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं लेकिन माननीय मन्त्री जी के सम्मुख एक सुझाव यह रखना चाहता हूं कि चूंकि खेती ही हमारे देश का मुख्य धन्धा है, इस लिए इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पर बुनियादी तौर पर सोचने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से इस विभाग के द्वारा हम किसानों को हल तथा औजार तकसीम कर रहे हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इतने दिनों के बाद औजार बनाने के साथ साथ इन क्षेत्रों में, जहां ये औजार बांटे जाते हैं, बजाय दूसरे स्थानों में बनवा कर उन लोगों में बांटे जायं, उनको बनवाया जाय। इस लिए अच्छी बात तो यह है कि उनके लिए लुहार आदि का पता लगा कर उसी क्षेत्र में उन कृषि के औजारों को बनवाया जाय।

इसके अतिरिक्त सरकारी बीज गोदाम और कोआपरेटिव के बीज गोदाम भी कहीं-कहीं एक ही स्थान पर हैं। मेरा ख्याल है कि इस बात पर भी सरकार ने बुनियादी तौर पर नहीं सोचा है। बीज गोदामों पर बुनियादी तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब गांवों में गांव समाज बन कर प्रत्येक गांव में एक गांव समाज हो जायगा, और जब कि हमारा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक गांव आत्म-निर्भर हो, तो हमारी सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि गांवों में जो बीज गोदाम हों, वे गांव समाज के हों, और वे गांव समाजों की निजी सम्पति हो जायं, कुछ दिनों में आगे चलकर। यह रोजगार का काम सरकार का काम नहीं है। एक देकर सवाया लेना सरकार का काम नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की उदारता बीज देते समय जो रहती है, वह बीज लेते समय नहीं रहती। जिस वक्त कोई किसान बीज वापस करने के लिए आता है, तो उस बीज की जो छानबीन होती है, वह ऐसी होती है जो किसी अनुसंधानशाला में भी न होती होगी। दिन भर किसान बीज साफ करता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जब वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीज लेने के लिए आता है, तो दूसरी ही बात हो जाती है। काश कि जैसा बीज वह जमा करता है, वैसा ही बीज उसको लेते समय दिया जाय, तो, उपाध्यक्ष महोदय, देश का कल्याण हो जाय। लेकिन इस बीज के अन्दर न जाने कितने चूहे उसमें क्या मिला देते हैं या आदमी उनमें क्या मिला देते हैं कि जिस प्रकार का बीज उसको मिलता है, उस से उसके उपजाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैं एक बुनियादी सुझाव माननीय मन्त्री जी के सन्मुख रखना चाहता हूं कि अब इन बीज गोदामों को तोड़ कर गांव सभा बीज गोदामों की स्थापना कीजिये और उनको सरकार सहायता के द्वारा कुछ समय के अन्दर आत्मनिर्भर करके गांवों की सम्मति बना दीजिये।

इसके अतिरिक्त एक सुझाव और है, और वह यह है कि अपने देश के अन्दर बहुत सी ऊसर भूमि पड़ी हुई है। हमारे जिले में तो भगवान की विशेष कृपा है और जिले का बहुत बड़ा भाग ऊसर है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, और दिया भी है, तो उसका कोई विशेष फल अभी तक नहीं दिखलाई पड़ा। इस ऊसर का मिटाने का कोई विशेष प्रयत्न होना चाहिए। जब से ये ऊसर मिट जायेंगे, तो इस से अतिरिक्त गल्ले की पैदावार हो जायगी, और इसके सिवा वहां के भूमिहीनों की समस्या भी हल करने में सहायता मिलेगी। तो माननीय मन्त्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रतापगढ़ में ऊसर जैसा कि वे कहते हैं कि बहुत ज्यादा है उसे दूर करने के लिए आपका प्रयत्न होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त खेती की तरफ जैसा कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने कहा, जूट के उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आज जो हमें जूट के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है, यह हमारे लिए बड़ी कमजोरी होगी और शर्म की बात होगी, यदि पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे यहां जूट का उत्पादन कम हो। पाकिस्तान के मुकाबिले में हमारे यहां जूट की पैदावार ज्यादा होनी चाहिए और इसलिए जूट या जूट से मिलती जुलती चीजें, जैसे सन या ऐसी चीजों की इतनी ज्यादा पैदावार होनी चाहिए कि पाकिस्तान वालों को हम बतला दें कि अब हम जूट के लिए उनकी तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे यहां प्रतापगढ़ जिले में सन की उपज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। थोड़े से रोजगारी लोग, जो उस कार्य को करते हैं वे थोड़े समय के अन्दर ही लखपति हो जाया करते हैं। यदि सरकार उस तरफ ध्यान दे और सन आदि के व्यापार को प्रोत्साहन दे तो हमारे यहां जूट की बहुत ज्यादा पैदावार हो सकती है।

इस विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहने को हैं। आलू की उपज, गेहूं की उपज के लिए जब कोई कम्पिटीशन होता है, तो उधर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत से काश्तकार कम्पिटीशन में नहीं आ पाते, उसका कारण यह है कि जिस समय उसे गेहूं काटने की जरूरत है, या आलू खोदने की जरूरत है, तो महीनों खुदाई वाला अफसर ही नहीं पहुंचता है। नतीजा यह होता है कि जहां आलू समय पर खोद दिया जाय, तो दूसरी फसल भी उसके अन्दर मिल सकती है लेकिन आलू अभी तक पड़ा हुआ है, रोज दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन वक्त पर उसकी खुदाई नहीं हो पाती। तो अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके वे कोई आदेश इस प्रकार का अपने विभाग से जारी करा सकते, हालांकि, उनको बड़ी कठिनाई होगी, आदेश जारी करने में, कि वे अपने विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को आदेश देते कि वे कृपा करके पतलून और हैट पहनने के बजाय पैजामा और नेकर पहन कर ही खेती का काम कराने के लिए जाया करें, और तभी कल्याण भी हो सकता है। क्योंकि जब वे पतलून और हैट पहन कर जाते हैं तो एक तो उनको इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहीं इनमें गर्द न लग जाय, और दूसरे किसान भी समझता है कि ये हमको क्या बतलावेंगे और उनकी बात काश्तकार की समझ में नहीं आती है। वे विश्वास ही नहीं करते कि ये हमको कुछ बतला भी सकेंगे। आपके कर्मचारियों को किसानों के मस्तिष्क को जानने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस विभाग द्वारा खेती के सम्बन्ध में प्रचार भी बहुत कम हो रहा है। यह जो आप की सुन्दर-सुन्दर किताबें निकलती हैं और पत्रिकायें हम लोगों को दी जाती हैं, उन का हम

[श्री रामनरेश शुक्ल]

लोग कितना प्रयोग करते हैं, वह तो हम ही भली भांति जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उन से काश्तकारों को लाभ पहुंचे. . .।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत का जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने उपस्थित किया है, वह उत्तर प्रदेश के कृषि जीवन में बहुत कुछ अहमियत रखता है। हमारे प्रदेश की सरकार को या इस प्रदेश के रहने वालों को अगर सब से अधिक किसी चीज से लाभ है, तो वह मेरी समझ में गन्ने की पैदावार से है। गन्ने के सम्बन्ध में अभी तक माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ भी इन्तजाम किये हैं, उस के जो नतीजे हुए हैं, वह हमारे सामने आंकड़ों के रूप में सरकार के विभागों द्वारा हमेशा उपस्थित किये जाते हैं। गन्ने की पैदावार और उसकी रिकवरी इस प्रदेश में होती है, वह बहुत आशाजनक नहीं है, और उसको एक अच्छी प्रगति नहीं कहा जा सकता और हमारे यहां केन की रिकवरी ९.८ और ९.९ से अधिक अभी नहीं हुई है, कोई कोई भाग्यवान साल होगा, जब वह १० तक पहुंच गयी होगी और शायद ही कोई इलाका ऐसा हो। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी और सदन से अवश्य निवेदन करूंगा कि सरकार जहां भी उचित समझे पूंजी लगावे, वह ठीक है, लेकिन अगर इस प्रदेश में गन्ने की उन्नति को पूरे तौर से आगे नहीं बढ़ाया गया, तो हमारे प्रदेश के लिए वह दिन दूर नहीं है जब कि हमारे सूबे की शक्कर की मिलें यहां से उखड़कर दूसरे प्रदेशों मलाबार और दक्खिन की तरफ चली जायेंगी जहां पर आज रिकवरी १० प्रतिशत से ११ प्रतिशत और १२ प्रतिशत तक आती है। गन्ने के बीज के विकास के लिए माननीय मन्त्री जी क्या कर सकते हैं यह मैं नहीं जानता लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इस दिशा में काम की प्रगति बहुत तेज होनी चाहिए वर्ना इस प्रदेश के आर्थिक जीवन के लिए, यहां की चीनी मिलों के ६३ हजार मजदूरों के लिए और जो करोड़ों की संख्या में यहां के गन्ना उत्पादक हैं उन के लिए बहुत ही अकल्याणकारी बात होगी।

जहां तक बीज को देने और सवाई पर फिर लेने का सवाल है, मैं इस बात में माननीय रामनरेश जी और दूसरे लोगों से बिलकुल एकमत हूं कि यह सवाई पर देने लेने का तरीका बहुत ही गलत है। अभी तो माननीय मन्त्री जी ने यह विभाग सम्भाला है, मुझे उन से पूरी आशा है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देंगे, कि इस तरीके में कैसे कमी की जा सकती है। यह बीज देने लेने का तरीका किसान के लिए सुखकारी नहीं है। माननीय श्री रामनरेश शुक्ल जी का यह अनुभव है कि बीज के मिलते वक्त किसानों को सहूलियत होती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि बीज के मिलने में किसान को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, कभी-कभी उसे दिन दिन भर बैठा रहना पड़ता है, और तमाम तरह की दिक्कतें उस को होती हैं। जहां पर बीज के लेते वक्त, चाहे वह गेहूं का हो, मटर का हो, या चने का हो किसी बीज का हो, इतनी छानबीन होती है वह विभाग के लिए प्रशंसनीय है, वहां जब किसानों को बीज दिया जाता है, उस समय भी उतनी ही छानबीन हो तो बहुत अच्छा है। बीज जो अलग-अलग ढंग से कृषि विभाग और कोआपरेटिव से बांटा जाता है, यह भी ठीक नहीं है। यह काम एक विभाग के सुपुर्द होना चाहिए और मुनासिब तौर से उस को चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

आलू के बीज के सम्बन्ध में भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, आशा है, मन्त्री जी उस ओर भी विशेष अवश्य ध्यान देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आलू के बीज की जब खरीदारी की जाती है, तो पहले आपके विभाग से लोगों को इत्तिला दी जाती है कि इतना बीज खरीदा जाय, और वह उस को कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा खरीदते हैं। वह किस भाव लेंगे, यह तहसीलदार रेट तै करते हैं, और वह व्यापारियों से बुलाकर पूछते हैं और मैं ने सुना है कि यह होता है कि तहसील से आज्ञा होती है कि ४ रुपये से ९ रुपये मन तक बीज खरीदा जाय, और मुख्तलिफ भावों पर वह खरीदा जाता है।

श्री हुकुमसिंह---यह कहां की बात है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां से आप ज्यादातर आलू का बीज लाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हू कि यह स्थान जो मैंने बताया है वह गलत नहीं होगा, आप अपने विभाग से पूछ लें। तो कोआपरेटिव सोसाइटीज से जो बीज आप खरीदवाते हैं, तो अव्वल तो बीज चाहे अच्छा मिले या बुरा, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने की सम्भावनायें अधिक हैं तो बीजों की खरीदारी के सम्बन्ध में आपको कोई न कोई रेशनलाइज्ड मेथड निकालना पड़ेगा, और उससे गड़बड़ी दूर होगी। सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका ऐग्रिकलचर विभाग बहुत पुराना विभाग है, लेकिन इस विभाग में कोई डिपार्टमेंटल वर्किंग मैनुअल नहीं है। तो मैं यह निवेदन करूंगा जरूर कि आप अपने समय में अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई न कोई मैनुअल जरूर बनवा लें, ताकि सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उनकी स्थिति व उनके हक आदि का पता चल सके। और अमली तौर पर से वह अपने कार्यों को कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की ताईद करता हूं।

*श्री र महेत सिंह (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सामने उपस्थित है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और इसमें ८५ प्रतिशत किसानों का जीवन खेती पर आधारित है। इसलिए इसका विकास होना बहुत जरूरी है। खेती के लिए मुख्यत: चार-पांच चीजों की बहुत आवश्यकता है। अच्छा बीज, अच्छा पानी, अच्छे पशु, अच्छे औजार आदि की बहुत आवश्यकता है। और इन सभी चीजों को माननीय मन्त्री जी से कुछ न कुछ अंशों में सम्बन्ध है। जहां तक बीज का ताल्लुक है, बीज सबसे पहली श्रेणी में आता है। जब शुद्ध बीज मिलेगा, चा किसी चीज का हो, गन्ने, गेहूं का, किसी का हो, अच्छे बीज पर अच्छी खेती निर्भर करती है। तो जहां तक बीज का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि जहां ए० क्लास बीज मिलने के लिए किसान लालायित रहते हैं, वहां इन गोदामों में गोदामवालों की शर्त यह रहती है कि अगर एक मन ए क्लास का बीज लो, तो दो मन बी या सी क्लास का बीज लेना पड़ेगा, और जब तक बी और सी क्लास का बीज नहीं लेते तब तक ए क्लास का नहीं मिलता। साधारण किस्म का बीज तो उनके घर पर मौजूद रहता है, लेकिन फिर भी उनको लेना पड़ता है। तो ऐसी दिक्कतें किसानों को है। मैं खास तौर से मथुरा जिले की बात कहता हूं। उस पर रिश्वत की बात भी चलती है। दूसरी बात यह होती है कि जब बीज लेने का वक्त आता है, तो पहले से तय कर लिया जाता है कि ए क्लास का बीज हम दे रहे हैं लेकिन जितना बी और सी क्लास का बीज होगा, उसके सवाई के हिसाब से ए क्लास का बीज लेंगे, तो उसमें किसानों को दिक्कत यह पड़ती है कि जब वह ए क्लास का बीज २ मन लेता है, तो टोटल बी और सी क्लास के बीज का ५ और ७ मन तक लेते हैं। इसमें वे बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऐसी दिक्कतें हर तरह से दूर होनी चाहिए। दूसरे बीज के साथ वह यह भी दिक्कत महसूस करते हैं कि जहां बीज गोदाम हैं वहां कृषि के उन्नति के जो औजार हैं, जो नये किस्म के हैं, वह भी वहीं रहने चाहिए। मैं मथुरा जिले की कहता हूं कि वहां पर बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कि वहां पर कल्टीवेटर और दूसरे प्रकार के हल वगैरह नहीं रहते हैं। कम से कम छोटे किस्म के औजार जहां बीज गोदाम हैं, वहीं रहने चाहिए जो किसान लेना चाहें, तकावी से या किस्त पर जैसे चाहें आप दें, लेकिन वहां रहें, ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार ले सकें, अपनी खेती में तरक्की कर सकें। बीज गोदाम के इर्दगिर्द एक एरिया निश्चित कर लेना चाहिए जो ४---५ गांवों का एरिया हो। वहां बढ़िया बीज और खाद का इन्तजाम होना चाहिए। इस तरह से एक ब्लाक बना लें और जो सुधार हो, उस सुधार के अनुसार वहां काम होना चाहिए।

गन्ने के बीज के बारे में जो मेरे मित्र ने कहा, वह ठीक है, खास तौर से मथुरा में। वहां कोई मिल नहीं है। २१३ नं० का जो गन्ना होता है, उसमें बीमारी लग जाती है, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामहेत सिंह]

फट जाता है। एक बीमारी होती है, बांधा। उसमें छोटे छोटे पेड़ रह जाते हैं। वहां बीज १०–१५ साल से इतना खराब हो गया है और विकसित बीज नहीं पहुंच पाता है, जिससे किसान खराब बीज को ही बोता है, और मार्च के बाद उस से गुड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। जहां तक गन्ने के बीज का सवाल है, मैं प्रार्थना करूंगा कि उसमें भी सुधार के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय।

हड्डी की खाद बनाने के सम्बन्ध में जो योजना शुरू की गयी है, मैं देखता हूं कि देहात में उसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन वह वहां बहुत मंहगी पड़ती है और इसलिए उसे वहीं बनाने का इन्तजाम कर दिया जाय, तो सुविधा होगी। कोई फैक्टरी या कारखाना वहां खोल दिया जाय, तो इसकी पूर्ति हो सकती है।

श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गजेन्द्र सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही बीज गोदाम के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। देवरिया जिले में जब ओला पड़ा था तो उस समय किसानों के जिम्म बीज बाकी पड़ गया जिस पर ५० फीसदी तक तावान लगाया गया था। उसके बारे में मैंने असेम्बली में प्रश्न किया तो माननीय चरण सिंह ने उत्तर दिया था कि ५३ तक का जो तावान है वह माफ कर दिया गया है फिर भी बीज गोदाम की तरफ से वह तावान वसूल किया गया। मैंने सी० डी० ओ० से कहा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई माफी का हुक्म हमारे पास नहीं आया है हालांकि लिखा पढ़ी बराबर कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यह बहुत बड़ी अन्धेर है कि किसानों से माफसुदा तावान वसूल किया गया है और दफ्तर से कोई आर्डर नहीं गया। साथ ही एक बात और बीज गोदामों के बारे में बतला देना चाहता हूं कि जब किसान बीज गोदाम से बीज लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें 'ए' क्लास बीज के साथ इतना सड़ा गला बीज भी लेना होगा और मजबूर होकर उसे वह लेना पड़ता है लेकिन बीज जब किसान देने जाता है तो उससे बढ़िया बीज लिया जाता है लेकिन जिस वक्त लेने जाता है तो उसे बुरा किस्म का बीज मिलता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जिस समय गोदाम बन्द किया जाता है तो सारे बीज के बोरो को देखकर कोई अधिकारी बीज गोदाम अपने सामने बन्द करावे, इसमें गल्ती न हो। बीज का सुपरवाइजर जो बीज लेता है वह किसी दूसरे से बुरे किस्म का बीज लेकर उसमें मिला देता है, उससे बीज में गड़बड़ी होती है, और उसका सुधार नहीं होता है। और जब गोदाम खोला जाय तो अपने सामने खुलवाये और तब बीज बांटा जाय। इससे बीज में जो गड़बड़ियां होती हैं वे बन्द हो जायंगी। इसके अलावा जो ईख के बीज में सबसिडी दी जाती है उसमें भी बहुत गड़बड़ी होती है। बहुत से लोगों से झूठा लिखवा लिया जाता है लेकिन उनको सबसिडी नहीं दी जाती है और इससे हर जगह बढ़िया से बढ़िया बीज नहीं पहुंच पाता है। ऊख के बीज का भी ठीक प्रबंध होना चाहिये। जो प्रबंध है उसमें बीज बढ़िया न होने की वजह से ऊख में कीड़ा वगैरह लग जाता है और उससे ऊख खराब हो जाती है। इसके अलावा उसकी बीमारी का भी ठीक प्रबंध होना चाहिये नये किस्म की ऊखों में कई किस्म की बीमारियां फैल गयी हैं उनके लिये उचित प्रबंध दवाइयों वगैरह का होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव के विरोध में श्री राम नरेश शुक्ल जी ने तो कहा लेकिन उन्होंने उसके विरोध में कोई दलील नहीं दी। साथ ही साथ उन्होंने स्वयं अपने मंत्री जी के विभाग का ही विरोध किया और इस दौरान में उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी कोट पतलून पहन कर किसानों के बीच में जाते हैं। मैं इसकी ताईद करता हूं लेकिन उन कर्मचारियों का सुधार ही हमें नहीं करना है बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबका ही सुधार हमें करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

४४—लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में कुछ बातें बागवानी की बाबत भी माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। उन्होंने बागवानी के विकास के लिये ४ लाख रुपये की ग्रांट रखी है। इससे पहले यह काफी ग्रांट थी लेकिन इस साल इसको घटाया गया है। इसके साथ ही साथ बागवानी के मामले में मुझे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुभव हुआ है कि सीड स्टोरों से जो पौधे वगैरह किसानों को देने के लिये भेजे जाते हैं उनमें अधिकतर यह देखा गया है कि वह अधिकतर किसानों पर थोपे जाते हैं। किसान उन पौधों को लेना नहीं चाहते हैं लेकिन वह पौधे उन पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं और अगर वह उन पौधों को नहीं लेते हैं तो वह बीज गोदामों में पड़े पड़े ही सूख जाते हैं। किसानों के इन पौधों को न लेने की एक वजह यह भी है कि यह उनको महंगे पड़ते हैं। बाहर बाजार में ये पौधे सस्ते मिल जाते हैं और विभाग इनको सस्ता नहीं बेचता है और इस तरह से यह सूख कर नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से विभाग का और गवर्नमेंट का काफी रुपया नष्ट होता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिये कि जिन क्षेत्रों में हम बागवानी के पौधे भेजें उनका दाम उन क्षेत्रों में लोकल मार्केट से कम होना चाहिये, क्योंकि अगर हमारी कीमत कम न होगी तो किसान उन पौधों को नहीं लेगा और वह सूख कर नष्ट हो जायेंगे। इस सिलसिले में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। फेंसिंग के लिये और तार के लिये भी सरकार ने कुछ प्राविजन किया है। ऐसी सूरत में माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलाया इस फेंसिंग का इंतजाम जहां पर गवर्नमेंट के बागीचे हैं वहीं के लिये किया गया है या जनता के लिये, किसानों के लिये भी, बागवानी का काम करने वालों के लिये भी इस फेंसिंग की व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सजेस्ट करूंगा वह बजाय इसके कि फेंसिंग वगैरह करवायें यह करें कि किसानों को इस किस्म की सब्सीडी दी जाय कि वे खाई बनवा सकें, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सिलसिले में अगर हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे हर एक सेंटर में गवर्नमेंट का एक बाग हो और उनसे अगर हम पौधे किसानों को दे सकें तो यह उनके लिये बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही साथ खाद की बाबत भी माननीय मंत्री जी ने इसमें प्राविजन किया है। हड्डी की खाद की तरफ भी तवज्जह देनी है, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो खाद हमारे यहां है उसको अगर हम किसान को दे सकें और गोबर के जो कंडे किसान पाथ लेते हैं उसको अगर न पाथने दें और उसी को किसान इकट्ठा करें तो उससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। गांवों में चूंकि उनको जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती है इसलिये मजबूरन उनको गोबर के कंडे पाथने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को कुछ सबसिडी, सहायता देनी चाहिये ताकि वे कंडे न पाथें और कंडे न पाथ करके जो गोबर है उसको अगर हिफाजत से रखें तो उससे खेती को बहुत फायदा होगा और हमारी खेती बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

*श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें ज्यादा नहीं कहना है। मुझे एक बात का अफसोस हुआ कि हमारे मित्र गजेन्द्र सिंह जी जो इटावा जिले से तशरीफ लाते हैं उनको मेरी एक बात भी पसन्द नहीं आयी। इस विभाग की एक बात भी पसन्द नहीं आयी। अब मैं क्या समझूं, उनका आयना गलत हो गया या क्या बात है? उन्हीं के साथी उसी जिले के हैं, एक तरफ व वहां इटावा में जो तरक्की हुयी है, जो इस वक्त फसल लगी हुयी है उसकी प्रशंसा की। अगर हमारे माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने महेवा पायलट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में एक लफ्ज भी मुवाफिक कहा होता तो मैं समझता कि वे कुछ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वह तो देखना चाहते ही नहीं। अभी १५ या २० दिन हुये मुझे इटावा जाने का मौका मिला था और भाई गजेन्द्र सिंह जी की सिफारिश से मुझे वहां आने का इनविटेशन मिला और मैंने कोशिश की कहीं उनसे मुलाकात हो जाय, लेकिन मुलाकात कहां! उस महेवा प्रोजेक्ट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह]

एरिया में जिसमें सैकड़ों गांव हैं, जो नये ढंग से वहां खेती होती है उसको देखने का मौका मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी फसल मैंने कहीं और नहीं देखी। इतनी सुन्दर फसल वहां गेहूं की, चने की, मटर की, आलू की, सरसों की है और वह हमारे यहां के बीज की खूबी है, आपके यहां की जमीन की नहीं। लेकिन आपको शिकायत है कि आलू बोया सड़ गया। आपने गलत तरीके से बोया होगा। श्री नारायणदत्त तिवारी जी से पूछिये कि पहाड़ पर किस तरह से आलू पैदा किया जाता है, बड़े बड़े आलू पैदा करते हैं। खाली बीज की वजह से खराब नहीं होता, बहुत से फैक्टर होते हैं। बीज तो आपने बढ़िया लिया और खेत को बिना जोते ही बो दिया तो कैसे अच्छी खेती होगी? सारा इल्जाम बीज पर लगा देना कहां तक इन्साफ की बात है? मैं क्या बताऊं उस तरफ से कभी देखने की कोशिश नहीं की जाती कि जो अच्छी बात हो उसको एप्रीशियेट कीजिये और खराब हो तो उसको खराब कहिये। लेकिन वही कांग दृष्टि वाली मसल है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो अच्छी बात का भी असर जरा ठीक नहीं पड़ता। उधर से कहा गया कि लीजिये कुओं के लिये अनुदान में रकम कम रखी गयी है। कितनी जगह अनुदान है सिंचाई की। कल ही २२ नम्बर की ग्रांट में ३२ लाख रखा गया है, इरीगेशन में है, चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम हो रहा है। तो करोड़ों का इंतजाम तो सिंचाई का है लेकिन आप कहते हैं कि कम है।

आपने फरमाया कि बीज कम मिलता है। इतना बड़ा तो हमारा विस्तृत सूबा है जहां करीब करीब २.९५ या २.९८ करोड़ मन के हमको बीज की जरूरत पड़ा करती है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जरा प्वाइंट बतला दीजिये।

श्री हुकुमसिंह---यू आलवेज लुक टु दि प्वाइंट।

मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन करोड़ मन तो हमको बीज की जरूरत है और हमको फाइव परसेंट देना पड़ता है प्योर सीड तो कभी न होगी तो बीज से कहां से होगा? कहते हैं कि आप किसानों से जुर्माना न लीजिये। ऐसे नादेहन्दों को आप सिफारिश करते हैं। जो बीज ले जाता है उसको लौटाना चाहिये। अगर वह लौटायेगा नहीं तो हम कहां से बीज इकट्ठा करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर ये हमारे गवर्नमेंट फार्म न होते एग्रीकल्चर के तो हम इतना बीज भी न दे पाते। हमने एक स्कीम रखी है सीड सेक्रेशन स्कीम और मैं चाहता हूं कि किसान हमारे यहां से बीज ले जायं, प्योर, और फिर उसको गड़बड़ न होने दें, उसकी प्योरिटी को कायम रखें। लेकिन इन सब बातों को मैं अकेले यहां खड़े होकर या हमारे विभाग के अधिकारी ही केवल पूरा नहीं कर सकते। हम तो आप सबका सहयोग चाहते हैं और गजेन्द्र सिंह जी का भी सहयोग चाहते हैं। वह अपने गांव के लोगों से कहें कि हमारे यहां से प्योर सीड ले जायं फिर उसकी प्योरिटी कायम रखने की भी कोशिश करें। तभी जाकर यह हो सकता है। हमारा सूबा इतना बड़ा है। कितने ही तरह के किसान हैं। मैं उनको दोष नहीं देता हूं क्योंकि आजतक अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, उन्हें यह चीजें बतलायी ही नहीं गयीं। तो फिर वह अपने से कैसे समझ सकते हैं। लेकिन आज हम आप सभी मिलकर कोशिश करें तो यह बातें हो सकती हैं। केवल यह कह देने से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि साहब भदई की जगह अगहनी का बीज दे दिया और इस तरह से किया और फिर यह कहा गया कि मेरे पास शिकायतें आयीं। तो मैं जो उसमें कुछ करने धरने वाला था, तो मेरे पास तो आयी नहीं आपके पास पहुंच गयी। यह भी बताया अपने गन्ने के बीज के बारे में कोई शिकायत की, आप कहते हैं कि आपके पास २५ दरख्वास्तें आयीं, एक नहीं २५ दरख्वास्तें। मैंने जब कहा कि जिस अफसर ने गड़बड़ी की उसका नाम बताइये। जहां पर गड़बड़ी हुयी वह जगह बताइये, पूरा डिटेल दीजिये तो नहीं बतायेंगे। कत्ल हो जाता है। लेकिन बिना सबूत के फांसी नहीं होती है। तो आप नाम नहीं बतायेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आप नाम बतायें, हम इन्क्वायरी करायेंगे और उसके बाद पनिश करायेंगे। जब तक हम और आप

ऐसा ऐटीच्यूड न एडाप्ट कर लें तब तक वैसे कह देने से तो कोई विशेष फायदा नहीं होता बल्कि तुनकान होने का डर रहता है। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको भी उसी में कर दीजिये नो वह भी उत्साहहीन हो जाते हैं। मैं तो फिर कहूंगा कि वह मुझको दफ्तर में नाम लिखकर दे दें कि किस गांव में और किस अफसर ने क्या गड़बड़ी की, पूरा डीटल वह दे दें। आई शैल लुक इन्टू इट।

कुछ जूट के बारे में कहा गया। मैं तो यह कहता हूं कि २.७२ लाख मन जूट पैदा किया। जूट एक ऐसी फसल है जिसके बारे में माननीय गेंदा सिंह जी मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जो सैलाबी जिले हैं वहां सैलाब के मुकाबिले में वह खड़ा हो सकते हैं और वहां के लोगों को जो तकलीफ सैलाब से पहुंचती है उनको तकलीफ में भी कुछ कमी हो सकती है। तो जितना ध्यान हम दे सकते हैं, दे रहे हैं और कोई यह नहीं है कि हम अपने से कोई कोताही करें। अगर पैसा कम हो जायगा तो मैं सप्लीमेंटरी के जरिये से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि रुपया दिया जाय। मैं हमेशा तैयार हूं इसकी तरक्की करने के लिये, जो कुछ भी हो सके वह किया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इसकी बिक्री का भी इन्तजाम करें।

श्री हुकुमसिंह—जब पैदा करेंगे तो बिक्री का भी इन्तजाम करेंगे। नहीं तो बिक्री नहीं होगी तो पैदा भी नहीं किया जायगा। हमारे यहां आप जानते हैं, जूट की समस्या हमारे सामने बड़ी कठिन थी। हमने उसको हल करने की कोशिश की और आप सब भाइयों की सहायता से और मदद से हमने कुछ हद तक उसे हल भी किया और अगर कुछ और कसर बाकी है तो उसके हल करने में भी हमें कोई शुबहा नहीं है। अब हम उसकी क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में भी देखभाल हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीयत है इस विभाग की तरक्की देने की या नहीं? मैं बहुगुना जी का बहुत आभारी हूं, जितने शब्द उन्होंने मेरे बारे में कहे हैं उनके लिये। मैं भरसक कोशिश करूंगा, यह मैं सब भाइयों को इत्मीनान दिलाता हूं। "टु एर इज ह्यूमन", गलती इन्सान से हुआ करती है। मैं तो यह कहता नहीं। और प्रतापगढ़ का जहां तक ताल्लुक है तो वह तो ऐसा जिला है कि वह बिलकुल ऊसर है। अच्छे से अच्छा बीज ले जाइये वहां जमता ही नहीं। न मालूम क्या बात है। मैं अपने डिपार्टमेंट वालों से कहूंगा कि वह इसके बारे में रिसर्च करें, क्या बात है आखिर। ऐसा ही पहाड़ी इलाकों में खास तौर से आजमगढ़ में भी बहुत सा ऐसा ऊसर इलाका है।

श्री गेंदासिंह—वह तो बहराइच में है।

श्री हुकुमसिंह—बहराइच में तो बीज भी अच्छा खेती भी अच्छी। लेकिन आपके यहां खेतों में भी खराबी है।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१—कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत २,९५,९५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक—८—राज्य आबकारी

मादककर मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,०२,५२,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान के विषय में कोई विशेष बात नहीं कहनी है । इतना कहना चाहता हूं कि इसमें दो तीन काम खास तौर से हुये हैं । पावर अल्कोहल, प्राहिबीशन और एक्साइज । हमारे पूरे मुल्क में आज पट्रोल की शार्टेज है और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत काफी तादाद में पावर अल्कोहल बनता है जोकि बहुत हद तक पट्रोल के खर्च को कम करके देश की मदद करता है और फारेन एक्सचेंज को भी रिलीफ देता है । हमारे प्रदेश में गन्ना चूंकि काफी तादाद में पैदा होता था और उसका बाई-प्रोडक्ट शीरा या मोलेसेज निकलता था । वह पहले तो बरबाद होता था । अब उसको इस्तमाल करके इस वक्त करीब ६० लाख गैलन के पावर अल्कोहल हमारे प्रदेश में पैदा हो रहा है जोकि पट्रोल के साथ मिलकर हमारे प्रांत के ४४ मिक्सिंग डिपो के जरिये से उसे बाहर प्रदेश में भेजा जाता है । पप्सू, देहली, मध्यभारत और पंजाब के अन्दर भी इसका इस्तमाल किया जा रहा है । दूसरे इस अनुदान के सिलसिले में ७५ लाख रुपये वह रखा गया है जिसके जरिये से पावर अलकोहल डिस्टिलरीज के अन्दर तैयार किया जाता है और बाद में वह रुपया वसूल किया जाता है । ६ लाख ५ सौ रुपया अफीम की खरीद के लिये रखा गया है जोकि बाद में वसूल हो जाता है । इस तरीके से इस अनुदान में सिर्फ इस मुहकमे पर जो खर्च किया जाता है वह २१,५१,६०० रुपया है । जहां तक एक्साइज विभाग और प्राहिबीशन का ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि आज दो राय नहीं हैं, कि हमारे विभाग की खास पालिसी पूरे देश के अन्दर मुकम्मिल तौर पर प्राहिबीशन करने की है और इस बात को मद्देनजर रखते हुये अपने प्रदेश के अन्दर उन जिलों में जिनमें कि प्राहिबीशन हर तरीके से सफल हो सकती थी, इस प्रकार के ११ जिलों के अन्दर हमने प्राहिबीशन किया । और उस समय से सन् १९४९ तक ११ जिलों में पूरा किया । उसी समय हमारे पास केन्द्रीय सरकार से एक सरकुलर आया जिसके मुताबिक हमको यह हिदायत मिली कि हमको "स्लो एंड स्टैडिली" प्राहिबीशन के काम में चलना चाहिये । फिर भी हमने धार्मिक स्थानों पर, ऋषिकेश, हरिद्वार और बृन्दावन में हमने प्राहिबीशन किया । इन सब स्थानों और ११ जिलों को मिलाकर एक करोड़ और २५।३० लाख के करीब सरकार की रेवेन्यू थी । मैं फिर भी आप को बताना चाहता हूं कि जो हमारे दूसरे इलाके हैं जहां प्राहिबीशन नहीं है वहां भी हमारा यह उद्देश्य, यह लक्ष्य है कि जो इसके एडिक्ट्स हैं उनको तमाम इन नशीली वस्तुओं से विरक्त किया जाय । इसके लिये जो जो तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं वह किये जाते हैं । मसलन प्रचार या प्रोपेगेंडे की बात है । इससे यह हो सकता है कि अच्छा वातावरण बना कर जो नशीली वस्तुओं से ग्रसित हैं उनको उनसे छुड़ाया जाय और इसमें हमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है।

आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पूरे प्रान्त में सन् १९४६ ई० में करीब १२ लाख गैलन देसी लीकर का इस्तेमाल होता था जो अब कम होकर ७ लाख ९० हजार गैलन हो रहा है । इस सम्बन्ध में मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि जो प्राहीबीशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका भी एक लाख ३० हजार गैलन का खर्चा इसमें शामिल है । जो हमारे "वैट" डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें करीब ५ लाख गैलन की कमी इस दौरान में हुई है । इन सब के होते हुये भी सरकार का यह लक्ष्य है टैम्परेन्स का यानी कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल हो । उसके लिये कोशिश की जा रही है और जो हमें इस सम्बन्ध में सफलता प्राप्त हुई है वह इन फिगर्स से मालूम होती है ।

इसी प्रकार से ओपीयम में पानी अफीम में भी काफी कमी हुई है। पहले हमारे प्रान्त में अफीम का खर्चा १४ हजार सेर था अब कम होकर १२ हजार सेर हो गया है। इसी तरह से हैम्प ड्रग्स में भी काफी कमी हुई है। पहले १ लाख ९९ हजार सेर खर्च होती थी जो अब डेढ़ लाख सेर खर्च हो रही है। मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि हमारे विभाग की जो पालिसी है वह यह है कि एक तरफ तो प्रोहिबीशन की है और दूसरी तरफ जिन स्थानों में प्राहिबीशन चालू नहीं किया गया है वहां पर टेम्परेंस का हमारा लक्ष्य है और हमें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है।

जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरम्भ में कहा है कि हमारे विभाग की पालिसी यह है कि हम पूरे प्रान्त में मद्य-निषेध यानी प्राहिबीशन करें और इस सिलसिले में हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की हिदायतों पर भी चलना पड़ता है। यह हमारे लिये खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इसके लिये एक एस० एन० अग्रवाल कमेटी बैठी हुई है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है और हम इस कमेटी की हिदायतों का इंतजार कर रहे हैं, जब वह आयेंगी तब हम इस सिलसिले में दूसरा कदम उठायेंगे। मैं यहां पर इतना बतलाना चाहता हूं कि जहां यह सब किया जा रहा है उसके अलावा भी हमारे यहां जैसा कि मैंने अफीम का जिक्र किया कि १९५९ तक जितना खर्च हो रहा है उस सब को हम बन्द कर देंगे और इसी बात को सामने रखते हुये पहली अप्रैल से जितने अफीम के एडिक्ट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जायगा। १९५६ की अप्रैल से केवल उन लोगों को अफीम जिनका रजिस्ट्रेशन होगा एक रिड्यूस्ड तादाद में मिला करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस समय इस अनुदान को सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसकी स्वीकृति में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय। श्रीमन्, शराब बन्दी के सिलसिले में जो माननीय मंत्री ने अपने उद्गार प्रकट किये थे ये बहुत पुराने उद्गार हैं और सरकार कई बार व्यक्त कर चुकी है और कम से कम ११ जिलों वाली बात को सन् ४६ से लगातार अब तक सुनते चले आ रहे हैं। यह ११ जिले कब १२ होंगे इसको शायद माननीय मंत्री जी भी नहीं जानते हैं और यह सदन भी नहीं जानता है। इस शराब बन्दी के पीछे हम सब लोगों की एक सिद्धान्त और आदर्श की भावना है और मुझे इस बात का दुःख है कि जिस गवर्नमेंट आफ इंडिया की बात माननीय मंत्री जी ने की वह भी अभी तक सभी राज्यों में एक समान प्रणाली प्राहिबीशन के बारे में प्रयुक्त नहीं कर पायी। अब या तो उसका इस ओर ध्यान ही नहीं गया या वह असफल रही। यह इससे साबित होता है कि आज इस देश में केवल मद्रास और बम्बई में पूर्ण रुप से शराब बन्दी है, मध्य प्रदेश में आधे में है, आसाम में केवल अफीम के ऊपर है, पंजाब में एक जिले में है, सौराष्ट्र में केवल शराब पर है, बंगाल, काश्मीर, हैदराबाद, विन्ध्य प्रदेश, इनमें बिलकुल प्राहिबीशन है ही नहीं। तो इस बात को मैं नहीं मान सकता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के तर्कों के हिसाब से हमारी राज्य सरकारें प्राहिबीशन कर रही हैं। और, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो प्राहिबीशन कमेटियां विभिन्न प्रदेशों में बनीं उन सब ने माना है कि प्राहिबीशन की स्कीम सब जगह फेल रही। मिसाल के लिये माननीय मंत्री जी राममूर्ति कमेटी जो आन्ध्र की थी उसकी रिपोर्ट देख लें जिसकी वजह से प्रकाशम मिनिस्ट्री को जाना पड़ा। मध्य भारत में एक कमेटी सन् ५२ में बनी थी उसकी भी यह राय थी। तो एक तरफ तो यह कहना कि हम शराब बन्दी की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ रेवेन्यू की तरफ भी आंख उठाये रखना, ये दोनों बातें नहीं चल सकतीं।

हमारे उत्तर प्रदेश में भी रेवेन्यू का ही सवाल है। हमारे माननीय मंत्री ने तो एक करोड़ की कमी बतलाई लेकिन हमने जो देखा तो सन् ४६-४७ से अब तक केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

८७ लाख रुपये की कमी हुई है। यू० पी० एक्साइज मैनुअल में जो रूल ४ है उसमें साफ़ लिखा हुआ है:--

"While it is necessary to emphasize that considerations of revenue are to be in subordination to the promotion of temperance, every endeavour should nevertheless be made to ensure to the State as large a share as possible of the profits accruing from the sale of excisable articles by methods which admit of the most efficient supervision and control."

यानी जहां पर शराबबन्दी रेवेन्यू की कंसीडरेशन से ऊपर है वहां पर इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि राज्य को जितना अधिक मुनाफ़ा मिल सके एक्साइज की वस्तुओं का उन सभी तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिये। अभी तक रूल ४ एक्साइज मैनुअल में लिखा हुआ है जो फंडामेंटल है। तो इस लिये यह कहना तो नाम मात्र की नीति है कि हमने ११ जिलों में शराबबन्दी कर रखी है। उसको चेक करने के लिये सरकार ने एकोनामिक्स ऐण्ड स्टैटिसटिक्स डिपार्टमेंट को चार्ज दिया। कोई कमेटी बनायी जाती, सदन के सदस्य उसमें होते, कोई ऐक्सपर्ट्स होते तो हमारी समझ में भी आता। उस डिपार्टमेंट को अपने ही काम से फुर्सत नहीं है। उन्होंने सर्वे किया लेकिन आज तक वह रिपोर्ट नहीं आयी। जो रिपोर्ट हमें बांटी गयी है उसमें लिखा है कि हम उस पर कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। रिपोर्ट हमारे सामने आये तो हम भी कुछ जवाब दें। तो एक्साइज कमिश्नर के यहां से आने वाले आंकड़े हैं उनसे भी यह साबित होता है कि पिछले साल से इस साल हर मद में, एक अफीम को छोड़ कर, चाहे शराब की बिक्री हो चाहे कंट्री लीकर की बिक्री हो, बढ़ोत्तरी हुई है। कंट्री लीकर की सन् ५२--५३ में ७,७४,००० गैलन की बिक्री थी और ५३--५४ में ८,१०,००० गैलन बिकी। अफ़ीम १० हजार सेर से बढ़ कर १२ हजार सेर हो गयी है। भंग तो हमेशा बढ़ती गयी, उसकी ओर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। सन् १९५१--५२ में १,२१,००० सेर से बढ़ कर १ लाख ७९ हजार सेर हो गया। इम्पोर्टेड स्प्रिट ऐंड वाइन १९५२--५३ में ६४ हजार क्वार्ट से बढ़कर १ लाख ४ हजार क्वार्ट हो गयी। इम्पोर्टेड बियर २ लाख १८ हजार क्वार्ट से बढ़कर ३ लाख ८२ हजार क्वार्ट हो गयी। इंडियन मेड स्प्रिट ३ लाख ८१ हजार से बढ़कर ४ लाख ३७ हजार क्वार्ट हो गयी। इंडियन मेड बियर ३ लाख १३ हजार से बढ़ कर ३ लाख ५० हजार क्वार्ट हो गयी। टोटल इन सब का मिला कर ९ लाख ७७ हजार क्वार्ट से बढ़कर १२ लाख ७४ हजार क्वार्ट हो गया। तो इससे क्या साबित होता है? पिछले दो साल से बजाय इसके कि हम खुले आम कोई इस बात का प्रावधान करें, पहले हमने कम करने की कोशिश की अब फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

कभी कमेटियों का बहाना मिल जाता है। अग्रवाल साहब की कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। वह आज तक नहीं निकली। इस प्रान्त में जो कमेटी बननी चाहिये वह क्यों नहीं बनायी जाती? बम्बई ने कमेटी बनायी है। और बम्बई ने बताया है कि प्राहिबिशन से जनता के कितने धन की बचत हुई है। उसने बताया है कि ३२ करोड़ रुपया जनता का शराब न पीने से बचा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आज तक उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है जिससे मालूम हो सके इन ग्यारह जिलों में जनता का इतना रुपया बचा है। बम्बई में जो कोशिश हुई उससे भी फायदा नहीं उठाया गया। दूसरे मुल्कों में जहां प्राहिबीशन किया गया और नाकामियाब रहा उनसे भी हमने कोई फायदा नहीं उठाया। स्वेडन में एक सिस्टम है गोदेनवर्ग, डाक्टर ब्रेड्स फार्मूला कहा जाता है। उसके अनुसार एक कारपोरेशन बना दी गयी है। उसको लिकर सप्लाई मानोपली दे दी गयी है। वह ड्रिंकर्स रजिस्टर रखती है जिसमें पीने वालों के नाम दर्ज रहते हैं। उन्होंने राशन सिस्टम भी इवाल्व कर लिया है। राशन से उनको शराब दी जाती है और फिर सिखाया भी जाता है कि कम पीजिए। एक तरफ रचनात्मक कार्य भी होता रहे और

इंडायरेक्ट प्राहिबिशन कार्य को भी बढ़ाने की कोशिश होती रहे। तो कम से कम वेट डिस्ट्रिक्ट्स में जहां कोई प्राहिबिशन नहीं है कोई इस तरह की कोशिश होनी चाहिये।

मध्यभारत कमेटी ने इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया था कि आक्शन के जरिये जो शराब बेची जाती है उससे बहुत भ्रष्टाचार पैदा होता है। उन्होंने लाइसेंस्ड बाटल सिस्टम का सुझाव दिया कि बाटल के ऊपर कुछ लाइसेंस फी हो और ड्रिंकर्स रजिस्टर हों। तो इससे जो वेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर खुले आम शराब बिकती है उनमें भ्रष्टाचार की कमी हो सकती है और सरकार की आमदनी भी निश्चित हो सकती है। और देश में जैसे अमरीका में वोल्स्टेड ऐक्ट को रिजेक्ट कर के विकेरशाम कमीशन बैठाया गया। तो इस प्रकार से दूसरे मुल्कों में एक्सपर्ट्स ने जो काम किया, जहां प्राहिबिशन सिस्टम रद्द हुआ और फिर चलाया गया, उनसे हमको सबक लेना चाहिये। लेकिन हम नाममात्र के लिये होंठ के सामने बात ला देते हैं कि हम शराब बन्दी चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने फिर इस विभाग का चार्ज लिया है। मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। एस० एन० अग्रवाल की कमेटी होती रहेगी। अगर वह डिपार्टमेन्टल एक्सपर्ट्स के हाथ में रहेंगे तो हमेशा वह प्राहिबिशन के खिलाफ़ रिपोर्ट देंगे। मध्य भारत कमेटी ने प्राहिबिशन लिया। उसमें कुछ आफिसर्स रख दिये। आंध्र में राममूर्ति कमेटी में तीन आफिसर्स रख दिये गये। कोई पुराना कांग्रेस का आदमी उसमें नहीं रखा गया। जो आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखते हैं उनको किसी कमेटी में रखा ही नहीं गया।

पावर अल्कोहल के बारे में कहा गया कि यह बहुत तरक्की कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस सम्बन्ध में मिल मालिक कितना इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तीन तीन भाव पर शीरा बेचा जाता है। इसकी कहानी सरकार को मालूम है। अभी मुझे यह सूचना मिली है कि बड़े बड़े मजिस्ट्रेट जिनके हाथ में लाइसेंस की पावर होती है वह इसका कितना दुरुपयोग करते हैं। जैसे मिसाल के लिये मैं आप को बतलाऊं और माननीय मंत्री जी को भी मालूम होगा कि देवरिया के जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने स्कूल के प्रेसीडेंट होने के नाते शीरे का परमिट लिया फिर उसको बाद में ब्लैक मारकेट में बेच दिया गया। ५ हजार मन का परिमिट उनको दिया गया लेकिन दूसरे तरीके पर उसका इस्तेमाल किया गया जब कि एक निश्चित काम के लिये वह दिया गया था। मगर उसकी कोई जांच नहीं की गयी जब तक आप इसकी जांच नहीं करायेंगे तो यह काम चल नहीं सकता है। एक्साइज का प्रोहिबिशन भ्रष्टाचार की परिधि से परे होना जरुरी है इसी वजह से जनता का विश्वास पूरा इस पर नहीं है। आज जो गैरकानूनी शराब चलती है उसकी हालत भी खराब है। आप किसी जिले में जाइये तो आप को गैरकानूनी शराब वहां पर जरूर मिलेगी। और माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि कितनी गैरकानूनी शराब बनती है उनके पास इसके आंकड़े भी नहीं हैं। इस रिपोर्ट के अन्दर भी इस बात को कहा गया है कि जो गैरकानूनी शराब बिकती है उसके ऊपर आप कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इन सब बुनियादी बातों की वजह से उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और केवल एस० एन० अग्रवाल की रिपोर्ट आने तक इस चीज को रोकना हमारे लिये सुविधाजनक नहीं होगा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, इस अवसर पर मद्यनिषेध की नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो हमको रिपोर्ट दी गयी है उस रिपोर्ट को महात्मा गांधी के नाम से शुरू किया गया है। उस रिपोर्ट को देखने से और जब हम सरकार की नीति को देखते हैं तो उससे यह पता चलता है कि यह रिपोर्ट उसके विपरीत है। सन् १९४९ से मद्यनिषेध के बारे में काम किया जा रहा है और वह केवल ११ जिलों तथा तीन तीर्थ स्थानों में ही लागू रह कर रह गया है और उससे आगे हम आज तक नहीं बढ़ पाये हैं। इस भवन में लगातार इस बात पर जोर दिया गया और प्रदेश के बाहर भी इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि किसी तरह से वे लोग जो शराब पीने के आदी हैं वह किसी

[श्री जगदीश प्रसाद]

प्रकार से शराब पीने की आदत छोड़ दें। श्रीमन्, जब संविधान में यह मंजूर कर चुके हैं कि हमें मद्यनिषेध को एक राष्ट्रीय नीति के अनुसार लागू करना है तो मैं यह समझता हूं कि उसका यह अर्थ है कि मद्य का पीना सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से अहितकर है। हमको उसको बन्द करना चाहिये। फिर मैं नहीं समझता कि जब हम चोरी के लिये कानून बना सकते हैं और चोरी करने वाले को दंड दे सकते हैं तो फिर क्यों नहीं प्रयत्न किया जाता कि इसको बन्द किया जाय। तो मैं नहीं समझता कि इसको प्रतीक्षा आप कब तक करते रहेंगे कि वह पीने वाला अपनी आदत छोड़ दे। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने राष्ट्रपिता महात्मागांधी का एक पैरा पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"You will not be deceived by the specious argument that India must not be made sober by compulsion, and that those who wish to drink must have facilities provided for them. The State does not cater for the vicet of its people. We do not provide facilities for thieves to indulge their pros pensity for thieving. I hold drink to be more damnable than thieving and-perhaps even prostitution. Is it not often the parent of both"?

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसका अर्थ इस प्रकार है कि "सरकार जनता की बुरी आदतों की बुराई के साधन जुटाने के लिये प्रयत्न नहीं करती। हम वेश्यावरों को लाइसेंस नहीं देते हैं और न उनको चलाते हैं। हम चोरों को चोरी की सुविधा नहीं देते हैं कि वह अपनी चोरी करने की प्रवृत्ति के अनुसार चोरी में लगे रहें। मैं शराब पीने को चोरी करने और कदाचित वेश्यावृत्ति से भी अधिक तिरस्कार के योग्य मानता हूं। क्या वह दोनों के जन्मदाती नहीं है?' इसी रिपोर्ट के तीसरे पृष्ठ पर कहा गया है कि हम वित्तीय कठिनाई के कारण इसको लागू नहीं कर सकते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे कि अंग्रेज सरकार कहा करती थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बंबई प्रदेश में टोटल प्राहिबिशन हुआ और उन्होंने ३ वर्षों में पूर्ण मद्यनिषेध कर दिया। सन् १९४७–४८ में उनकी आय ४३,७२,८१,९३७ रुपया थी और जब कि मद्य कर से उनकी आय ८५४ लाख थी यानी कुल आय का १९ प्रतिशत थी। इसके मुकाबले में आज हमारा जट ९० ब करोड़ रुपये का है जिसमें आमदनी ८४ करोड़ है और मद्य कर से आमदनी ५ करोड़ ५ लाख के करीब है, इस प्रकार से मद्य कर से होने वाली आय कुल आय का ६ प्रतिशत भी नहीं है। इसलिये सरकार की तरफ से जो आर्थिक कठिनाई की बात कही जाती है वह उचित नहीं मालूम होती। जिस प्रकार बंबई की सरकार ने ३ वर्षों में मद्यनिषेध किया था उसी प्रकार से यहां भी ३ वर्षों में किया जाय तो केवल ७५ लाख रुपया साल को हमें हानि होगी जो एक अरब २२ करोड़ के बजट में कुछ भी नहीं है। कुछ लाभ अलाभ के बारे में भी कहा गया। बाम्बे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी के सामने रिपोर्ट दी थी, जिसका जिक्र माननीय तिवारी जी ने भी किया उन्होंने लिखा है कि–

"राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध से प्राइवेट सेक्टर को अपनी अधिक आवश्यक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ३५ करोड़ रुपया बच गया है।"

आगे चल कर उसमें कहा गया है:–

"१९४६–४७ में अर्थात् मद्यनिषेध से पूर्व यह ३५ करोड़ रुपया जनता द्वारा मदिरा पान में बरबाद किया जाता था जिसमें आधे से अधिक भार गरीब वर्ग पर पड़ता था जिसमें खेती उद्योग के मजदूर, आदिवासी, किसान तथा निम्न-मध्यमवर्ग के लोग आते हैं।"

उसमें और आगे कहा है––

"सफल नियोजन का यह भी लक्ष्य होना चाहिये कि प्राइवेट सेक्टर में अपना रुपया होशियारी से समाज द्वारा वांछित मदों में व्यय हो।"

इसके अलावा मैं एक दूसरी मिसाल भी देता हूं। मैसूर में २-३ भागों में मद्य-निषेध को अपनाया गया था। उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है:--

"मद्यनिषेध ने निश्चयपूर्वक साधारण जनता को अपनी आय का एक अच्छा भाग बचाने तथा अपने नैतिक स्तर ऊंचा करने में सहायता दी है। मद्य के नशे में हुए घरेलू झगड़े व अपराध कम हुये हैं। जो व्यक्ति मदिरा के अभ्यस्त थे उनकी क्रय-शक्ति बढ़ी है तथा लाभदायक वस्तुओं का खर्च भी बढ़ा है।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं आप के द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि यह वह कार्यक्रम है कि जिसके अन्तर्गत आप माननीय मन्त्रिमन्डल के सदस्यों, सरकारी और विरोधी पक्ष के सदस्यों में से आधे से अधिक ने कारावास यात्रा की है, यातनायें सही हैं और जब हम आज सरकार में आ गये हैं तो हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाय तब मद्य-निषेध करें। हमारे लिये यह बड़ी लज्जा की बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट प्राहिबिशन करे और सहायता मांगे, बिहार गवर्नमेंट प्राहिबिशन करे और कहे कि हमारी सहायता करो, मध्य भारत और मध्य प्रदेश की सरकारें प्राहिबिशन करें और कहें कि सहायता करो और उस समय हमारा प्रान्त केवल इस प्रकार की बातें कहें। अतः अन्त में मैं माननीय मादक कर मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जनता की इस मांग को पूरा किया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, प्राहिबिशन को हमारे सूबें में लागू किये कमोबेश १८ साल गुजर गये। इस अर्से में कई मतबा यह सवाल उठाया गया। हम यह भी जानते हैं कि प्राहिबिशन की वजह से हमारे सूबे की आमदनी धीरे-धीरे घट रही है। प्राहिबिशन हमारे कांस्टीट्यूशन का एक डायरेक्टिव प्रिन्सिपल है और उसके लिहाज से प्राहिबिशन हम लोगों के लिये जरूरी है। अब १८ साल के तजुर्बे के बाद यह जरूर है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राहिबिशन जारी न रहना चाहिये तो हमें इसको खत्म कर देना चाहिये या हम अपनी नीति को ही तब्दील कर दें। यह सवाल उस हाउस में भी बार-बार उठाया जाता रहा है। मुझे खुशी है कि जो मौजूदा आनरेबिल मिनिस्टर आफ एक्साइज हैं, दरमियान में वे इसके इन्चार्ज नहीं रहे, लेकिन उनके जमाने में भी यह बात हमारे सामने आयी कि इसके लिये एक कमेटी बिठानी चाहिये जो इस बात का फैसला करे और इस बात को देखे कि प्राहिबिशन कहां-कहां कामयाब हुआ है। यह तजुर्बा हमें भी हो रहा है कि इल्लीसिट डिस्टीलेशन पहले से बहुत बढ़ गया है।

अभी मेरे दोस्त श्री नारायणदत्त तिवारी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने हाउस के सामने इसके मुताल्लिक कुछ बातें कहीं। यह सही है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन हमारे सूबे के अन्दर बहुत काफी हो रहा है। लेकिन ख्याल यह है कि इसको किस तरह से रोका जाय। प्रोहिबिशन में जो रुपया सर्फ हो रहा है, उसको कामयाब बनाने के लिए ऐसी सूरत अख्तियार करनी है, जिससे कि इसमें कामयाबी मिल सके। मैं समझता हूं कि एक कमेटी इसके लिए बैठायी जाय जो इस मसले के ऊपर गौर करे। एक चीज जो यहां कही गयी है, और कई दफा दोहरायी गयी कि एक्साइज ला का तरीका है, इसके लिए दिल मजबूत करना है, और एक्साइज ला में ऐसी तरमीम करनी है कि इसकी पिनेल्टीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ायी जाय। दुनिया में जिन जरायम की पिनेल्टीज ज्यादा होती हैं, वे जरायम कम होते हैं, और जिन जरायम की पेनेल्टीज कम होती हैं, वे ज्यादा होते हैं। इसी तरह से एक्साइज का जरायम एक ऐसा जरायम है जो बेलेबल है और बेल के बाद आदमी फिर जाता है, और अपना काम फिर करने लगता है और उसी से रुपया पैदा करके फिर उसका जुर्माना अदा कर देता है। तो जब काफी पिनेल्टीज उसके लिए प्रोवाइड हो, मसलन ७ साल की सजा हो तो मैं समझता हूं कि जरूर उसका असर पड़ेगा, और किसी न किसी हद तक जरायम जरूर कम हो जायगा। इसके साथ ही साथ इस बात की जरूरत जरूर

[श्री सुल्तान आलम खां]

है कि पब्लिक को पापुलर किया जाय और पब्लिक ओपिनियन इस तरह की पैदा की जाय, कि प्रोहिबिशन की तरफ वह विशेष ध्यान दे सके ।

यह बात ठीक है कि प्रोहिबिशन प्रापेगन्डा से बहुत फायदा होता है लेकिन जितना भी यह काम है अगर पंचायतें इस तरफ तवज्जह करें, तो इससे बहुत फायदा पहुंच सकता है । बहुत सी पंचायतें, इस तरफ तवज्जह कर भी रही हैं, लेकिन उनका यह फर्ज होना चाहिए कि वे अपने जरिये पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें और उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं, या और दूसरी नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनका एक रजिस्टर रखा करें । उनका रजिस्ट्रेशन हुआ करे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कौन कौन हैं, जो शराब पीते हैं, तथा दूसरी नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं । हर गांव पंचायतों में इस तरह की एक लिस्ट टांग दी जाय, जिस से लोगों को मालूम होता रहे कि फलां फलां इसके आदी हैं और उनके लिए एक किस्म का राशन सिस्टम हो, और राशन सिस्टम के जरिये ही उनको ये चीजें मिल सकें । राशन के जरिये जिनको यह चीजें मिलें, उनकी एक लिस्ट पंचायतों और लोकलबाडीज में भी होनी चाहिए । इसका असर यह होगा कि उनके ऊपर इसका मोरेल एफेक्ट पड़ेगा, और जरायम करने का हौसला कम हो सकता है । सबसे बड़ी चीज यह है कि एक्साइज के जरायम बहुत ज्यादा होते हैं, और इस जरायम को कम से कम करने की कोई न कोई सूरत अख्तियार करनी है । सब से बड़ी सूरत यह है कि पिनेल्टीज को इनहांस करने पर जरायम कम हो सकते हैं । इसके अलावा अगर एक कमेटी बैठायी जाय, जो इन तमाम बातों पर गौर करे कि इस पर क्या ऐक्शन लिया जा सकता है ।

मध्यभारत में एक कमेटी बैठी है और उस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जहां तक कानून का तरीका है, कानूनी तरीके से प्राहिबिशन नाकामयाब हुआ है, और यह सोचने की बात है कि जब कानून के जरिये प्राहिबिशन नाकामयाब होता है, तो उसके लिए क्या सूरत हो सकती है जिससे कि वह कामयाब हो सके । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक प्राहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी बैठायी है, जो अपना काम कर रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो कमेटी की रिपोर्ट होगी, वह कारां ही होगी । जो कमेटी बैठी है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है, और दिक्कत यह है कि हर सूबे के सामने उसके अलग अलग प्रोबलम्स हैं और उन सबसे उसको डिसकस करना पड़ेगा । जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि सिर्फ किसी आफिसर के सुपुर्द ही इस काम को करके यह काम नहीं किया जा सकता है । मैं तो चाहता हूं कि पब्लिक मैन की एक कमेटी बैठायी जाय, जो इस मसले पर गौर करे और जो उसकी सिफारिश हो उसको सामने रखकर तथा जिस वक्त सेन्टर की प्राहिबिशन कमेटी सूबे का दौरा करे, तो उससे भी वह डिस्कस करे और खुद भी अपने सूबे का दौरा करके तब अपनी सिफारिश दे जिससे कि ऐसी सूरत निकल सके कि प्राहिबिशन की स्कीम कामयाब हो सके ।

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध का प्रश्न सदन के सम्मुख एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । जैसा कि सरकार कहती है कि उसकी यह नीति है कि धीरे धीरे मद्य के व्यसन को कम किया जाय । इस विषय में मैं इस बात से सहमत हूं कि मद्य के द्वारा लाखों आदमियों की वृद्धि का नाश हो रहा है और लाखों परिवार इससे बरबाद हो रहे हैं । हमारे यहां संस्कृत में एक श्लोक आता है :

"बुद्धिं लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ।"

जो विषय बुद्धि को कुतर दे उसको मदकारी कहते हैं और यह वस्तु मद्य कहलाती है । माननीय मन्त्री जी के स्पष्टीकरण या व्याख्या से यह प्रतीत नहीं होता है कि मद्य के व्यसन से कितने पुरुषों का वास्ता है, और कितने आदमियों की बुद्धि का इससे विनाश हो रहा है । ऐसी चीज कि जिस से लाखों मनुष्यों की बुद्धि का नाश होता हो या ऐसा आगम जिससे लाखों मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट होती हो, उन का गृहनाश होता हो और कुटुम्ब में कलह का प्रवेश होत

हो, ऐसे विभाग को सरकार को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। इस दिशा में मद्रास और बम्बई प्रदेशों ने बड़ा प्रयत्न किया है। जो शनैः शनैः मद्यकारी को घटाने की बात कही जाती है, वह युक्तिसंगत नहीं है, मद्य ऐसे नहीं छुड़ाये जा सकते कि एक ओर उनका निषेध भी होता है और सरकार को दूसरी ओर आमदनी भी उससे चाहिए।

एक बार महात्मा गांधी देहरादून आये और वहां के डी० ए० वी० कालेज में भी गये, तो वहां के विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि मद्यकारी के व्यसन से बताओ कि सरकार को कितनी आमदनी होती है? लड़कों को इन बातों को क्या खबर लेकिन एक लड़के ने बताया कि २५ करोड़ की आय होती है। यह सारे भारतवर्ष की बात है। फिर उन्होंने जब विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि यह बताओ कि यह रुपया किस मद में व्यय किया जात है? उस पर एक विद्यार्थी ने जो चतुर था, जवाब दिया कि यह रुपया जो मदकारी से आाता है, उससे जो आय होती है, वह हास्पिटल, स्कूल और रुग्णालयों को दिया जाता है। उस समय महात्मा जी ने कहा था कि जब इस प्रकार की आय जो मादक वस्तुओं से होती है, वह इन शिक्षा संस्थाओं को दी जाती है, तो छात्रों की बुद्धि पर और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मन्त्री जी इस महापातक को एक साथ ही बन्द करने का प्रयत्न करें। सुरापान जो है, वह पांच महापातकों में से एक है। मनु भगवान ने भी इसको हर प्रकार से बन्द करने के लिए कहा है और दण्ड की व्यवस्था की है। दण्डः शास्तिप्रजाः सर्वाः, दण्ड ही प्रजा का यथार्थ शासन कर सकता है। यहां पर उचित दण्ड नहीं होता। होता यह है कि आप शराब बनाने वालों को पकड़ते हैं, और उन के ऊपर सौ रुपये, दो सौ रुपये जुर्माना कर देते हैं, वह इतने दिनों से नाजायज शराब बनाने से ५०० रुपया कमा लेते हैं और उसी कमाई में से सौ दो सौ रुपया जुर्माना भी देते हैं और भी इस तरह से अपनी आय करते हैं। इस लिए इस महापाप को बन्द करना चाहिए और जो शनैः शनैः बन्द करने की नीति है, वह ठीक नहीं है। कहीं बन्द करने और कहीं खुली छोड़ देने से कोई लाभ नहीं। हरिद्वार और बृन्दाबन की बात कही गयी, कि हम ने वहां मद्यकारी बन्द कर दी है। मुझे स्वयं मालूम है कि वहां सबेरे सबेरे जंगल में गांजे वाले आते हैं, और भांग के पेड़ों पर हाथ फेरते रहते हैं और कहते हैं कि मादकता ला रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से मादक वस्तुओं के व्यसन दूर नहीं हो सकते। इस के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए और सर्वथा इस का निषेध अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैं ने कहा कि यह सुरापान जो है, यह भी पांच महापातकों में से एक गिनाया गया है, और बहुत भारी पाप बताया गया है। यदि सरकार इससे कमाई करना चाहती है और अपना कोष भरना चाहती है, तो इस कमाई से बुद्धि नाश होती है और किसी का भला नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इस व्यसन को दूर करने का सरकार द्वारा सतत् और शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए। यह कार्य १८ साल से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं दिखलायी देती, कागज पर भले ही मद्यकारी बन्द हो रही हो, वैसे कहीं बन्द नहीं हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से कथन है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार शीघ्र प्रयत्न करे और हर प्रकार के मद्य के व्यसन को रोकने के लिए सरकार पूरे तौर पर से कानून बनावे।

*श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय आबकारी मन्त्री जी से बड़ी हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि उनकी मदद करूं। यह बात जरूर है कि शराब बन्दी होनी चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चोरी और डकैती यह हमेशा से जुर्म बताया गया है, लेकिन तब इस शासन के होने के बाद भी चोरी और डकैती की संख्या में कितनी कमी हुई है, यह देखने की बात है। शराब पीना कभी जुर्म नहीं करार दिया गया था जब तक कि ११ जिलों में शराब बन्दी नहीं की गयी, तो फिर अगर क्राइम इस तरह से बढ़ते हैं और शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती है, या उसमें असफलता मिलती है, तो उसे ध्यान में रखना होगा, यह अपराध पहले नहीं ठहराया गया था, और अब अपराध ठहराया गया है। मैं एक बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

कहना चाहता हूं कि कुछ सम्पन्न लोगों में शराब पीने की आदत कम है, अनुपात में गरीब ज्यादा पीते हैं। तो अगर गरीबी को दूर करने की चेष्टा जोरों से की जाय तो शराब पीने की आदत अपने आप कम होने लगेगी और सम्भव है, एक न एक दिन समाप्त हो जाय। मैं शराबबन्दी की योजना के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि जो मैंने सामने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में, शीरे के सम्बन्ध में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शीरे का विभाग जो है, वह हमारे सूबे के लिए एक बहुत बड़ा विभाग है। लेकिन एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नशाबन्दी की जो रिपोर्ट है, उसमें शीरे का जो हिसाब आया है मालूम है कि किसी ने भांग पीकर उसको लिख दिया, भंग तो कोई ज्यादा बुरी चीज नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि १९५३–५४ में ४३ लाख १० हजार २०९ मन शीरे का उत्पादन हुआ और पावर अल्कोहल बनवाने वाले डिस्टिलरियों को ५३ लाख ५५ हजार २६७ मन बांटा गया। उसके बाद क्या बाकी बचा ? मैं इसके सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि असल में ५३–५४ में १६ करोड़ मन गन्ना पेरा गया, और उससे ४३ लाख मन शीरा बताया गया। यह कम है, क्योंकि करीब करीब साढ़े तीन फीसदी शीरा निकलता है। तो इस हिसाब से ६० लाख मन शीरे के करीब आना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि शीरे विभाग में कुछ लोग चालाकी से काम करते हैं। तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। एक बड़ी अप्रिय बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा हो जाय और उनका आचरण ऐसा गिर जाय और वे खुद ही जाल फरेब में पड़ जायं, तो हमारे देश का काम नहीं चल सकता। मैं यह कहूंगा कि हमारे डिवीजिनल कमिश्नर श्री शिवेश्वरकर जो एक्साइज कमिश्नर पहले थे, और हमारे जिलाधीश वी० पी० शुक्ला जी, मालूम नहीं पांच हजार या कितना, उनको श्रीकृष्ण इन्टर कालेज बरहज के नाम से मिला और न वह स्कूल को गया और न कहीं, लेकिन तमकुही मिल से निकला। वह स्कूल की आमदनी में भी नहीं गया और वह शीरा डेढ़ और पौने दो रुपये मन के भाव से ब्लैक मार्केट में बेंचा गया। तो यह खुला हुआ चार्ज मैं इस हाउस में उन पर लगाता हूं कि यह इन दोनों आदमियों की गलती से हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे यह बात गलत हो।

श्री अध्यक्ष—आप वैयक्तिक हमला मत कीजिये, क्योंकि जिन पर आक्षेप है वे मौजूद नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे जो कहना था, वह मैं कह चुका, वैसे आपकी आज्ञा मान लेता हूं। इस पर कोई एन्क्वायरी करायी जाय, ताकि उसकी सफाई हो जाय। मैं तो कह चुका और उनकी तरफ से सफाई देने के लिए माननीय मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं। अगर माननीय मन्त्री जी ने इन्क्वायरी करा ली हो, तो सफाई दे दें, हालांकि उनके जमाने की यह बात है नहीं, और एन्क्वायरी न करायी हो, तो एन्क्वायरी करावें, और सफाई दे दें क्योंकि इस बात को लेकर बड़ा क्षोभ है जनता में। इस लिए विधान सभा के सामने यह बात मैंने कह दी।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री जी का ध्यान उन जिलों की तरफ ले जाना चाहता हुं जहां शराब बिलकुल बन्द कर दी गयी है। मैं उस जिले का रहने वाला हूं जहां कि शराब बिलकुल बन्द है। उसका नाम जौनपुर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री का ध्यान पहले भी एक बार वहां की परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया था। मुझको बड़ा दुःख होता है और ताज्जुब भी होता है, कि जिस जिले में शराब बन्द हो, वहां शराब इस तरह से बनायी जाय और इस प्रकार बिक्री हो, जैसे पुरानी जमाने में लोग कहते थे हिन्दुस्तान में दूध और दही की नदियां बहती हैं उसी प्रकार मेरे जिले में शराब बह रही है। वहां पर जो लोग पकड़े जाते हैं, वे कोतवाली तक तो आते हैं, लेकिन फिर कोतवाली से यह पता नहीं चलता कि उन पर मुकदमा

चला, या जेल गये या जुर्माना हुआ। उस वक्त तक तो वे कुछ डरते भी हैं, जब तक पकड़े नहीं जाते कि अगर शराब बनायेंगे, तो पकड़े जायेंगे, जुर्माना होगा या सजा होगी लेकिन वहां से जब वापस चले आते हैं, तो ऐसी धड़क खुल जाती है कि खुले आम शराब बनाना शुरू कर देते हैं और शराबियों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि जो आये दिन तरह तरह के अत्याचार करते रहते हैं। ऐसी घटनायें भी घटी हैं कि वहां आफिसर लोग लूटे गये हैं और पीटे गये हैं। इस प्रकार मेरे जिले की हालत इतनी बदतर हो गयी है, कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि इन जिलों की ऐसी व्यवस्था करें कि शराबबन्दी से वहां के लोग फायदा उठायें। मैंने अनुभव किया है कि जब से वहां शराब बन्द हुई है, जो लोग शराब बनाते हैं, उनकी आमदनी दुगुनी और तिगुनी हो गयी है। वे कहते हैं कि अगर हम ५०० रुपया पैदा करते हैं और २५० रुपया चले जाते हैं, तो क्या हो जायगा? मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आलोचना की गरज से नहीं। माननीय मन्त्री जी उधर ध्यान दें और कि ऐसी व्यवस्था बनायें कि शराब जो बन्द की गयी है, वह सही माने में बन्द हो।

एक प्रार्थना और करूंगा जिन जिलों में शराब बन्द कर दी गयी है, लेकिन सरहदी जिलों में शराब बन्द नहीं की गयी है, उन में भी शराब बन्द कर दी जाय। अगर सरहदी जिलों में शराब बन्द नहीं होती है, तो वहां से लोग शराब ला कर बेचते हैं और दूने और तिगुने दामों पर बेचते हैं। अगर पकड़े जाते हैं, तो कह देते हैं कि पीने के लिए नहीं दवाई के लिए ले आये हैं। अगर शराब को सचमुच बन्द करना है और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना है, देश को सुखी और सम्पन्न बनाना है, तो ऐसी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए जिस से समस्त राष्ट्र की उन्नति हो सके।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस मद्य निषेध के सम्बन्ध में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में पूज्य महात्मा गांधी जी ने सन् १९२१ में ११ बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत एक प्रमुख योजना यह भी रखी थी। सन् १९३८ ई० में सरकार ने मद्य निषेध के सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही शुरू की। तत्पश्चात् सन् १९४० ई० में जब गवर्नरी शासन हुआ, इसे नष्ट किया गया। पुनः १९४६ में ११ जिलों में मद्य निषेध लागू किया गया और उसके पश्चात् प्रचार सम्बन्धी कार्य और दूसरे उपाय करने के लिए सरकार ने ३६७ मेलों में इसका प्रचार किया, ३२८१ सभायें हुईं, ६८८ मैजिक लालटेनों द्वारा प्रदर्शन किया गया, २१३ चलचित्रों द्वारा लोगों को शिक्षा दी गयी, ४८ सिनेमा दिखा कर इसके लिए प्रचार किया गया। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं इस सदन में सुन रहा हूं कि कोई सफलता नहीं मिली। उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत बड़ा है। जैसा कि गोस्वामी जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है:

मैं हरि साधन करे न जानी,
जस आमय भेषज न कीन तस दोष कहा दिरमानी।

दवा भी हो, वैद्य भी हो, लेकिन यदि उपचार सही न हो, तो रोगी रोग से मुक्त नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कि सरकार प्रयास करती है, लेकिन उस के साधन ही सही नहीं हैं। जिस समय राम-रावण युद्ध हो रहा था और मेघनाथ-बध के अन्तर समस्त लंका की शोकाकुल स्त्रियां इकट्ठी हो गयीं, उस समय रावण ने ही उनको उपदेश दिया था। तो इस पर गोस्वामी जी ने लिखा है:

'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे।'

सरकार स्वयं उस काम को करती है, सरकार शराब की ठेकेदारी तो स्वयं करती है। मैं देखता हूं कि जिस तरह से घाटों पर पंडे लोग बैठे होते हैं और वह कहते हैं—चले आओ जजमान यहि घाट—वही स्वरूप हमारी इस सरकार ने इस का ठेका दे दे करके कर रखा है। जिस काम

[श्री उमाशंकर मिश्र]

को आप स्वयं करते हैं, उसे न करने के लिए आप दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है :

घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावहि।
ईंधन अनल लगाय कलप शत औटत नाश न पावहि।।

अगर आप किसी कड़ाह में घी रख कर और उसके नीचे अनंत अग्नि रख कर कल्पों तक भी उसको औंटते रहें, और कहें कि हम चन्द्रमा को इसमें औंटे डालते हैं, तो उस से चन्द्रमा उसमें औंटा नहीं जा सकता क्योंकि साधन गलत है।

दूसरे : तरु कोटर मंह बस विहंग तरु काटे मरनि न जैसे।
साधन करिय विचार हीन मन शुद्ध होत नहि तैसे।।

किसी वृक्ष के खोखले में कोई पक्षी बैठा है, तो उसको मारने का चाहे कितना भी प्रयास किया जाय, चाहे आप वृक्ष ही को काट डालें, लेकिन जिस समय पक्षी देखेगा कि वृक्ष गिरने वाला है, वह उड़ जायगा। वृक्ष का भी नाश हो जायगा और पक्षी भी उड़ जायगा क्योंकि साधन गलत है।

तीसरे: सुभग सेज सोवत सपने वारिध बूड़त भय लागे।
कोटिहु नाव न पार पाऊ सों जब लग आप न जागे।।

जब कोई स्वप्न में देखता है कि हम समुद्र में डूब रहे हैं और मुझे कोई बचा नहीं रहा है, तो भले ही नावें, किनारे पर लगी हों, मांझी तैयार बैठे हों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक उस की आंख नहीं खुलती है, जब तक वह सचेत नहीं होता है, वह डूबता ही रहेगा। हमारी वर्तमान परिस्थिति यही है। सरकार के सामने मैंने अपना भाव रखा है। यदि सरकार चाहती है कि हमें मद्यनिषेध में वास्तविक सफलता हो तो चाहे जितना भी आर्थिक लाभ हो, उसको हमें छोड़ना ही चाहिए। फिर देखिये, कि हमें सफलता मिलती है या नहीं।

इसके पश्चात्, नीति है। गोस्वामी जी ने लिखा है—'लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी।' जिस प्रकार लोभी आकाश को दुह कर के दूध पाना चाहता है, यह उसी प्रकार की समस्या है। लाभ हमें इस से प्रत्यक्ष में नहीं मिल सकता है। हमें एक नया समाज बनाना है और समाज बनाने के लिए शुभ गुण वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि समाज के व्यक्तियों में शुभ गुण होते हैं तो समाज ऊंचा रहता है और इस लिए हमें ऐसे ही व्यक्ति पैदा करना है, और इसके लिए हमें सब से पहले इस कुप्रथा को बन्द करना होगा, और इससे जो लाभ हैं, उसको हमें छोड़ना होगा।

तात प्रबल अति तीन खल काम, क्रोध अरु लोभ।
मुनि विज्ञान धाम मन करहिं निमिष मह क्षोभ।।

मैं समझता हूं कि यह अनुचित लाभ विवेक द्वारा बड़ी आसानी से छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई कठिनता नहीं है, और यदि हम ऐसा कर सके तो निश्चय ही हमें सफलता मिल सकती है।

मैं तो मानता हूं कि कलियुग को परीक्षित ने जो यह शाप दिया था वह बिलकुल सही है।
'कंचन कामिनी मदिरा जुआ, कलि को दीन परीक्षित दुआ।'

यह कलियुग को परीक्षित का वरदान था। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा भारतवर्ष वह भारतवर्ष हो सकता है जैसा कि किसी जमाने में था और जिसका हमारे पूज्य महात्मा गांधी स्वप्न देखा करते थे। हम वास्तव में उनकी लालसा का राम राज्य यहां स्थापित कर सकते हैं, यदि हम इसको पूर्ण रूप से अपने प्रदेश में बन्द कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इसमें समय शायद बढ़ा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--उनको भी जवाब देना है और आपको भी बोलना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं उत्तर क्या दूं सब ने मेरा समर्थन ही किया है । अगर माननीय मंत्री जी कुछ स्पष्ट कर दें तो मैं कुछ कहने की चेष्टा करूंगा ।

श्री गिरधारी लाल--अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा था और उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी और माननीय सदस्यों के भावों और विचार जानकर मेरी और गवर्नमेंट की जो राय है उसकी पुष्टि ही हो रही है । जैसा मैंने कहा था कि मुकम्मिल मद्यनिषेध हमारा लक्ष्य है और यहां पर सब की करीब-करीब वही राय है । तो इसमें कोई दो राय नहीं । और यह भी मैं बतला दूं कि मद्यनिषेध हम करेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें कही गईं । खासतौर पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने एक तो यह कही कि हमने शुरू-शुरू में ११ जिलों में प्रौहिबिशन किया और वहां पर जो रेवेन्यू का लौस हुआ वह ८७ लाख था, तो उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि शायद उन्होंने वह रिपोर्ट ही न पढ़ी हो। वह तो मैंने खुद तीन साल में प्रौहिबिशन किया था। मुझे ठीक तौर से मालूम है और इस रिपोर्ट के देखने से सब मिला कर करीब एक करोड़ २९ लाख रुपये का नुकसान हुआ । जो कुछ भी हो उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता । मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि ११ जिलों के अन्दर जिस तरह से प्रौहिबिशन किया गया, उसके अलावा आपने स्वीडन, अमरीका और कुछ अन्य स्थानों की मिसालें दी, कुछ आदेश भी दिया कि वहां से सबक लेना चाहिये । मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस वक्त हमारे मुल्क में यह आवाज उठी बहुत अच्छे तरीके से जहां-जहां यह बातें देखी जा सकती थी देखी गयीं, अपने सूबे के अन्दर । आपने कुछ राय की रेस्ट्रिक्शन के लिये, राशनिंग के लिये, सरचार्ज के लिये, स्टेट मैनेजमेंट के लिये। लेकिन सब बातों को देख कर जो सिस्टम वर्तमान समाज में हमारे देश में बहुत ज्यादा सफलीभूत हो सकता है वही सिस्टम हमारे प्रदेश के अन्दर लागू किया जा रहा है । राशनिंग या स्टेट मैनेजमेंट के बारे में जो कमीशन की बात कही, मैं बताना चाहता हूं कि यह भी सिस्टम हमने देहरादून और मंसूरी में किसी हद तक ट्राई करके देखा और हमें उसमें संतोषजनक सफलता नहीं प्राप्त हुयी ।

इन बातों के अलावा टिंचर-जिंजर के सिलसिले में कुछ कहा । तो यह सवाल हमारे सामने और केन्द्रीय सरकार, दोनों के सामने है । टिंचर-जिंजर का इस वक्त पूरे देश भर में काफी ज़बरदस्त मसला है । बम्बई और मद्रास के अन्दर इसकी स्मगलिंग हो रही है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमारी इस सिलसिले में काफी लिखा पढ़ी हो रही है और बहुत ही जल्द कोई ऐक्ट बनायेंगे । लेकिन इसके साथ-साथ हमारे यहां भी कार्यवाही हो रही है और बहुत ही जल्द कानून वगैरह बनायेंगे, इसके रोकने की कोशिश करेंगे ।

अब पावर अल्कोहल के सिलसिले में कहूं कि साल में दो, चार लाख मन शीरा जो कि पावर अल्कोहल बनाने के काम का नहीं रहता या बच जाता है, बाज वक्त डिस्टिलरीज में या शुगर मिल्स में शीरे के अन्दर बारिश का पानी मिल कर शीरा खराब हो जाता है, तो ऐसे शीरे को बाहर ट्रेड के लिये इधर-उधर भेज दिया जाता है । जहां देवरिया का मसला है, मुझे खेद है कि मुझे इस बात की कोई इत्तला नहीं है और उसकी मैं इन्क्वायरी करूंगा । इसके अलावा और जो बातें प्रौहिबिशन के सिलसिले में कही गयी हैं उनके विषय में मैंने पहले बतला दिया कि पूरे तौर पर हमारी गवर्नमेंट सहमत है और उसके सिलसिले में कोई न कोई कदम उठायेंगे ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में बतलाया कि माननीय सदस्यों की भावनाओं से तो सरकार के निश्चय की पुष्टि ही हुयी। श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि शराबबन्दी के मामले में इस सदन में जितना एकमत है, रहा है और रहेगा उतना शायद किसी अन्य विषय में नहीं हो सकता । तो जहां उत्तर प्रदेश में साढ़े छः करोड़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

से अधिक रहने वाले नागरिकों के प्रतिनिधि एकमत हों जिस विषय में, उस विषय में सरकार कोई अग्रगामी कदम न उठाये, तो फिर उसके लिये तो जितनी ही अपनी सरकार की व्याज स्तुति या ब्याज निन्दा की जाय थोड़ी ही है । अभी मेरे माननीय मित्र ने रामायण की चौपाई से सिद्ध कर दिया और जौनपुर से आने वाले एक सदस्य ने शराब की नदी बहाने के सम्बन्ध में भी जिक्र कर दिया । तो जब इतनी अधिक आलोचना इस मद्यनिषेध की नीति के बारे में हो रही है तो मैं तो माननीय मद्यनिषेध मंत्री जी और सरकार से और नये मुख्य मंत्री जी से खास तौर से निवेदन करूंगा कि वह अपनी इस प्रोहिबिशन पालिसी में आमूल परिवर्तन करें । अब वह समय आ गया है कि जिस समय या तो इधर या उधर इस नीति को स्पष्ट करनी पड़ेगी । माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि राशनिंग सिस्टम जो था डिकर्स रजिस्टर रखने वाला उसका एक्सपेरिमेंट कहीं दो एक जगह किया । अब, श्रीमन्, मैं क्या बताऊं, कम से कम इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह एक ऐसा तरीका था कि जो दूसरे मुल्कों में प्रभावशाली तरीका सिद्ध हुआ है । तो इसका एक्सपेरीमेंट करने की क्या जरूरत थी ? इसके बारे में तो अनुभव हो चुका है । जैसा कि माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस राज्य में जो प्रौहिबिशन प्रणाली रही है, इसकी जांच करने के लिये, इसमें आवश्यक सुझाव देने के लिये एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, कमेटी बनाना अनिवार्य है । यह बात सही है कि कमेटी कभी-कभी काम को टालने के लिये, उद्देश्य को टालने के लिये बनायी जाती है, लेकिन जब हमने इतने वर्षों तक इस प्रश्न को टाला तो अगर हम तीन महीने इस प्रश्न को कमेटी में भी रहने दें तो कोई ज्यादा अनुचित बात नहीं होगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना और निवेदन करूंगा कि कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें कि वह तीन महीने के अन्दर इस प्रोहिबिशन के सिलसिले में, क्या यहां पर हो सकता है, यहां की वास्तविकता को देखते हुए, दिक्कतों को देखते हुये, इस पर अपनी राय दें, और कम से कम इस आने वाले वर्ष में तो यह गांजा और अफीम तो बिलकुल बन्द कर दें बजाय इसके कि इसमें रिसर्च करायें ।

दूसरे राज्यों से स्मग्लिंग की बात कही गयी कि स्मग्लिंग हो रही है तो क्यों न हो ? जबकि कोई एक आधारभूत नीति नहीं है सारे भारतवर्ष के लिये तो स्मग्लिंग जरूर होगी । विन्ध्य प्रदेश से नहीं होगी, तो दिल्ली से होगी, दिल्ली से नहीं होगी, तो मध्य भारत से होगी, बिहार से होगी । कहीं न कहीं से तो होगी ही । तो इसलिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि सदन में इतने भारी बहुमत की एकमत से जो राय है उसका सरकार पर असर पड़ना चाहिये और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्ष में इस सदन के एकमत का असर जरूर पड़ेगा । नहीं तो फिर यह सरकार जनप्रतिनिधि कहलाने वाली सरकार तो नहीं हो सकती या कम से कम शराबबंदी के मामले में तो यह स्पष्ट हो ही जायगा कि यह अपन दायित्वों, अपने आदर्शों को बिल्कुल भुलाने वाली सरकार है ।

श्री गिरधारी लाल—अध्यक्ष महोदय, नारायणदत्त जी ने जो बातें रखीं तो मैं अभी—उन्हें यह बता देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उन्हें खुशी होगी इस बात को जानकर आपने गांजा और अफीम के सिलसिले में कहा । मैं इस प्रश्न को देख रहा हूं और मैं यह समझता हूं कि एक महीने में मैं यह कोशिश करूंगा कि इसी एक महीने के अन्दर हम इस बात का फैसला कर लें कि पूरे प्रांत भर में हम गांजे का प्रोहिबिशन कर दें ।यह जो आपने गांजे की रिसर्च के बारे में कहा कि उसको फिलहाल रोक दिया जाय, तो मैं देखूंगा अगर उसमें विशेष कठिनाई नहीं हुयी तो पूरे सूबे में हमारे गांजे का प्रोहिबिशन होगा ।

इसके अलावा मैंने देहरादून की जो मिसाल दी थी वह राशनिंग के सिलसिले में नहीं, बल्कि कमीशन के सिलसिले में और स्टेट मैनेजमेंट के सिलसिले में दी थी । राशनिंग जहां पर प्रोहिबिशन है वहां पर थोड़ा बहुत किया गया है, जैसा बम्बई वगैरा में किया जाता है । तो वह सब चीजें अपने-अपने स्थान पर हैं और देहरादून में कमीशन या सरचार्ज सिस्टम, स्टेट मैनेजमेंट

जैसा कि मैंने कहा,उस हद तक जैसा कि सफल होना चाहिये नहीं हुआ और आप्शन से भी ज्यादा उसकी हालत खराब हुयी । यानी जिस वजह से उसको इंट्रोड्यूस करके देखा था कि मुमकिन है उसके अन्दर कम से कम करप्शन के चांसेज हों, ऐसी बातें उसमें नहीं मिलीं । इसलिये उसको छोड़ना पड़ा । आप तो अभी आये हैं। यहां पर पिछली जो गवर्नमेंट थी, उस समय सदन के सामने तमाम माननीय सदस्यों के सामने उसकी रिपोर्ट पूरे तौर से रख दी गयी थी । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो अनुदान है इसको भी आप जिद नहीं करेंगे, मंजूर करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक बात सुनाई नहीं दी कि आपने जो गांजे की रिसर्च के लिये और कल्टिवेशन के लिये जो अनुदान रखी है क्या वह नहीं स्वीकार होगी ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं। कल्टिवेशन को रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--वह तो बाद में पूछ लीजियेगा ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०२,५२,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प तथा अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री

श्री अध्यक्ष--मादक कर मंत्री कृपया अनुदान संख्या ४ तथा ६ एक साथ प्रस्तुत करें।

श्री गिरधारी लाल--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--स्टाम्प (लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प) के अन्तर्गत ६,५४,७०० रुपये की तथा अनुदान संख्या ६--रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १४,३६,६०० रुपये की मांगें स्वीकार की जायें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है और इस वक्त ज्यादा समय भी सदन का नहीं लूंगा । जहां तक रजिस्ट्रेशन विभाग का सम्बन्ध है उसमें दो एक खास बातें हैं जो मैं बतला देना चाहता हूं । अगले वर्ष एक तो वह स्थान है जहां पर रजिस्ट्रेशन के दफ्तर खोले जायेंगे, जैसे इगलास, एक जालौन में है और इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान है जहां पहले दफ्तर थे, जैसे जमनिया, गाजीपुर, जसराना, एतमादपुर जो कि आगरे में है, वह तोड़ दिये गये थे, अब वहां चालू किये जायेंगे ।

ग्रामीण समाज को रजिस्ट्रेशन के काम में काफी दिक्कत होती है, इसके लिये इस बात की कोशिश की जायगी अगले वर्षों से कि बहुत से जो आप्शनल किस्म के डाक्युमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन हम पंचायत के जरिये से करायेंगे । इससे ग्रामीण समाज के लोगों को काफी सहूलियत प्राप्त होगी ।

इसके अलावा और मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४ और अनुदान संख्या ६ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, आपको खयाल होगा कि इस सदन में सरकार ने जिस वक्त एक विधेयक स्टाम्पों का दाम बढ़ाने के लिये और कोर्ट फीस के बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया था उस वक्त

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

हमारी तरफ से यह कहा गया था कि बढ़ोतरी उचित नहीं है क्योंकि इससे प्रांत की गरीब जनता के ऊपर कर का बोझ पड़ने वाला है। इस पर सरकार की तरफ से जहां तक मुझे खयाल है माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि अगर हम इस विधेयक को पास कर लेते हैं तो हमारी आमदनी २५ लाख रुपये सालाना बढ़ जायगी। लेकिन बजट के आंकड़ों को देखा जाय तो स्टाम्प की बिक्री से १९५३–५४ में ९३,५४,४०० रुपये आमदनी हुयी और ५४–५५ में ९३,१४, हजार रुपये आमदनी रह गयी और इस साल जो तखमीना रखा गया है वह ८६ लाख ६४ हजार रुपये है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकारी आमदनी में गिरावट आती चली जा रही है जब कि स्टाम्प वगैरा के दाम बढ़ गये हैं। कोर्ट फीस वगैरा से आमदनी है वह ५३–५४ में २ करोड़ ६३ लाख १३ हजार और ५४–५५ में २ करोड़ ७० लाख रुपये है और इस साल जो रखा गया है वह २ करोड़ ६२ लाख रुपये हैं। इनके देखने से ऐसा मालूम होता है कि जब सरकार ने स्टाम्प के दामों में और कोर्ट फीस बढ़ोतरी की तब भी सरकार को आमदनी में कमी हुयी और इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाऊंगा कि आज हर जगह जो स्टाम्प का मूल्य है उस पर नहीं मिल रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे सारे सूबे में करप्शन फैला हुआ है। इसके अलावा रजिस्ट्री की जो बात है उसके यदि आप आंकड़े देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसमें कमी हो रही है। सरकार की आमदनी में भी कमी हो रही है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर उनके घूस के आंकड़े होते तो पता चलता कि रजिस्ट्रेशन में जितनी घूस ली जाती है उसमें कोई कमी नहीं हुयी है, बल्कि बढ़ोतरी हुयी है। मैं इन चंद शब्दों के साथ मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो करप्शन दोनों विभागों में फैला हुआ है इसको रोकने का प्रयत्न करें। हर साल इधर ध्यान दिलाया जाता है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इधर कोई भी ध्यान नहीं देती है और रजिस्ट्री के आफिस में और स्टाम्प की बिक्री में करप्शन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इधर ध्यान दें और सरकार करप्शन रोके ताकि ग्रामीण जनता को ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री गिरधारी लाल––अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक करप्शन की बात है अगर कोई स्पैसिफिक मिसाल माननीय सदस्य या और कोई साहब जब कभी भी देंगे तो मैं जरूर उसको देखूंगा और कसूरवार को मुनासिब सजा दी जायगी। इसी तरह से करप्शन बंद हो सकता है वैसे आम तौर से लोग चिल्लाते रहते हैं कि करप्शन है, करप्शन है और हो सकता है, लेकिन जब तक स्पैसिफिक मिसाल नहीं दी जायंगी तब तक इसमें कुछ रोकथाम नहीं हो सकती है।

दूसरी बात जो उन्होंने आमदनी के लिये कही वह ठीक हो सकती है। मुझे ज्यादा नहीं कहना है और मुझे उम्मीद है कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल––माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी कोई शिकायत की जाती है तो हमेशा सरकार की तरफ से स्पैसीफिक मिसाल का जिक्र किया जाता है। मैं जानता हूं कि सभी सम्मानित सदस्य इस चीज को जानते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन में करप्शन है, उस करप्शन की रोकथाम अभी तक नहीं की जा रही है। स्पैसीफिक मिसाल मैं बताऊं। कुछ दिनों का वाकया है . . .

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि उनके कहने का मतलब यह है कि उनके दफ्तर में बताया जाय। यहां पर तरीका आप बता सकते हैं कि कैसे करप्शन होता है एवं रोका जा सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल––मैं एक मिसाल दे रहा था, किसी पर आक्षेप नहीं है। वह यह है कि इसी सदन के एक सम्मानित सदस्य स्टाम्प खरीदने गये, मैं उनका नाम भी बता देता हूं

श्री अध्यक्ष--नाम ही न बताइये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--अच्छी बात है । तो वह गये । स्टैम्प बेचने वाले ने कहा कि हम आपसे ज्यादा दाम लिये बिना स्टैम्प देंगे नहीं । फिर उन्होंने जाकर कम्पलेंट की तब स्टैम्प मिला । तो इस तरह से बहुत सी मिसालें हैं । जब इस सदन के एक सम्मानित सदस्य के साथ यह बात हो सकती है तो उस बे पढ़ी लिखी ग्रामीण जनता के साथ क्या होता होगा यह आप स्वयं जान सकते हैं । इसलिये मैं चाहुंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जिस तरह से हो सके करप्शन को रोकने की कोशिश करे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४--स्टाम्प (लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प) के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४-स्टाम्प (लेखा शीर्षक ९-स्टाम्प) के अन्तर्गत ६,५४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ६-रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री) के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १४,३६,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२ मार्च, १९५५ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५६ पर)

१—सरकारी चिकित्सालय

(क) यूनानी

१—बनसुरा
२—तालगांव
३—पैंतेपुर

(ख) आयुर्वेदिक

१—करौना
२—बड़ागांव
३—सरवाहनपुर
४—नीलगांव
५—धमौरा
६—नीमसार
७—बम्हौरा

(ग) एलोपैथिक

सीतापुर खास में

१—डिस्ट्रिक्ट अस्पताल
२—डफरिन अस्पताल
३—जेल अस्पताल
४—पुलिस अस्पताल
५—पी० ए० सी० अस्पताल

देहातों में

६—स्योता
७—शाहपुर
८—पिसावां
९—रामपुर मथुरा
१०—महमूदाबाद जनाना
११—बिस्वां जनाना

२—जिला बोर्ड के चिकित्सालय

(क) आयुर्वेदिक

१—ईंट गांव
२—सदरपुर

(ख) एलोपैथिक

१—बारी
२—महमूदाबाद मर्दाना
३—मिश्रिक
४—लहरपुर
५—सम्बौर
६—कमालपुर
७—कुंवरपुर
८—बिसवां मर्दाना
९—मेरी सहायता प्राप्त
१०—खैराबाद।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३२५ ए० ए०—१९५५—७९६।